



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

सांस्कृतिक धरोहर स्थल और सीमाएं



सितंबर 2017



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार

राष्ट्रीय आपदा
प्रबंधन दिशानिर्देश

सांस्कृतिक धरोहर
स्थल और सीमाएं

सांस्कृतिक धरोहर स्थलों और सीमाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

प्रकाशक:

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार,
एन.डी.एम.ए. भवन
ए-1, सफदरजंग एनक्लेव
नई दिल्ली - 110029

सितंबर 2017

इस रिपोर्ट का उल्लेख करते समय निम्नलिखित उद्धरण का उपयोग किया जाना चाहिए:

सांस्कृतिक धरोहर स्थलों और सीमाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश, सितंबर 2017.
नई दिल्ली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित।

राष्ट्रीय आपदा
प्रबंधन दिशानिर्देश

सांस्कृतिक धरोहर
स्थल एवं सीमाएं



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार
सितंबर 2017



प्रधान मंत्री
Prime Minister

प्राक्कथन

मुझे यह जानकर बेहद खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 28 सितंबर 2017 को अपनी 13वीं वर्षगांठ मना रहा है।

अपनी स्थापना से, एनडीएमए अपने दृष्टिकोणों के प्रति वफादार रहा है और लगातार एक सुरक्षित एवं प्रत्यास्थी राष्ट्र निर्माण का प्रयास कर रहा है। यह सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ समग्र साझेदारी के माध्यम से आपदा रोकथाम एवं उससे लड़ने की तैयारी की संस्कृति को सुविधाजनक बनाने में सफल रहा है। मैं बचाव एवं राहत कार्यों में इनकी सक्रिय प्रतिक्रियाओं की सराहना करता हूँ।

यह बहुत ही सराहनीय है कि एनडीएमए अपने स्थापना दिवस के अवसर पर धरोहर सुरक्षा और नाव सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि नए दिशानिर्देश सभी संबंधित हितधारकों को अपनी स्वयं की आपदा जोखिम प्रबंधन योजना के साथ खुद को तैयार करने में सशक्त बनाएंगे।

मैं इस अवसर पर एनडीएमए से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को हमारे नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के उनके सभी भावी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।

(नरेंद्र मोदी)

नई दिल्ली
22 सितम्बर 2017

राजनाथ सिंह
RAJNATH SINGH




गृह मंत्री
भारत
नई दिल्ली-110001
HOME MINISTER
INDIA
NEW DELHI-110001

प्राक्कथन

मुझे यह बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने सांस्कृतिक धरोहर स्थलों और सीमाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश तैयार किए हैं। मुझे यकीन है कि यह संक्षिप्त और सूचनात्मक दस्तावेज योजनाकारों और पेशेवरों को हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है।

मुझे यह बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि यह दस्तावेज आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015-2030 के लिए सेंडल फ्रेमवर्क के साथ संरेखित है और आपदा जोखिम में कमी और जोखिमों के प्रबंधन की दिशा में एक एकीकृत दृष्टिकोण पर केंद्रित करके दोनों राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोणों को जोड़ता है। मैं अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए इन दिशानिर्देशों को अपनाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को बधाई देता हूं।



(राजनाथ सिंह)

किरेन रीजीजू
KIREN RIJJU



MOS/Home(R)/1097708/146/2017

गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF STATE FOR
HOME AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA
21 SEP 2017

प्राक्कथन

हाल के दशकों में भारत में आपदा जोखिम प्रबंधन ने पूर्णतः प्रतिक्रियाशील, राहत-आधारित दृष्टिकोण से सक्रिय दृष्टिकोण तक बढ़ने के लिए एक आदर्श बदलाव किया है जिसका उद्देश्य नए जोखिमों के निर्माण को रोकना और शमन उपायों को लागू करके मौजूदा जोखिमों को कम करना है।

मैं आपदा जोखिम कारकों को कम करने में व्यक्तिगत रूप से गहरी रुचि रखता हूँ, इसलिए मुझे भारत में आपदा प्रबंधन के लिए ढांचे को तैयार करने में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों को अभिस्वीकृति देते हुए बेहद खुशी हो रही है। प्राधिकरण ने आपदा जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर दिशानिर्देशों की एक श्रृंखला जारी की है, और अब इस कार्य को हमारी सांस्कृतिक धरोहर स्थलों और सीमाओं के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए विस्तारित किया गया है।

सांस्कृतिक धरोहर भारत के लिए एक अमूल्य संसाधन है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने की जरूरत है। यह भारत की पहचान को आकार देने का एक केंद्रीय पहलू है और यह अपने लोगों के समृद्ध इतिहास को एक साथ लाता है। साथ ही, सांस्कृतिक धरोहर को आपदा जोखिमों से खतरा है, और इसलिए जोखिमों को कम करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह दस्तावेज इस दिशा में एक मौलिक कदम है और सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं सीमाओं के संबंध में जोखिम में कमी के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है। यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015-30 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क सहित नवीनतम अंतरराष्ट्रीय ढांचे का संदर्भ देता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा विधायी और संस्थागत संदर्भ में दृढ़ता से स्थित है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये दिशानिर्देश संबंधित मंत्रालयों एवं सरकारी निकायों के साथ-साथ स्वतंत्र हितधारकों एवं पेशेवरों को सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं सीमाओं को सटीक बनाने में सहायता करेंगे और सुरक्षा के उच्चतम मानकों का पालन करते हैं। मैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता हूँ और सभी हितधारकों से हमारी सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के लिए एक साथ काम करने का आग्रह करता हूँ।

(किरेन रिजजू)

20 सितंबर, 2017
नई दिल्ली।



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार



प्रस्तावना

आपदा जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने वाले दिशानिर्देश स्थापित करना, भले ही वे खतरे या संस्था आधारित हों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के जनादेश का एक अभिन्न अंग है। इस जनादेश में, 2015 में सांस्कृतिक धरोहर स्थलों और सीमाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया था। सांस्कृतिक धरोहर विशेषज्ञों, संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों, संस्थानों और अन्य हितधारकों सहित मूल समिति को इस प्रक्रिया में पहले चरण के रूप में गठित किया गया था। इन दिशानिर्देशों और कानूनी ढांचे के दायरे जिसमें उन्हें लागू किया जाएगा, पर मूल समिति की बैठकों में चर्चा की गई थी। दिशानिर्देशों की संरचना को सूचित करने के लिए धरोहर स्थलों और सीमाओं में आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट मुद्दों की पहचान करने का प्रारंभिक अभ्यास छह महीने में पूरा किया गया था।

इन दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक धरोहर स्थलों और सीमाओं के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करना और आपदा के बाद रीकवरी के लिए जोखिम आकलन, जोखिम न्यूनन उपायों, तैयारी एवं आपातकालीन मोचन उपायों एवं योजनाओं के माध्यम से अपने आपदा जोखिम प्रबंधन योजनाओं एवं रणनीतियों को विकसित करना है। आपदा जोखिम प्रबंधन के प्रत्येक पहलू के लिए मूलभूत पद्धतियों को नीति निर्माताओं के साथ-साथ स्थल प्रबंधकों एवं पेशेवरों के लाभ के लिए सारांशित किया गया है।

मसौदा दिशानिर्देशों को उनकी विशेषज्ञ समीक्षा एवं इनपुट के लिए मूल समिति के सदस्यों की बैठकों और परामर्शों और प्रारंभिक मसौदे की परिसंचरणा के बाद तैयार किया गया था। दस्तावेज को उदयतन करने के बाद, दिशानिर्देश व्यापक परामर्श के लिए प्रसारित किए गए थे। दिशानिर्देश एक गतिशील दस्तावेज हैं जिन्हें नियमित आधार पर उदयतन किया जाएगा, जिसमें विषय पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवचन के साथ व्यावहारिक अनुभव शामिल होगा। हम इस अवसर पर विभिन्न हितधारक समूहों की प्रतिबद्धता की गहरी प्रशंसा व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारे प्रयासों के लिए अपना इच्छुक समर्थन और सहयोग दिया है। हम मूल समिति के सदस्यों के सुझावों एवं समर्थन के लिए उनके आभारी हैं।

श्री कमल किशोर
सदस्य, एनडीएमए

डॉ डी.एन. शर्मा
सदस्य, एनडीएमए

लेफ्टिनेंट जनरल एन.सी. मारवा
(सेवानिवृत्त)
सदस्य, एनडीएमए

श्री आर.के. जैन, आईएएस
(सेवानिवृत्त)
सदस्य, एनडीएमए

मैं मूल के सभी विशेषज्ञ सदस्यों के योगदान की सराहना करता हूँ, जिन्होंने सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं सीमाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों को स्वरूप दिया है। यह दस्तावेज परामर्श, बैठकों, अनौपचारिक मोचन सत्रों और संबंधित पेशेवरों, विशेषज्ञों एवं हितधारकों के बीच हुई लंबी बातचीत का परिणाम है।

एनडीएमए की ओर से, मैं संबंधित मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों, विशेष रूप से, डॉ आर.एस. जामवाल (निदेशक-संरक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण), श्री नवनीत सोनी (सदस्य सचिव, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण) और श्री डी.के. गर्ग (मुख्य अभियंता, सीडीओ, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग) का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं श्री आर.के. सिंह (संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान), डॉ अरुण मेनन (सहायक प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास), डॉ प्रिययालेन सिंह (वास्तुकला संरक्षण प्रमुख, योजना और वास्तुकला स्कूल, दिल्ली) और श्री दिव्य गुप्ता (प्रमुख निदेशक, वास्तुकला धरोहर प्रभाग, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर न्यास) का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें अमूल्य संस्थागत समर्थन के साथ-साथ पेशेवर विशेषज्ञता भी प्रदान की है।

डॉ. जी.सी. मिश्रा (निदेशक, दिल्ली अग्निशमन सेवा) और श्री वीरेन्द्र बंगरू (सहायक प्रोफेसर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र) ने मूल्यवान अंतर्दृष्टि और सुझाव दिए हैं। डॉ रोहित जिग्यासु (यूनेस्को चेयर प्रोफेसर, आर-डीएमयूसीएच, रिट्स्यूमिकन विश्वविद्यालय, क्योटो) और अपर्णा टंडन (परियोजना विशेषज्ञ, सांस्कृतिक संपत्ति, के संरक्षण और बहाली के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, रोम) जैसे प्रमुख पेशेवरों ने दस्तावेज के तकनीकी पहलुओं को आकार देने में मदद की है।

इस अभ्यास को श्री आर.के. जैन (सदस्य, एनडीएमए) और श्री कमल किशोर (सदस्य, एनडीएमए) की अगुवाई में तैयार किया गया है जिन्होंने इस पहल का अनुसरण दो से अधिक वर्षों तक किया है और इसे समय पर पूरा किया है। सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल एन.सी. मारवा और डॉ डी एन शर्मा ने मूल्यवान योगदान और प्रोत्साहन दिया है और विभिन्न समिति बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

इस दस्तावेज का लेखन सुश्री वानिका अरोड़ा, (परामर्शदाता-हेरिटेज मैनेजमेंट, एनडीएमए) ने किया है, जिन्होंने हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला से आदानों को शामिल किया। डॉ पवन कुमार सिंह (वरिष्ठ शोध अधिकारी, एनडीएमए), श्रीमती एलिस कुजुर (उप सचिव, एनडीएमए) और श्री पंकज कुमार (अवर सचिव, एनडीएमए) ने प्रशासनिक समर्थन और हितधारकों से आदान समन्वय प्रदान किया। जमशेदजी टाटा आपदा अध्ययन विद्यालय (टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई) के इंटरन छात्र अनुराग शिंदे, जेकुलिन लिपी साइकिया और शशांक चौधरी ने

दिशानिर्देशों का समर्थन करने के लिए दस्तावेज और शोध किया है। एनडीएमए में नीति एवं योजना प्रभाग के विभिन्न कर्मचारी सदस्यों ने दिशानिर्देशों की तैयारी को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसके लिए मैं उनका आभारी हूँ।



डॉ. वी. तिरुपुगाज,

संयुक्त सचिव (नीति एवं योजना), एनडीएमए

विषय वस्तु

संक्षेपाक्षर और संगठन	V
कार्यकारी सारांश	Vii
शब्दावली	Ix
1. परिचय	1
1.1 भारत में सांस्कृतिक धरोहर स्थल एवं सीमाएं	3
1.1.1 धरोहर का मूल्य/सांस्कृतिक महत्व	5
1.1.2 सांस्कृतिक धरोहर स्थलों का प्रारूप वर्गीकरण	5
1.2 आपदाएं और सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं सीमाओं पर उनके प्रभाव	5
1.3 मौजूदा विधान संरचना - एक अवलोकन	8
1.3.1 भारत में धरोहर स्थलों का ढांचा	9
1.3.2 भारत में आपदा प्रबंधन का ढांचा	9
1.4 विज्ञान, दृष्टिकोण और उद्देश्य	9
1.5 दिशानिर्देशों का दायरा	11
1.6 दिशानिर्देशों का उपयोग कैसे करें	11
2. जोखिम आकलन	13
2.1 जोखिम आकलन प्रक्रिया	13
2.2 सांस्कृतिक धरोहर स्थलों और प्रस्तुतियों की पहचान और दस्तावेजीकरण	15
2.3 खतरों की पहचान करना	16
2.3.1 प्राकृतिक खतरे	16
2.3.2 मानव उत्पादित खतरे	17
2.3.3 आपदाओं का पैमाना	18

2. 4	असुरक्षितता की पहचान करना	18
2.4.1	बस्तियां एवं सीमाएं	18
2.4.2	स्थल और परिवेश	19
2.4.3	व्यक्तिगत इमारतें और संरचनाएं	20
2.4.4	वस्तुएं और संग्रह	24
2.5	परिदृश्य निर्माण के माध्यम से जोखिम का विश्लेषण	24
2.6	जोखिम को प्राथमिकता देना	24
3.आपदा जोखिम निवारण, न्यूनीकरण और शमन के उपाय		28
3.1	जोखिम और उसकी गंभीरता के संभावित प्रभाव को रोकने और कम करने के लिए ढांचा	28
3.2	जोखिम न्यूनीकरण के लिए रणनीतियां	30
3.2.1	बस्तियां एवं सीमाएं	31
3.2.2	स्थल और परिवेश	31
3.2.3	व्यक्तिगत इमारतें और संरचनाएं	32
4.आपातकालीन तैयारी और आपदा मोचन की योजना		36
4.1	निकासी और आपातकालीन मोचन के लिए योजना	36
4.2	अनुश्रवण और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली	38
4.3	स्थल/सीमा के भीतर आपातकालीन मोचन प्रणाली: स्वचालित और मैनुअल	39
4.4	पड़ोस और जिला स्तर पर आपातकालीन मोचन प्रणाली	40
4.5	आपातकालीन टीम बनाना	40
4.5.1	आपातकालीन टीम की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां	42
4.6	आपातकालीन आपूर्ति और उपकरण	45
5.आपदा के बाद आकलन, योजना और रीकवरी		46
5.1	आपदा के बाद दस्तावेजीकरण और हानि का आकलन	46
5.2	आपातकालीन स्थिरीकरण - दृष्टिकोण	48
5.3	आपदा के बाद मरम्मत और पुनर्निर्माण	48

5.4	वित्तपोषण, साझेदारी और व्यापार योजना	49
5.5	जोखिम न्यनीकरण के लिए रीकवरी लिंक	49
6.	प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और जागरूकता बढ़ाना	50
6.1	आपदा जोखिम प्रबंधन पेशेवरों/आपातकालीन उत्तरदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	51
6.2	साइट स्टाफ और प्रबंधन का प्रशिक्षण	52
6.3	स्थानीय समुदायों, निवासियों और आगंतुकों में जागरूकता बढ़ाना	53
6.4	धरोहर प्रैक्टिशनर्स/पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण	54
7.	निष्कर्ष और कार्य योजना	56
7.1	कार्यान्वयन	56
7.2	दिशानिर्देशों को संशोधित करना और अद्यतन करना	58
	संदर्भग्रंथ सूची	60
	अनुबंध	63
1.	राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों एवं स्थलों और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का वितरण	64
2.	राष्ट्रीय और राज्य पुरातात्विक अधिनियम की सूची	67
3.	जोखिम आकलन के लिए मूल चेकलिस्ट	68
4.	कुछ विषयक उदाहरण	72
5.	आपातकालीन तैयारी और मोचन के लिए चेकलिस्ट	76
6.	आपदा के बाद आकलन प्रारूप	78
7.	आपदा जोखिम प्रबंधन योजना के लिए टेम्पलेट	80

संक्षेपाक्षर और संगठन

एसआई:	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
बीएमटीपीसी:	निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद
डीडीएमए:	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
आईसीसीआरओएम:	अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपत्ति संरक्षण एवं बहाली अध्ययन केंद्र
आईसीओएम:	अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद
आईसीओएमओएस:	अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद
आईएनटीएसीएच:	भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर न्यास
एमओसी:	संस्कृति मंत्रालय
एमओटी:	पर्यटन मंत्रालय
एमओआरडी:	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमओयूडी:	शहरी विकास मंत्रालय
एनडीएमए:	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एनआईडीएम:	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
एनएमए:	राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण
ओयूव:	उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य
एसडीएमए:	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
यूएन:	संयुक्त राष्ट्र
यूनेस्को:	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन
यूनेस्को डब्ल्यूएचसी:	यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र
यूएनआईएसडीआर:	संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण रणनीति

सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं सीमाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों का अंतर्निहित विज़न यह सुनिश्चित करना है कि सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान उनसे संलग्न लोगों के लिए सुरक्षित हैं और इसके विरासती मूल्य को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोकर रखा जा सके। इस दस्तावेज़ का प्राथमिक उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण के ढांचे में सांस्कृतिक धरोहर की विशिष्ट आवश्यकताओं को एकीकृत करना है।

ये दिशानिर्देश विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के साथ-साथ अन्य कलाकारों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करते हैं जो सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं सीमाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। इसका केंद्रीय उद्देश्य एक ऐसी व्यापक रूपरेखा तैयार करना है जिसमें हितधारक आपदा जोखिम प्रबंधन रणनीतियों का विकास कर सकें। दिशानिर्देशों को आपदा जोखिम प्रबंधन चक्र के आधार पर संरचित किया गया है। ये दिशानिर्देश स्थल विशिष्ट प्रबंधन योजनाओं के लिए कोई विकल्प नहीं हैं, और यह केवल उन भौतिक एवं संस्थागत आवश्यकताओं को निर्धारित करता है जिन्हें सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं सीमाओं के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए हितधारकों को पूरा करना चाहिए।

पहला अध्याय भारत में सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं सीमाओं का परिचय देता है और उनकी विविधता एवं प्रारूप वर्गीकरण को सारांशित करता है। यह आपदा जोखिमों और धरोहर मूल्य के बढ़ते खतरे के संबंध में सामने आने वाली कुछ विशिष्ट समस्याओं को रूपरेखित करता है। यह धरोहर स्थलों एवं सीमाओं की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए मौजूदा ढांचे एवं कानूनों का भी वर्णन करता है और दिशानिर्देशों के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को निर्धारित करता है।

दूसरा अध्याय खतरों को पहचानने और असुरक्षितता पर केंद्रित है और सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं सीमाओं के लिए जोखिम मूल्यांकन करता है। यह स्थलों के विभिन्न पैमानों के साथ साथ असुरक्षितता एवं जोखिम के विभिन्न पहलुओं को देखता है। आपदा जोखिम परिदृश्य बनाने और कार्रवाई को प्राथमिकता देने के लिए इन जोखिमों के संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करने पर एक संक्षिप्त सारांश भी प्रदान करता है।

तीसरा अध्याय आपदा जोखिम की रोकथाम, न्यनीकरण एवं शमन में शामिल दृष्टिकोणों एवं प्रक्रियाओं पर चर्चा करता है, जो पिछले अध्याय से संबंधित है। यह विभिन्न स्तरों पर हस्तक्षेप के माध्यम से आपदा जोखिम को कम करने के प्रत्येक पहलू के लिए संकेतक कार्य निर्धारित करता है।

चौथा अध्याय आपातकालीन तैयारी की योजना बनाने और धरोहर स्थलों एवं सीमाओं के लिए प्रतिक्रिया देने, लोगों की निकासी के साथ-साथ अस्थायी स्थिरीकरण प्रक्रियाओं के दृष्टिकोण को रेखांकित करने की योजना पर विचार करता है। यह उपलब्ध संसाधनों के अनुसार भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को वितरित करने वाली आपातकालीन मोचन टीम की संभावित संरचना पर प्रकाश डालता है।

पांचवां अध्याय आपदा के बाद मूल्यांकन, रीकवरी और पुनर्वास प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। यह दस्तावेजों और स्थलों एवं इमारतों के आकलन, आपातकालीन स्थिरीकरण प्रक्रियाओं और अस्थायी सुरक्षा के लिए विचारों के मूल्यांकन के लिए मूल प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है। यह रीकवरी के लिए एक व्यापार योजना स्थापित करने और जोखिम को कम करने के साथ साथ पुनर्वास के महत्व पर भी प्रकाश डालता है।

छठा अध्याय संस्थागत स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और विशेषज्ञता का निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण मॉड्यूल और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करता है। अंत में, अध्याय सात में उन कार्रवाइयों का सारांश शामिल है जिन्हें इन दिशानिर्देशों को लागू करने की रणनीति के भाग के रूप में विभिन्न मंत्रालयों एवं संस्थानों द्वारा लागू किया जाना चाहिए। अध्याय 2, 3, 4, 5 और 6 में अनुबंध के भाग के रूप में संकेतक चेकलिस्ट दी गई है। सारणियां और संसाधन अनुभाग में मैनुअल और सामान्य संदर्भ सामग्री की एक श्रृंखला सूचीबद्ध है जो धरोहर प्रबंधकों के नियोजन प्रयासों में उनकी मदद करती है।

इन दिशानिर्देशों को एक टेम्पलेट के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि आपदा के बाद रीकवरी के लिए जोखिम आकलन अभ्यास करके, जोखिम न्यूनीकरण उपायों, आपातकालीन मोचन उपायों को अपनाने और योजना बनाकर अपनी आपदा जोखिम प्रबंधन योजनाओं एवं रणनीतियों को विकसित करने के लिए सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं सीमाओं के हितधारकों के लिए एक विकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए।

दृढ़ता से इस बात की अनुशंसा की जाती है कि इस दस्तावेज में निर्धारित ढांचे और कार्यों को सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं सीमाओं से जुड़े लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से अपनाया गया है।

स्वीकार्य जोखिम: मौजूदा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और पर्यावरणीय स्थितियों के कारण किसी समाज या समुदाय द्वारा स्वीकार्य माना जाने वाला संभावित नुकसान का स्तर।

क्षमता: किसी समुदाय, समाज या संगठन में उपलब्ध सभी शक्तियों, विशेषताओं और संसाधनों का संयोजन जिसका उपयोग सहमत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

क्षमता विकास: वो प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग, संगठन एवं समाज ज्ञान, कौशल, प्रणाली और संस्थानों में सुधार करके सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित तरीके से अपने क्षमताओं को प्रोत्साहित एवं विकसित करते हैं।

जलवायु परिवर्तन: (क) अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (आईपीसीसी) जलवायु परिवर्तन को परिभाषित करता है: “जलवायु की स्थिति में परिवर्तन जिसे साधनों में परिवर्तन करके और/या इसके गुणों की विविधता द्वारा पहचाना जा सकता है (उदाहरण के लिए, सांख्यिकीय परीक्षणों का उपयोग करके) और जो आमतौर पर दशकों या उससे अधिक के लिए बना रहता है। जलवायु में परिवर्तन प्राकृतिक आंतरिक प्रक्रियाओं या बाहरी बलों, या वायुमंडल की संरचना या भूमि उपयोग में लगातार मानववंशीय परिवर्तनों के कारण हो सकता है।” (ख) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) जलवायु परिवर्तन को परिभाषित करता है: “जलवायु परिवर्तन जो मानव गतिविधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, जो वैश्विक वातावरण की संरचना को बदलता है और जो तुलनात्मक समय अवधि में प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता को बढ़ाता है”।

संरक्षण: सांस्कृतिक धरोहर, इसके इतिहास एवं अर्थ को समझने के लिए डिजाइन किए गए सभी प्रयास इसकी सामग्री की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं और आवश्यकतानुसार, इसकी प्रस्तुति, बहाली और वृद्धि करते हैं (आईसीओएमओएस, 1994)।

सांस्कृतिक धरोहर के संचरण से संबंधित, इसके महत्वपूर्ण मूल्यों को सबसे बड़ी कोटि (गेटी संरक्षण संस्थान, 2008) के लिए बरकरार और सुलभ बनाया गया है।

सांस्कृतिक विरासत: सांस्कृतिक धरोहर एक समुदाय द्वारा विकसित जीवन जीने के तरीकों की अभिव्यक्ति है और यह सीमा शुल्क, प्रथाओं, स्थानों, वस्तुओं, कलात्मक अभिव्यक्तियों और मूल्यों सहित पीढ़ी दर पीढ़ी पारित होती है। सांस्कृतिक धरोहर को अक्सर या तो अमूर्त या मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में व्यक्त किया जाता है (आईसीओएमओएस, 2002)।

आपातकालीन तैयारी और आपदा मोचन की योजना

यूनेस्को डब्ल्यूएचसी के अनुसार,

विश्व धरोहर सम्मेलन के एक लेख में परिभाषित किए अनुसार सांस्कृतिक धरोहर को स्मारकों, इमारतों के समूह और सांस्कृतिक मूल्य वाले स्थलों को शामिल करने के लिए समझा जाता है।

लेख 1

इस सम्मेलन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को 'सांस्कृतिक धरोहर' माना जाएगा:

स्मारक: वास्तुशिल्प कार्य, विशाल मूर्तिकला और चित्रकला, तत्वों या पुरातात्विक प्रकृति के ढांचे, शिलालेख, गुफा आवास एवं सुविधाओं का संयोजन, जो इतिहास, कला या विज्ञान के दृष्टिकोण से उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के हैं;

इमारतों के समूह: अलग या जुड़ी हुई इमारतों के समूह, जो अपनी वास्तुकला, अपनी एकरूपता या परिदृश्य में अपने स्थान के कारण, इतिहास, कला या विज्ञान के दृष्टिकोण से उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के हैं;

स्थल: मनुष्य के कार्य या प्रकृति और मनुष्यों के संयुक्त कार्य, और पुरातात्विक स्थलों सहित वो क्षेत्र, जो ऐतिहासिक, सौंदर्य, जातीय या मानव विज्ञान के दृष्टिकोण से उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के हैं (यूनेस्को 1972)।

सांस्कृतिक महत्व: सांस्कृतिक महत्व का अर्थ है अतीत, वर्तमान या भविष्य की पीढ़ियों के लिए सौंदर्य, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, सामाजिक या आध्यात्मिक मूल्य। सांस्कृतिक महत्व स्वयं में, कपड़ों में, सेटिंग, उपयोग, संघ, अर्थ, अभिलेख, संबंधित स्थानों और संबंधित वस्तुओं में निहित है। स्थानों का अलग-अलग व्यक्तियों या समूहों के लिए अलग अलग मूल्य हो सकता है। (आईसीओएमओएस ऑस्ट्रेलिया, 1994)

आपदा: किसी समुदाय या समाज के कामकाज में गंभीर व्यवधान, जिसमें व्यापक मानव, भौतिक, आर्थिक या पर्यावरणीय हानि और प्रभाव शामिल हैं, जो प्रभावित समुदाय या समाज को अपने संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता से अधिक होते हैं।

अनावरणता: खतरनाक क्षेत्रों में लोगों, संपत्ति, आजीविका, प्रणाली या अन्य तत्वों की उपस्थिति और संख्या (और इसलिए संभावित क्षति के अधीन) को अनावरणता के रूप में जाना जाता है।

खतरे: एक खतरनाक घटना, पदार्थ, मानव गतिविधि या स्थिति जो जीवन हानि, चोट या अन्य स्वास्थ्य प्रभावों, संपत्ति की क्षति, आजीविका एवं सेवाओं की हानि, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवधान, या पर्यावरणीय क्षति का कारण हो सकती है।
खतरों की सूची (खतरे जो सांस्कृतिक धरोहर स्थलों और परिसर को प्रभावित कर सकते हैं)

- हिमस्खलन: बर्फ हिमस्खलन, बर्फ स्लाइड
- शीत लहर: अत्यधिक मौसम, चरम तापमान, ठंडा तापमान

- चक्रवात: तूफान, उष्णकटिबंधीय तूफान, उष्णकटिबंधीय अवसाद, तूफान
- भूकंप: भूकंपीय, टेक्टोनिक
- आग
- बाढ़: गंदगीय इसमें शामिल हैं फ्लैश बाढ़
- गर्ग हवाएं: अत्यधिक मौसम, चरम तापमान, उच्च तापमान
- कीट उपद्रव
- भूस्खलन: मलबे का प्रवाह, मिट्टी का प्रवाह, मृदा स्खलन, स्खलन, लाहर, चट्टान गिरना, और लुढ़कना
- सीबीआरएन (रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु): जैविक खतरे, रासायनिक प्रदूषण, परमाणु विकिरण जोखिम
- तूफानी लहरे: तटीय बाढ़, लहर वृद्धि, तेज़ हवाएं
- तकनीकी आपदा: रासायनिक फैलाव/रिसाव, विस्फोट, ढहना, गैस का रिसाव, शहरी आग, तेल फैलना, तकनीकी विफलता
- आंधी: वाटरस्पाउट, चक्रवात, भंवर
- सुनामी
- ज्वालामुखी: विस्फोट, लावा, मैग्मा, पिघला हुआ पदार्थ, पायरोक्लास्टिक प्रवाह, ज्वालामुखीय चट्टान, ज्वालामुखीय राख
- जंगली आग: झाड़ी में आग, जंगल की आग, अनियंत्रित आग, वनभूमि में आग

शमन: खतरों और संबंधित आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों की कमी या सीमा।

संग्रहालय: संग्रहालय समाज की सेवा और उसके विकास में एक गैर-लाभकारी, स्थायी संस्था है। यह जनता के लिए खोला जाता है, जो शिक्षा, अध्ययन एवं आनंद के उद्देश्य के लिए मानवता की मूर्त और अमूर्त धरोहर को अधिग्रहीत, संरक्षित, शोधित, संचारित एवं प्रदर्शित करता है।

प्राकृतिक खतरे: प्राकृतिक प्रक्रिया या घटना जो जीवन क्षति, चोट या अन्य स्वास्थ्य प्रभावों, संपत्ति की क्षति, आजीविका और सेवाओं की हानि, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवधान, या पर्यावरणीय क्षति का कारण हो सकती है।

तैयारी: आकस्मिक या वर्तमान खतरे की घटनाओं या परिस्थितियों के प्रभावों का प्रभावी ढंग से अनुमान लगाने, उस पर प्रतिक्रिया देने, और उससे रोकवर होने के लिए सरकार, पेशेवर मोचन एवं रोकवरी संगठनों, समुदायों और व्यक्तियों द्वारा विकसित ज्ञान एवं क्षमताएं।

रोकथाम: खतरों और संबंधित आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों से सीधे बचाव।

जन जागरूकता: आपदा जोखिमों, इसके कारकों और इसकी अनावरणता एवं असुरक्षितता को कम करने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में सामान्य ज्ञान।

आपातकालीन तैयारी और आपदा मोचन की योजना

रीकवरी: आपदा जोखिम कारकों को कम करने के प्रयासों सहित आपदा प्रभावित समुदायों की सुविधाओं, आजीविका और जीवन स्थितियों की उचित बहाली, और सुधार।

पुनर्निर्माण: पुनर्निर्माण का अर्थ है किसी स्थान को उसकी पूर्व स्थिति में वापस लाना। (आईसीओएमओएस ऑस्ट्रेलिया 1994)

बहाली: बहाली की प्रक्रिया एक बेहद विशिष्ट ऑपरेशन है। इसका उद्देश्य स्मारक के सौंदर्य और ऐतिहासिक मूल्य को संरक्षित और प्रकट करना है और यह मूल सामग्री एवं प्रामाणिक दस्तावेजों के सम्मान पर आधारित है। यह उस बिंदु पर रुक जाना चाहिए जहां अनुमान शुरू होता है, और इस मामले में इसके अलावा कोई भी अतिरिक्त कार्य जो अनिवार्य है, वास्तुशिल्प संरचना से अलग होना चाहिए और समकालीन स्टाम्प रखना चाहिए। किसी भी मामले में बहाली स्मारक के पुरातात्विक और ऐतिहासिक अध्ययन के बाद की जानी चाहिए। (आईसीओएमओएस, 1964)

जोखिम: किसी घटना की संभावना और उसके नकारात्मक परिणामों का संयोजन।

जोखिम मूल्यांकन: यह लोगों, सम्पत्ति, सेवाओं, जिंदगियों एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले संभावित खतरों का विश्लेषण करके और जोखिम की मौजूदा स्थितियों का मूल्यांकन करके जोखिम की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने के लिए एक पद्धति है। टिप्पणी: जोखिम आकलन (और संबंधित जोखिम प्रतिचित्रण) में शामिल हैं; खतरों के स्थान, तीव्रता, आवृत्ति और संभावना जैसी तकनीकी विशेषताओं की समीक्षा; भौतिक सामाजिक, स्वास्थ्य, आर्थिक और पर्यावरणीय आयाम सहित जोखिम एवं असुरक्षितता का विश्लेषण; और संभावित जोखिम परिदृश्यों के संबंध में प्रचलित और वैकल्पिक प्रतियों की क्षमताओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन। गतिविधियों की इस श्रृंखला को कभी-कभी जोखिम विश्लेषण प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है।

सतत विकास: विकास जो आने वाली पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करता है।

मूल्य: कानून, प्राधिकरणों, और/या अन्य हितधारकों द्वारा धरोहर स्थलों और वस्तुओं की सकारात्मक विशेषताएं। ये विशेषताएं वो हैं जो स्थल को महत्वपूर्ण बनाती हैं, और उनके पास अक्सर कारण होता है कि समाज और अधिकारियों को इस विशिष्ट सांस्कृतिक स्थल या वस्तु में रुचि क्यों रखनी चाहिए। आमतौर पर, समाज के भीतर समूह संसाधन के मूल्य से लाभ की अपेक्षा करते हैं (जीसीआई, 2004)।

भेद्यता: किसी समुदाय, प्रणाली या संपत्ति की विशेषताएं और परिस्थितियां जो इसे खतरे के हानिकारक प्रभावों के लिए अतिसंवेदनशील बनाती हैं।

विश्व धरोहर संपत्ति: विश्व धरोहर सम्पत्ति को विश्व धरोहर सम्मेलन के अनुच्छेद 1 और 2 में परिभाषित किया गया है और विश्व धरोहर सूची पर उनके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के आधार पर अंकित किया गया है, जिसे विश्व धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देशों में एक या अधिक मानदंडों (i) - (x) का अनुपालन करके पूरा किया गया है। (यूनेस्को/डब्ल्यूएचसी, 2008a)

2013 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार धरोहर भवनों के संरक्षण की पुस्तिका के अनुसार,

“**धरोहर भवन**” का अर्थ है एक या अधिक परिसरों या उसके किसी भी हिस्से और/या संरचना और/या शिल्पकृति की कोई इमारत जिसके लिए ऐतिहासिक और/या स्थापत्य और/या कारीगरी और/या सौंदर्य और/या सांस्कृतिक और/या पर्यावरणीय और/या पारिस्थितिकीय उद्देश्य के लिए संरक्षण और/या सुरक्षा की आवश्यकता है और इस तरह के भवन या उसके हिस्से के आस-पास की भूमि के इस हिस्से को बाड़ लगाने या कवर करने या इस तरह के भवन के ऐतिहासिक और/या वास्तुशिल्प और/या सौंदर्य और/या सांस्कृतिक मूल्य को संरक्षित करने की आवश्यकता हो सकती है।

“**धरोहर की सीमा**” का अर्थ है ऐसी कोई भी जगह जिसके ऐतिहासिक और/या स्थापत्य और/या सौंदर्य और/या सांस्कृतिक और/या पर्यावरण और/या पारिस्थितिकीय उद्देश्य के लिए संरक्षण और/या रक्षा की आवश्यकता है। दीवार या किसी विशेष क्षेत्र या स्थान या इमारत की अन्य सीमाएं या इस तरह के स्थान को इसके चारों ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा से घेर सकती हैं।

“**प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली**” - हानि या नुकसान की संभावितता को कम करने के लिए खतरे से घिरे व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों द्वारा उचित कदम उठाने के लिए समय-समय पर और सार्थक चेतावनी जानकारी उत्पन्न करने एवं प्रसारित करने के लिए आवश्यक क्षमताओं का सेट।

1.1 भारत में सांस्कृतिक धरोहर स्थल एवं सीमाएं

धरोहर का दायरा विशाल और बहुमुखी है और इसे विभिन्न हितधारकों के समूहों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई तरीकों से पहचाना और वर्गीकृत किया गया है। व्यापक रूप से, धरोहर प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर की श्रेणियों के अंतर्गत आता है। भारत में सांस्कृतिक धरोहर का एक विशाल भंडार है, जो ऐतिहासिकता, पैमाने, संघ, अभिव्यक्ति और शैलियों में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होता है। हालांकि, इस सांस्कृतिक धरोहर के बड़े पैवंद वर्तमान में अज्ञात और असुरक्षित हैं। धरोहर जिसे आधिकारिक तौर पर पहचाना गया है और जो विभिन्न एजेंसियों द्वारा विधायी संरक्षण के तहत है, दोनों प्राकृतिक और मानव निर्मित विभिन्न खतरों के तहत है।

मूर्त धरोहर में इमारतें और ऐतिहासिक स्थल, स्मारक, कलाकृतियां आदि शामिल हैं, जिन्हें भविष्य के लिए संरक्षण के योग्य माना जाता है। इनमें एक विशिष्ट संस्कृति की पुरातत्व, वास्तुकला, विज्ञान या प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण वस्तुएं शामिल हैं (यूनेस्को 1972)। मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर निकटता से जुड़ी हुई हैं।

विशिष्ट रूप से दर्शाया गया भाग इस दिशानिर्देश दस्तावेज के दायरे को इंगित करता है। दिशानिर्देश परिभाषित सांस्कृतिक धरोहर स्थलों द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट मुद्दों एवं चुनौतियों का समाधान करेंगे। इनमें निम्नलिखित पहचानी गई श्रेणियां शामिल होंगी:


1. पुरातात्विक स्थल और अवशेष

2. ऐतिहासिक, कलात्मक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्मारक और स्थल

1972, यूनेस्को सम्मेलन (विश्व धरोहर) पेरिस, 16 नवंबर 1972 (§ 1, 4, 5) 1 में अपनाई गई विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा से संबंधित सम्मेलन है।

इस सम्मेलन के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित को 'सांस्कृतिक धरोहर' माना जाएगा:

स्मारक: वास्तुशिल्प कार्य, विशाल मूर्तिकला और चित्रकला, तत्व या पुरातात्विक प्रकृति के ढांचे, शिलालेख, गुफा आवास और सुविधाओं का संयोजन, जो इतिहास, कला या विज्ञान के दृष्टिकोण से उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की हैं; इमारतों का समूह; अलग-अलग या जुड़ी इमारतों का समूह, जो अपनी वास्तुकला, एकरूपता या परिदृश्य के कारण, इतिहास, कला या विज्ञान के दृष्टिकोण से उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की हैं; स्थल: मनुष्य के कार्य या प्रकृति और मनुष्यों के संयुक्त कार्यों, और पुरातात्विक स्थलों सहित क्षेत्रों, जो ऐतिहासिक, सौंदर्य, जातीय या मानव विज्ञान के दृष्टिकोण से उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के हैं।



चित्र 1 सांस्कृतिक धरोहर स्थलों और सीमाओं का दायरा

3. ऐतिहासिक सीमा, कस्बे, शहर और गांव जिनका समष्टि के रूप में महत्व है। इन्हें सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है
4. पारंपरिक और स्थानीय इमारतें जो एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक अभ्यास या परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं

केंद्रीय प्राधिकरण जिसे भारत में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले स्थलों (और सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं) की पहचान, संरक्षण और प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है, संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) है। यह अपने राज्य मंडल, संग्रहालयों, खुदाई शाखाओं, प्रागैतिहासिक शाखा, एपियाफी शाखाओं, विज्ञान शाखा, बागवानी शाखा, भवन सर्वेक्षण परियोजना, मंदिर सर्वेक्षण परियोजनाओं और अंडरवाटर पुरातत्व विंग के माध्यम से संचालित होता है। यह एएमएसआर अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत कार्य करता है। 3683 से अधिक स्थलों को केंद्रीय संरक्षित स्मारकों और स्थलों के रूप में पहचान दी गई है।

इसके अलावा, राज्यों में उनके व्यक्तिगत विधायी कार्य होते हैं और राज्य ने स्मारकों और स्थलों की पहचान दी है। राज्य अधिनियमों के तहत उनके पास विशेष अधिसूचित क्षेत्र भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कई शहरों की मास्टर-प्लान विशेष धरोहर परिसर, अधिसूचित क्षेत्रों आदि की पहचान करती हैं जिन्हें शहर प्रशासन के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। इसलिए, भारत में निर्मित सांस्कृतिक धरोहर के लिए कानूनी महत्वाकांक्षा अपने क्षेत्राधिकार के आधार पर महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होती है।

एएसआई और राज्य पुरातत्व विभागों के तहत स्मारकों और स्थलों के अलावा, 2016-17 तक भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में कुल 36 स्थलों को अंकित किया गया है। इनमें उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य वाले स्थल शामिल हैं और ये प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर का मिश्रण हैं। इनमें से कई स्थल केंद्रीय या राज्य संरक्षित स्मारक भी हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची पर एक शिलालेख की निगरानी यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन (1972) और परिचालन दिशानिर्देशों के तहत संरक्षण पेशेवरों के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा की जाती है।

इन सूचियों के अलावा, 1984 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर न्यास (आईएनटीएसीएच) भी पुरातात्विक, वास्तुशिल्प, ऐतिहासिक और सौंदर्य महत्व की असुरक्षित इमारतों की सूची रखता है। आईएनटीएसीएच ने अपने विभिन्न राज्य अध्यायों के माध्यम से पूरे भारत में हजारों असुरक्षित धरोहर संरचनाओं को सूचीबद्ध किया है और धरोहर की सीमाओं और बस्तियों को भी प्रलेखित किया है।


केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारक एवं स्थल	राज्य संरक्षित स्मारक एवं स्थल	धरोहर शहर, पड़ोस, गांव एवं स्थल	असुरक्षित धरोहर स्थल
<ul style="list-style-type: none"> भारत पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित 	<ul style="list-style-type: none"> विभिन्न राज्य पुरातत्व अधिनियमों के तहत संरक्षित 	<ul style="list-style-type: none"> एमओयूडी के तहत प्रशासित एमओटी के तहत प्रशासित एमओआरडी के तहत प्रशासित राज्य सरकारों एवं स्थानीय प्राधिकरण आदि के तहत प्रशासित 	<ul style="list-style-type: none"> आईएनटीएसीएच जैसी एजेंसियों द्वारा सूचीबद्ध धर्मार्थ न्यास, मंदिर न्यास आदि द्वारा मान्यताप्राप्त निजी कंपनियों द्वारा प्रशासित

चित्र 2 सांस्कृतिक धरोहर स्थलों और सीमाओं का अवलोकन

1.1.1 धरोहर मूल्य/सांस्कृतिक महत्व

धरोहर मूल्य सांस्कृतिक धरोहर स्थल के अर्थशास्त्र में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से योगदान दे सकते हैं और पर्यटन, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि जैसे मार्गों के माध्यम से आय उत्पन्न कर सकते हैं। आर्थिक पूंजी के संदर्भ में धरोहर मूल्यों का सटीक प्रमात्रीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, फिर भी धरोहर स्थलों एवं स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के बीच मजबूत संबंध पूरे देश में पाया जा सकता है। इस प्रकार, धरोहर स्थलों को आपदा जोखिम का आकलन करते समय, धरोहर मूल्य के योगदानकर्ताओं को आपदा के संभावित प्रभाव पर विचार करना आवश्यक है। धरोहर मूल्य साझी स्मृति और स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पहचानों में भी योगदान देता है, जो आपदा के बाद रीकवरी की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सांस्कृतिक धरोहर के स्थलों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण की योजना बनाते समय अंतर का महत्वपूर्ण बिंदु न केवल स्थलों से संबंधित जीवन या जीविका के लिए खतरों को संबोधित करना है, बल्कि स्थल द्वारा प्रदत्त धरोहर मूल्यों के खतरों को भी संबोधित करना है। इन मूल्यों को स्थल के भौतिक ढांचे द्वारा दर्शाया जा सकता है, जैसे इसकी वास्तुशिल्प या कलात्मक विशेषताएं, या इसके उपयोग से इसका प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। किसी भी मामले में, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण इन मूल्यों की सुरक्षा के साथ संघर्ष कर सकते हैं, इसलिए उन्हें प्रलेखित, मूल्यांकित एवं महत्व देना जरूरी है।



चित्र 3 आनुवंशिक मूल्य के पहलू

इसके अलावा, यह देखते हुए कि सांस्कृतिक धरोहर स्थल उनकी योजना, निर्माण प्रौद्योगिकियों, स्थानीय हितधारकों के साथ सहयोग और अन्य कारणों से आपदाओं के प्रभाव को कम करने में भी योगदान दे सकते हैं। उन्हें पड़ोस, सीमा या शहरी स्तर पर आपदा जोखिम प्रबंधन की समग्र योजना में संभावित संपत्ति के रूप में देखा जा सकता है।

इसके अलावा, धरोहर मूल्य का स्तर भी इसके योगदान पर विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। सांस्कृतिक धरोहर स्थलों और सीमाओं का समग्र मूल्य निम्नलिखित पैमाने पर महत्वपूर्ण हो सकता है:

1. **वैश्विक:** उदाहरण के लिए, 1972 के यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित मानदंडों की एक श्रृंखला के अनुसार यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के हैं
2. **राष्ट्रीय:** भारत के लिए, राष्ट्रीय महत्व वाले स्थलों को एएसआई द्वारा मान्यता दी गई है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ऐतिहासिक शहरों और शहरी सीमाओं को भी मान्यता दी गई है।
3. **क्षेत्रीय:** राज्य पुरातत्व विभाग, आईएनटीएसीएच राज्य अध्याय, मास्टर प्लान क्षेत्रीय धरोहर स्थलों की पहचान करते हैं। पर्यटन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने क्षेत्रीय स्तर पर कुछ क्षेत्रों और स्थलों को भी नामित किया है।
4. **स्थानीय:** आईएनटीएसीएच, गैर-सरकारी संगठन, स्थानीय नगरपालिका निकाय धरोहर स्थलों की पहचान कर सकते हैं जो स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण हैं

सांस्कृतिक धरोहर स्थलों का अतिव्यापी महत्व हो सकता है, जैसे कि वे अलग-अलग पैमाने पर विभिन्न हितधारकों को विभिन्न प्रकार के धरोहर मूल्य धारण कर सकते हैं।


1.1.2 सांस्कृतिक धरोहर स्थलों का प्रारूप वर्गीकरण

धरोहर स्थलों के संभावित जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने के लिए; देश में सांस्कृतिक धरोहर स्थलों की सीमा की समग्र समझ रखना महत्वपूर्ण है। जोखिम का आकलन करने के प्रयोजनों के लिए, भारत में धरोहर स्थलों को व्यापक रूप से निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. स्वामित्व और प्रबंधन
2. पैमाना
3. पुरातत्व या वास्तुकला का प्रारूप वर्गीकरण
4. प्रयोग
5. महत्व

1.2 आपदा और सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं सीमाओं पर उनके प्रभाव

हाल के वर्षों में आपदाओं की आवृत्ति और जीवन, संपत्ति एवं आजीविका पर उनके परिणामी प्रभावों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है (यूएनआईएसडीआर 2009)। तेजी से हो रहे शहरीकरण, बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन इत्यादि ने राष्ट्रों विशेषकर भारत जैसे विकासशील देशों की असुरक्षितता में वृद्धि हुई है।



चित्र 4 सांस्कृतिक धरोहर पर आपदाओं के प्रभाव

हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में सांस्कृतिक धरोहर पर आपदाओं का प्रभाव विशेष रूप से गंभीर रहा है। उदाहरण के लिए, 2001 में भुज भूकंप ने ग्रामीण और शहरी दोनों बस्तियों को व्यापक रूप से तहस नहस कर दिया था जिसमें कई राष्ट्रीय और राज्य संरक्षित स्मारक शामिल थे। भुज सिटी पैलेस, स्मारक छत्तरी (सेनोटैफ) को भूकंप के कारण भारी नुकसान हुआ था।

इसी प्रकार, 2011 में, सिक्किम भूकंप ने कई बौद्ध मठों और मंदिरों को नष्ट कर दिया था। 2013 में निचले हिमालय में आकस्मिक बाढ़ और 2014 में कश्मीर बाढ़ ने मंदिरों, महलों, ऐतिहासिक उद्यानों और संग्रहालयों को व्यापक रूप से नुकसान पहुंचाया था।

अस्थिर मानव गतिविधि और पारिस्थितिक तंत्र एवं पर्यावरण पर इसके प्रभाव के कारण ऐसी घटनाओं की आवृत्ति भी बढ़ रही है। सशस्त्र संघर्ष, आतंकवाद, बर्बरता की घटनाएं भी दुनिया के सभी कोनों में देखी जा रही हैं। घेराबंदी के तहत शहरों पर अक्सर उनकी निर्मित सांस्कृतिक धरोहर के विनाश के माध्यम से हमला किया जाता है। दार्जिलिंग में हालिया घटनाएं जहां यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पर हमला किया गया था, भारत में ऐसे कार्यों के कुछ उदाहरण हैं।

सांस्कृतिक धरोहर को हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के समय ढांचे में एक प्रमुख पहलू के रूप में पहचाना गया है। जागरूकता की सामान्य कमी और धरोहर को प्राथमिकता देने की कमी इस क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों में से एक है। निर्मित सांस्कृतिक धरोहर के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं:

- उम्र में विविधता के कारण, निर्मित धरोहर के पैमाने और शारीरिक परिस्थितियों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण लागू करना मुश्किल है
- आपदाएं न केवल सांस्कृतिक धरोहर स्थलों और सीमाओं में रहने वाले, दौरा करने वाले, या प्रबंधन करने वाले लोगों के जीवन के लिए जोखिम पैदा करती हैं बल्कि भौतिक निर्माण में अवशोषित धरोहर मूल्यों के लिए भी जोखिम पैदा करती हैं।
- खराब प्रबंधन, उपेक्षा, जागरूकता की कमी निर्मित धरोहर के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण को जटिल करती है क्योंकि अक्सर ऐसी इमारतों की संरचनात्मक अखंडता समय के साथ गिर जाती है।
- हस्तक्षेप जो ऐसे स्थलों का जोखिम न्यूनीकरण कभी-कभी धरोहर मूल्य और सौंदर्यशास्त्र के लिए खतरा पैदा कर सकता है।
- निर्मित धरोहर पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके नकारे गए स्थानों या तन्यकता के उदाहरण के रूप में कार्य करने का अवसर भी प्रदान कर सकती हैं और यह पहलू बड़े पैमाने पर जोखिम न्यूनीकरण की रणनीतियों के विकास के दौरान उपयोगी हो सकता है।

इसके अलावा, भारत में सांस्कृतिक धरोहर ने आपदा जोखिम प्रबंधन के संबंध में कुछ विशिष्ट चुनौतियों को पेश किया है।

पहलू	महत्वपूर्ण मुद्दे
जोखिम प्रबंधन	सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं सीमाओं के संबंध में, विशेष रूप से खतरनाक प्रतिचित्रण एवं पहचान के संबंध में उद्यतन सतत जानकारी सुव्यवस्थित तरीके से उपलब्ध है
	हितधारकों और स्थानीय समुदायों की पहचान, और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल करना
जोखिम से राहत	एक ही स्थल या सीमा के विभिन्न पहलुओं से निपटने वाली कई एजेंसियां, अंतर-एजेंसी समन्वय मुद्दों का कारण बनती हैं
	ऐतिहासिक शहरों, बस्तियों और सीमाओं में निर्मित ढांचा और बुनियादी ढांचे का उच्च घनत्व है जो बहुत कम या बिना किसी दस्तावेज के विज्ञापन-प्रसार में विकसित और परिवर्तित हो गए हैं
	खराब प्रबंधन, उपेक्षा और जागरूकता की कमी ने निर्मित धरोहर के लिए आपदा जोखिम में कमी को और जटिल बना दिया है क्योंकि अक्सर ऐसी इमारतों की संरचनात्मक अखंडता समय के साथ गिर जाती है
	हस्तक्षेप जो ऐसे स्थलों के जोखिम को कम कर देगा, कभी-कभी धरोहर मूल्य और सौंदर्यशास्त्र के लिए खतरा पैदा कर सकता है
आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया	सुलभता और सम्पर्कता के मामले में जटिल प्रासंगिक परिदृश्य
	कई "जीवित" धरोहर स्थल या सीमाएं जो सक्रिय रूप से उपयोग में हैं, आगंतुकों के चरम स्तर के उच्च स्तर की वजह से अधिक जोखिम में हैं
	अधिकांश "मानक" तैयारी और मोचन प्रक्रियाओं को सांस्कृतिक धरोहर स्थलों में धरोहर स्थल के मूल्यों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किए बिना लागू करना असंभव है
	भौतिक ढांचे की 'प्रामाणिकता' के सामान्य विचार अक्सर भारतीय (और दक्षिण एशियाई) संदर्भ में पुनर्निर्माण के विचारों के साथ संघर्ष करते हैं
आपदा के बाद वसूली और पुनर्वास	चूंकि आधिकारिक सूचियों में निर्मित धरोहर का एक बड़ा प्रतिशत को पहचान नहीं दी गई है। आपदा परिदृश्य में क्षति और हानि का आकलन बेहद समस्याग्रस्त है
	यहां पारंपरिक कला, शिल्प एवं सांस्कृतिक प्रथाओं और निर्मित धरोहर के बीच घनिष्ठ संबंध है, लेकिन इसमें से अधिकतर के लिए जिम्मेदार नहीं है। निर्मित धरोहर के नुकसान के साथ, सांस्कृतिक धरोहर के अमूर्त पहलुओं को भी जोखिम में डाल दिया गया है

चित्र 5 आपदा के लिए प्रमुख मुद्दे सांस्कृतिक धरोहर स्थलों का प्रबंधन हैं

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हालिया दृष्टिकोण, आपदा जोखिम प्रबंधन के दायरे में विचार करने के लिए एक पहलू के रूप में सांस्कृतिक धरोहर के समावेशन की ओर एक बदलाव को चिह्नित किया है। 2005 में, *हयोगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन* (यूएनआईएसडीआर 2005) ने "पारंपरिक एवं स्वदेशी ज्ञान और सांस्कृतिक धरोहर" की संभावित भूमिका और आपदा जोखिम न्यूनीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया है। एक दशक बाद, *सैंडर्ड आपदा जोखिम न्यूनीकरण ढांचा* (यूएनआईएसडीआर 2015) इस क्षेत्र में किए गए प्रगति के स्तर को दिखाता है। यह प्राथमिकता क्षेत्र 1 और 3 में धरोहर की भूमिका की पहचान करता है, और विशेष रूप से आवश्यकता पर प्रकाश डालता है:

"सांस्कृतिक और संग्रह संस्थानों और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहर एवं धार्मिक हितों वाले अन्य स्थानों का संरक्षण या समर्थन करने के लिए" (प्राथमिकता 3, एक्शन (d))

इसके अलावा, सतत विकास के लिए समग्र एजेंडा के भीतर सांस्कृतिक धरोहर और सांस्कृतिक संस्थानों की भूमिका को पहचानना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा दृढ़ता से निम्न की आवश्यकता को स्वीकार करता है:

“दुनिया की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करें”

(लक्ष्य 11.4 - शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना)। हमारे स्वयं के राष्ट्रीय नीति ढांचे भी इस बदलाव को दृष्टिकोण में दर्पण करते हैं। एनडीएमए नीति (2009) आपदा के जोखिम को कम करने और सांस्कृतिक धरोहर स्थलों के लिए जोखिम न्यूनीकरण पर जोर देने की आवश्यकता में स्वदेशी ज्ञान प्रणाली द्वारा निभाई गई भूमिका को भी स्वीकार करती है।

प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों के संरक्षण के लिए हाल ही में तैयार की गई राष्ट्रीय नीति (एसआई 2014) आपदा प्रबंधन को इसकी चिंताओं (अनुच्छेद 15) के रूप में पहचानती है और केंद्रीय संरक्षित स्मारकों एवं स्थलों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए कुछ बुनियादी कदमों पर प्रकाश डालती है।

1.3 मौजूदा विधान ढांचा - एक अवलोकन

1.3.1 भारत में धरोहर स्थलों के लिए ढांचा

“भारत या किसी हिस्से में रहने वाले नागरिकों को अपनी भाषा, स्क्रिप्ट या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है”

(संविधान का अनुच्छेद 29)

“खराबी, गिरावट, विनाश, हटाने, निपटान या निर्यात से राष्ट्रीय महत्व होने के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत या उसके तहत घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक हित के हर स्मारक या स्थान या विषय की रक्षा करना राज्य का दायित्व होगा”

(संविधान का अनुच्छेद 49)

“हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध धरोहर को मूल्यवान और संरक्षित करना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य होगा”

(संविधान का अनुच्छेद 51 A (F))

भारतीय संविधान संस्कृति के विभिन्न मूर्त एवं अमूर्त पहलुओं की पहचान, मूल्यांकन और संरक्षण के लिए प्राथमिक ढांचे को निर्धारित करता है। संस्कृति मंत्रालय सांस्कृतिक धरोहर के संबंध में इस ढांचे के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च निकाय है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से कार्य करता है। एएसआई और एमओसी के तहत, भारत में सांस्कृतिक धरोहर पर लागू होने वाले राष्ट्रीय कानूनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- एएमएसआर अधिनियम 2010
- प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 और प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष नियम, 1959
- प्राचीन वस्तुएं एवं कला निधि अधिनियम, 1972 और प्राचीन वस्तुओं एवं कला निधि नियम, 1973

कई राज्यों में राज्य कानून भी होते हैं जो राज्य पुरातत्व स्मारकों और स्थलों पर लागू होते हैं।

1.3.2 भारत में आपदा प्रबंधन के लिए ढांचा

भारत में आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (2005) के तहत गठित शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दायरे में है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन (डीएम) के लिए संस्थागत, कानूनी, वित्तीय और समन्वय तंत्र को वर्णित करता है।

दूसरा उपकरण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम), 2009 है जो कहती है:

“विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाया गया आपदा एवं सहयोग तंत्र स्वदेशी ज्ञान धरोहर संरचनाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ उचित महत्व देगा।”

मई 2016 में, एनडीएमए ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) की स्थापना की है जो कि अल्पकालिक, मध्यावधि और दीर्घकालिक अवधि में प्राथमिकता के माध्यम से निरंतर कार्रवाई करके राष्ट्रीय स्तर पर आपदा लचीलापन बढ़ाने के उपायों का पालन करता है। एनडीएमपी सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण ढांचे के भीतर काम करता है, जिसके लिए भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है और आपदा प्रबंधन चक्र के सभी चरणों के लिए सरकारी एजेंसियों को ढांचा और दिशा प्रदान करता है। एनडीएमपी के जनादेश में, आपदा जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को विकसित करने और उन्हें अपनी समग्र योजना एवं प्रशासन के भीतर एकीकृत करने के लिए मंत्रालयों और सार्वजनिक संस्थानों को अनिवार्य किया गया है। केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों के आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एनडीएमए की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ये दिशानिर्देश मंत्रालयों और संस्थानों के लिए अपनी खुद की डीएम योजनाओं को विकसित करने के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं जिन्हें एनडीएमए (एनडीएमए 2009) से अनुमोदन और समीक्षा की आवश्यकता होती है। इसमें एमओसी और एएसआई के तहत प्रबंधित विभिन्न साइटों और परिसर शामिल हैं।

1.4 विज्ञान, दृष्टिकोण और उद्देश्य

निर्मित धरोहर के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश सभी केंद्रीय और राज्य संरक्षित स्मारकों एवं स्थलों पर लागू होंगे, विशेष क्षेत्रों और ऐतिहासिक परिसर की पहचान की जाएगी।

सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं सीमाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों की अंतर्निहित दृष्टि यह सुनिश्चित करना है कि सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान उन लोगों के लिए सुरक्षित और सुरक्षित हैं जो उनके साथ संलग्न हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके द्वारा संजोया धरोहर मूल्य संरक्षित है। इस दस्तावेज का प्राथमिक उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनन ढांचे के भीतर सांस्कृतिक धरोहर की विशिष्ट आवश्यकताओं को एकीकृत करना है।

आपदा जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के उद्देश्यों को संक्षेप में सारांशित किया गया है:

मूल्यांकन

- उन पहलुओं की जांच और मूल्यांकन करें जो स्थलों और सीमाओं के सांस्कृतिक महत्व में योगदान देते हैं
- उन पहलुओं की जांच और मूल्यांकन करें जो लोगों पर खतरों और उनके समग्र महत्व के कारक हैं

आपदा जोखिम रोकथाम और न्यूनीकरण / प्रशमन

- स्वीकार्य जोखिम और सांस्कृतिक मूल्य की समझ के आधार पर क्रियाओं को गंभीर, लघु अवधि और दीर्घकालिक के रूप में प्राथमिकता दें। जहां तक संभव हो सके न्यूनतम हस्तक्षेप का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
- स्थलों के भीतर, उच्चतम से निम्नतम महत्व के पहलुओं की पहचान करने वाली एक सूची तैयार की जानी चाहिए और उसे कर्मचारियों के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए। इसे जोखिम की रोकथाम और न्यूनीकरण के साथ-साथ आपातकालीन प्रतिक्रिया उपायों के दृष्टिकोण से सुलभ बनाना चाहिए
- आपदा के दौरान स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए विशिष्ट प्रयत्न किए जाने चाहिए जिससे नुकसान की संभावना कम से कम हो


आपातकालीन तैयारियां और प्रतिक्रिया

आपदा के बाद रिकवरी और पुनर्वास

- आपदा बाद के मूल्यांकन के लिए वस्तुओं एवं संपत्ति के अभिलिखित दस्तावेजों पर ध्यान देना चाहिए ताकि बाद में रिकवरी योजना को प्राथमिकता दी जा सके
- विरासत स्थलों और परिसरों के पुनर्वास को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे समुदाय की पहचान में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं।

चित्र 6 आपदा जोखिम चक्र के प्रत्येक चरण के लिए मुख्य उद्देश्य

आपदा प्रबंधन प्रक्रिया का उपयोग इस दस्तावेज़ को तैयार करने के लिए किया गया है जैसा कि नीचे चित्रित है :



चित्र 7 दिशानिर्देशों का संरचना


1.5 दिशानिर्देशों का दायरा

दिशानिर्देशों का प्राथमिक दायरा आपदा जोखिम प्रबंधन में अभ्यास करने के लिए अलग-अलग मंत्रालयों को चलाने में मदद करना है, साथ ही साथ अलग अलग सांस्कृतिक धरोहर स्थलों और सीमाओं के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन योजनाओं की तैयारी करना भी। इन्हें मौजूदा विधायी ढांचे के भीतर सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए, बल्कि इसके अलावा गतिशील नियोजन यंत्र भी हो सकते हैं ताकि वे संकीर्ण रणनीतियों के विपरीत मुख्यधारा प्रबंधन में आ सकें।

इन दिशानिर्देशों की सबसे बड़ी चुनौतियों और सीमाओं में से एक सांस्कृतिक धरोहर स्थलों और परिसर के विभिन्न पैमाने और टाइपोग्राफियों पर ध्यान देना है और इस कारण से स्थलों पर आपदा जोखिम प्रबंधन योजनाएं और बड़े शहर और जिला स्तर की योजनाओं के साथ एकीकृत होने वाले सटीक योजना से देश भर में सांस्कृतिक धरोहर स्थलों द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने में कठिनाई होती है।

1.6 दिशानिर्देशों का उपयोग कैसे करें


ये दिशानिर्देश विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ अन्य लोगों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करते हैं जो सांस्कृतिक धरोहर स्थलों और परिसर के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापक रूपरेखा तैयार करना है जिसमें हितधारक आपदा जोखिम प्रबंधन रणनीतियों का विकास कर सकते हैं। दिशानिर्देश आपदा जोखिम प्रबंधन चक्र के आधार पर संरचित किए जाते हैं। ये दिशानिर्देश किसी योजना का विकल्प नहीं हैं, यह भौतिक और संस्थागत दोनों ही, आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं कि हितधारकों को सांस्कृतिक धरोहर स्थलों और परिसरों के आपदा जोखिम को कम करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। अध्याय 2, 3, 4, 5 और 6 संकेतक चेकलिस्ट के साथ हैं, जो आपदा जोखिम प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर किए जाने वाले कुछ बुनियादी कार्यों को निर्धारित करते हैं। ग्रंथसूची और संसाधन अनुभाग में मैनुअल और संदर्भों की एक श्रृंखला सूचीबद्ध है जो उनके नियोजन प्रयासों में धरोहर प्रबंधकों की सहायता के लिए हैं। अध्याय 7 जागरूकता उत्पादन और क्षमता निर्माण के बारे में बताता है और स्थलों और सीमाओं के स्तर के साथ-साथ संस्थागत स्तर पर अभ्यास विकसित करने के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए।



चित्र 8: आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया


2.1 जोखिम आकलन की प्रक्रिया

आपदा जोखिम न्यूनीकरण का पहला कदम यह समझने में है कि कैसे खतरा, असुरक्षितता और जोखिम, एक सीमा या स्थलों के बीच संबन्धित हैं। धरोहर मूल्यों पर संभावित प्रभाव पर विचार करना, सांस्कृतिक धरोहर स्थलों और परिसर के मामले में, एक अतिरिक्त पहलू है, क्योंकि यह आपदा जोखिम प्रक्रिया के स्तर और प्राथमिकता तथा स्वीकार्य जोखिमों की पहचान में सहायता करता है।



चित्र 9 खतरा, असुरक्षितता और अनावरण के बीच संबंध

व्यापक जोखिम आकलन प्रक्रिया में निम्नलिखित कदम शामिल हैं:




चित्र 10 जोखिम आकलन की प्रक्रिया

2.2 सांस्कृतिक धरोहर स्थलों और सीमाओं की पहचान और प्रलेखन

भारत में सांस्कृतिक धरोहर स्थलों और सीमाओं के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन में एक सबसे बड़ी चुनौती मौजूदा जानकारी और विश्वसनीय डेटा की कमी है। यहां तक कि साइटें जिन्हें एएसआई द्वारा केंद्रीय रूप से संरक्षित किया जाता है या राज्य पुरातत्व विभागों के अंतर्गत संरक्षित किया जाता है, अक्सर प्रलेखित नहीं किया जाता है और स्थलों का प्रलेखन स्वयं ही अद्यतित होता है। इन स्थलों के डेटा और बुनियादी समझ के बिना जोखिम आकलन निश्चित रूप से करना असंभव है और यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि हर साल आपदाओं कितनी धरोहरों को क्षति पहुंची है।

जहां आधिकारिक संस्थानों द्वारा या राष्ट्रीय और क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रलेखन किया गया है, यह प्रलेखन अक्सर स्थल प्रबंधकों और स्थानीय हितधारकों के लिए अनुपलब्ध है, जो इस डेटा की उपयोगिता को काफी कम करता है।

धरोहर सीमा/पड़ोस और शहरों के संबंध में, प्रलेखन में जटिल और स्तरित प्रक्रिया शामिल है, जो हितधारकों और इमारतों के प्रकारों की बहुतायत के साथ-साथ सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाली इमारतों के बीच अंतर भी प्रदान करती है।



उत्तरदायी मंत्रालय/संगठन

चित्र 11 स्थल एवं सीमा की पहचान और प्रलेखन

2.3 खतरों की पहचान करना

भारत में सांस्कृतिक धरोहर स्थलों के खतरों को निम्नलिखित स्रोतों से पहचाना जा सकता है:

- स्थानीय या राज्य अभिलेखागार और अभिलेख, समाचार पत्र अभिलेखागार आदि का उपयोग करके क्षेत्र में पिछली आपदाओं का इतिहास, प्रभाव और पुनरावृत्ति की गंभीरता
- भूकंप ज़ोन, चक्रवात और तूफान मानचित्र, लैंडस्लाइड मैपिंग, बाढ़ जलाशय इत्यादि जैसे खतरे के नक्शे जो एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए, मौसम विभाग, भूवैज्ञानिक विभाग या अन्य स्रोतों के द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं
- अभिलेखागार या कर्मचारियों और प्रबंधन या स्थानीय अधिकारियों जैसे पुलिस और अग्नि विभागों के पास उपलब्ध पिछली आपदा स्थिति का इतिहास

2.3.1 प्राकृतिक खतरे

एनडीएमए द्वारा पहचाने गए प्राकृतिक खतरों की एक सूची नीचे संक्षेप में दी गई है। पिछले वर्षों में एनडीएमए द्वारा तैयार भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि जैसे विशिष्ट खतरों के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं।

परिवार	मुख्य खतरे	माध्यमिक खतरे	भारतीय राज्य / प्रभावित क्षेत्र
भू- भौतिक	भूकंप	भूस्खलन आग द्रवण भूतल विस्थापन सुनामी	58.6 प्रतिशत भूमिमार्ग भारत का भूकंप क्षेत्र है
	ज्वर भाटा	भूतल विस्थापन एश पतन, लहर पायरोक्लास्टिक प्रवाह भूस्खलन आग सुनामी	अंडमान के बैरेन द्वीप में केवल पुष्टि की गई सक्रिय ज्वर भाटा है
जल विज्ञान	बाढ़ भूस्खलन वेव एक्शन	हिमस्खलन तटीय कटाव तटीय बाढ़ मलबे प्रवाह, मिट्टी प्रवाह रॉक पतन अचानक आई बाढ़ बाढ़ हाइड्रोलॉजिकल वेव एक्शन	40 मिलियन से अधिक हेक्टेयर (12 भूमि का प्रतिशत) बाढ़ और नदी कटाव प्रभावित है

परिवार	मुख्य खतरे	माध्यमिक खतरे	भारतीय राज्य / प्रभावितक्षेत्र
मौसम विज्ञान	v अल्पकालिक, माइक्रो से मेसो-स्केल चरम मौसम और वायुमंडलीय स्थितियां जो मिनटों से दिनों तक चल सकती हैं, से होने वाले खतरे	चक्रवात, तूफान सर्ज, टोर्नेडो, संवहनी तूफान, अतिरक्षण तूफान, हवा, शीत लहर, चरम तापमान, धुंध, ठंड, फ्रीज, ओला, हीट-वेव, लाइटनिंग, भारी वर्षा, रेत तूफान, धूल तूफान, बर्फ, बर्फशीतकालीन तूफान, बर्फ़ीला तूफान, बादल विस्फोट	7,516 किमी लंबी भारत की तटरेखा में से, करीब 5,700 किमी चक्रवात और सुनामी से ग्रस्त हैं।
जलवायवीय		सूखा, चरम गर्म / ठंड की स्थिति, वन / जंगल की आग, आग, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, घटाव	भारत का 5,11,300 वर्ग किमी क्षेत्र सूखा प्रवण है। भारत में 50% जंगल आग प्रवण हैं। हिमालय के चारों तरफ़ फैले सभी राज्य ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट प्रवण हैं।
जैविक		महामारी: वायरल, जीवाणु, परजीवी, कवक, प्रीऑन संक्रमण, कीट उपद्रव, पशु भगदड़	लगभग पूरा देश विभिन्न महामारी के लिए प्रवण है। पूरे भारत में जुलाई 2016 में, मलेरिया के 11,26,661 मामले, डेंगू के 99, 9 13 मामले, 27,553 चिकनगुनिया और 42,592 स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए।

चित्र 12 एनडीएमए द्वारा निर्धारित प्राकृतिक जोखिम

2.3.2 मानव प्रेरित खतरे

एनडीएमपी के मुताबिक, पहचान किए गए उच्च जोखिम क्षेत्रों के भीतर शहरीकरण और औद्योगिककरण के बढ़ते स्तरों ने आबादी के लिए आबादी की समग्र संवेदनशीलता में वृद्धि की है। संभावित आपदा को पैदा करने वाले मुख्य खतरे हैं, जिनके लिए मानव गतिविधि को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है:

1. रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु खतरे (सीबीआरएन)
2. आतंकवाद, हिंसा, संघर्ष
3. आग

अन्य खतरों में दुर्घटनाएं, खराब योजना और निर्माण, अधिक आबादी या अधिक भीड़, पर्यावरणीय रूप से असंवेदनशील प्रथाएं आदि शामिल हैं।

निम्नलिखित पद्धति का उपयोग करके मानव प्रेरित खतरों की पहचान की जा सकती है:

- स्थानीय आपातकालीन उत्तरदाताओं के साथ रिकॉर्ड्स, जैसे आग विभाग, पुलिस विभाग, स्थानीय अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं और स्थलों के भीतर रिकॉर्ड या मानव हस्तक्षेप के कारण हुई पिछली घटनाओं की परिशुद्धता,
- आस-पास के उद्योगों, परमाणु संयंत्रों, प्रदूषण के संभावित स्रोतों, प्रदूषण के स्रोत, इग्निशन के स्रोतों आदि पर प्रकाश डालने वाले स्थानीय क्षेत्र के नक्शे
- विभिन्न रुचि समूहों या संभावित रूप से अस्थिर स्थितियों के बीच संघर्ष के संभावित स्रोतों की पहचान करने के लिए परिशुद्धता की सामाजिक-आर्थिक मानचित्रण और अन्य जनसांख्यिकीय जानकारी

2.3.3 आपदाओं के मापक

एक सांस्कृतिक धरोहर स्थलों या सीमा की तैयारी और संवेदनशीलता की डिग्री का आकलन करने के लिए आपदा का स्तर एक महत्वपूर्ण कारक है। 2001 की अपनी रिपोर्ट में आपदा प्रबंधन पर हाई पावर कमेटी ने आपदा परिस्थितियों को तीन 'स्तर' में वर्गीकृत किया: एल 1, एल 2, और एल 3। सामान्यता की अवधि, एल 0, को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। स्तर-L1: आपदा का स्तर जिसे जिला स्तर पर क्षमताओं और संसाधनों के भीतर प्रबंधित किया जा सकता है। हालांकि, यदि आवश्यक हो तो राज्य प्राधिकरण सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगे।

स्तर-L2: यह आपदा परिस्थितियों को दर्शाता है जिसके लिए राज्य स्तर पर संसाधनों की सहायता और सक्रिय आंदोलन और आपदा प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय एजेंसियों की तैनाती की आवश्यकता होती है। यदि राज्य द्वारा आवश्यक हो तो केंद्रीय एजेंसियों को तत्काल तैनाती के लिए सतर्क रहना चाहिए।

स्तर-L3: यह लगभग विनाशकारी स्थिति या एक बहुत बड़े पैमाने पर आपदा से मेल खाता है जो राज्य और जिला अधिकारियों को तैनाती चाहता है।

सांस्कृतिक धरोहर स्थलों और सीमाओं के संबंध में, एक स्थानीय खतरे से आपातकालीन स्थिति भी हो सकती है जिसे संभालना मुश्किल हो सकता है। इन खतरों में आग, जन-हिंसा आदि जैसे मानव निर्मित खतरे शामिल हो सकते हैं। L1, L2, L3 आपदाओं की स्थिति में, आपातकालीन आधारभूत संरचना और प्रतिक्रिया गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं और इस परिदृश्य में धरोहर स्थल या प्रदेश के मोचन की दर में समझौता हो सकता है।

इसलिए, स्थलों या सीमा के भीतर निर्माण क्षमता आपदा जोखिम न्यूनीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

2. 4 संवेदनशीलता की पहचान

संवेदनशीलता का मूल्यांकन कई पैमाने पर देखा जाएगा; पहला शहर और सीमा, दूसरा स्थल और परिवेश है, व्यक्तिगत संरचनाओं और इमारतों के पैमाने पर, तीसरा और आखिरकार, वस्तुओं और संग्रह जो स्थलों के भीतर रखे जा सकते हैं। सांस्कृतिक धरोहर स्थलों या सीमा के पैमाने पर, मूल्यांकन में विभिन्न स्तरों पर संवेदनशीलता की जांच शामिल हो सकती है। कृपया ध्यान दें कि यह सूची संकेतक है और पूर्ण नहीं है।

2.4.1 बस्ती एवं सीमा

1. नियोजन, घनत्व, मापक और आकारिकी

- परिसंचरण नेटवर्क में स्पष्ट पदानुक्रम के बिना बस्ती, जो विशेष रूप से आपात स्थिति के दौरान पहुंच और परिसंचरण पर असर डालता है। घने और घुमावदार परिसंचरण नेटवर्क के साथ कार्बनिक बस्तियों और परिसंचरण में कई बाधाएं, ऐतिहासिक गेटवे जैसे संरचनाएं इत्यादि।

- स्थानीयकृत भूगोल और वर्षा जल जल निकासी व्यवस्था, प्राकृतिक जल संसाधन और जलाशय पानी की आपूर्ति के साथ-साथ अपशिष्ट जल और तूफान-जल बस्तीदोनों पर असर डालते हैं ।
 - सीमित पहुंच और निकास बिंदुओं, विशेष रूप से वाहन पहुंच के साथ बस्ती। दीवारों या संलग्न शहरों या पड़ोस, या बस्तियों जिनमें भौतिक सीमा है, चाहे प्राकृतिक या मानव निर्मित हों
 - ऐतिहासिक शहर कोर और घनत्व वाले सीमा जो मौजूदा नियोजन मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं और आवश्यक आधारभूत संरचना द्वारा सेवा नहीं दी जाती हैं
 - बड़ी सार्वजनिक खुली जगहों की कमी जो शरण क्षेत्रों, अस्थायी निकासी रिक्त स्थान या कलीसिया की जगहों के रूप में कार्य कर सकती हैं
2. गतिविधियों की प्रकृति
- छोटे पैमाने वाले औद्योगिक अभ्यास जिनमें भारी मशीनरी, ज्वलनशील उत्पाद और सामग्री शामिल है
 - होटल, गेस्ट-हाउस इत्यादि के लिए औद्योगिक पैमाने पर रसोई, विशेष रूप से उन लोगों को जिन्हें पुराने जमाने की संरचनाओं और अनधिकृत परिवर्धनों में किया गया है, ताकि उन्हें सुविधाजनक बनाया जा सके।
 - मौजूदा संरचना के संरचनात्मक विश्लेषण के बिना भंडारण और गोदामों के लिए उपयोग की जाने वाली ऐतिहासिक संरचनाएं संरचनात्मक असुरक्षितता को बढ़ा सकती हैं, खासकर भूकंपीय गतिविधि की ओर वाणिज्यिक और पर्यटक आधारित गतिविधियां जो असंगत हैं और शहरी बाढ़ के खतरों के निपटारे का पर्दाफाश करती हैं, जल निकासी और जल आपूर्ति के दबाव में वृद्धि, या सुरक्षा की कमी और आगंतुकों के दबाव में वृद्धि के कारण आग और स्व-रचित खतरे को पैदा करती है
 - ऐतिहासिक कपड़े, अतिक्रमण या अनुचित जोड़ों में परिवर्तनों आदि आपदा जोखिम का महत्वपूर्ण कारक है
 - नियमित निगरानी और रखरखाव की कमी स्थलों या क्षेत्रों में असुरक्षितता को बढ़ावा दे सकती है
 - अनुष्ठानों, त्योहारों और तीर्थयात्रा जैसी गतिविधियों की मौसमी वृद्धि एक शहर या एक सीमा के भीतर आबादी को बढ़ा सकती है
3. स्वामित्व, प्रबंधन और रखरखाव
- मालिकों और प्रबंधन प्राधिकरणों की बहुतायतता, खराब समन्वय और जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन की कमी
 - उचित दस्तावेज की कमी या व्यक्तिगत संपत्तियों के स्वामित्व दावों के कारण स्पष्टता की कमी
 - सीमा के भीतर विभिन्न प्रबंधन संस्थानों की उपस्थिति हितधारकों की विविधता दर्शाती है। जिम्मेदारियों और अधिकार क्षेत्र के ओवरलैप से आपदा जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को कार्यान्वित करने की कमी की वजह से प्रबंधन को व्यवस्थित करना मुश्किल हो सकता है।
 - इसके अलावा, सीमा का रखरखाव कई स्तरों पर और विभिन्न आवृत्ति के साथ होता है। इस प्रकार, पुराने बुनियादी ढांचे या अनुचित रूप से स्थापित आधारभूत संरचना वाले खराब रखरखाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है
4. बुनियादी ढांचा और सेवाएं
- अनुचित रूप से स्थापित विद्युत तार, ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, अधिभारित सर्किट, खुले तार
 - बारिश जल निकासी और सीवरेज सिस्टम का खराब प्रबंधन
 - सुव्यवस्थित अपशिष्ट बस्ती की कमी
 - अनुचित रूप से स्थापित, खराब प्रबंधित गैस आपूर्ति लाइनें
 - खराब बुनियादी ढांचे, असमान सतह वाली सड़क, अग्निरोधी पहुंच की कमी
 - रास्ता खोजने के बुनियादी ढांचे में कमी

2.4.2 स्थल और परिवेश

1. योजना, टाइपोग्राफी और परिदृश्य

- स्थानीय स्थलाकृति, मिट्टी की स्थिति, प्राकृतिक जल निकासी और स्थल की ढलान, पानी के बड़े निकायों के निकटता आदि।

- औद्योगिक क्षेत्रों, रासायनिक या परमाणु संयंत्रों आदि के निकटता
- स्थल लेआउट, बिल्डिंग सामग्री और स्थलों की टाइपोग्राफी और इसके तत्काल परिवेश के संदर्भ में कुछ खतरों के लिए स्वाभाविक रूप से अधिक संवेदनशीलता हो सकती है
- स्थल, घनत्व और व्यक्तिगत संरचनाओं के आसन्नताओं के भीतर इमारतों की संख्या इत्यादि।
- स्थल/भवन के आसपास के संदर्भ स्थलों तक पहुंच में बाधा डाल सकते हैं, स्थानीय जल निकासी के मुद्दों में वृद्धि कर सकते हैं, पानी की आपूर्ति, विशेष रूप से आपातकालीन जल आपूर्ति और अन्य
- बड़े पेड़ या घनी वनस्पति, जंगली या रेगिस्तानी परिदृश्य

2. प्रवेश और परिसंचरण

- स्पष्ट परिसंचरण और निकास मार्गों और ऊर्ध्वाधर परिसंचरण जैसे रैंप या सीढ़ियों की कमी
- अप्रतिबंधित, असमान सतहों या अवरुद्ध मार्गों जैसे मुद्दों के कारण आस-पास के साथ पहुंच और निकास बिंदु या खराब भौतिक कनेक्शन और परिसंचरण का अपर्याप्त प्रावधान

3. सुरक्षा और आगंतुक प्रबंधन

- अपर्याप्त सुरक्षा और प्रबंधकीय कर्मचारी
- अपर्याप्त प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मचारी
- जंगम कलाकृतियों वाली स्थलों के मामले में अनुपस्थित या अपर्याप्त स्वचालित सुरक्षा प्रणाली
- स्थलों के प्रबंधन के लिए कमांड की कोई स्पष्ट श्रृंखला नहीं है
- आपात स्थिति के मामले में सुरक्षा के लिए कोई मैनुअल बैक-अप नहीं
- आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है
- आपातकालीन संपर्कों की कोई सूची नहीं है

4. बुनियादी ढांचा और सेवाएं

- विद्युत तार पुरानी, आउटडेटेड और उजागर है या विद्युत प्रणाली अधिभारित हैं
- विद्युत वितरण प्रणाली अनावरित है या अनुचित रूप से स्थापित है
- छतों से ड्रेनेज अपर्याप्त, खराब रखरखाव है
- गीले क्षेत्रों में ड्रेनेज अपर्याप्त है या रखरखाव खराब है
- मलजल प्रणाली पुरानी है या अपर्याप्त है या रखरखाव खराब है
- प्राकृतिक साधनों के माध्यम से इमारत में वेंटिलेशन अपर्याप्त है
- मैकेनिकल वेंटिलेशन अपर्याप्त है
- धरोहर भवनों के अंदर नमी और तापमान की अत्यधिक है, विशेष रूप से जहां संग्रह प्रदर्शित और संग्रहित होते हैं
- उन स्थलों के लिए आर्द्रता और तापमान की निगरानी अपर्याप्त है जो मौसम और जैविक क्षति के लिए अतिसंवेदनशील सामग्रियों का निर्माण कर रहे हैं
- अपर्याप्त कीट नियंत्रण प्रक्रिया
- अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और प्रकाश व्यवस्था के लिए कोई आपातकालीन बैक-अप नहीं


2.4.3 व्यक्तिगत भवन और संरचनाएं

स्थलों एवं सीमाओं पर लागू होने वाले समग्र मुद्दों के अलावा, निम्नलिखित असुरक्षितता के लिए व्यक्तिगत संरचनाओं और भवनों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए:

1. टाइपोग्राफी, संरचनात्मक प्रणाली और सामग्री

- भारत में धरोहर मूल्य की संरचनाओं में टाइपोग्राफी, निर्माण प्रणाली और सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला पायी गयी है। इनमें से कई टाइपोग्राफी और सिस्टम कुछ प्रकार के खतरों के लिए तैयार रहने के लिए विकसित हुए हैं, खासतौर पर स्थानीय इमारतों के मामले में। साथ ही, कुछ टाइपोलोजी और प्रणालियां कुछ खतरों के लिए भी संवेदनशील होते हैं।

- इसलिए, उपयोग की जाने वाली मूल संरचनात्मक प्रणालियां और निर्माण पद्धति से परिचित होना महत्वपूर्ण है।
- संभावित निर्माण सामग्री के कुछ उदाहरण संभावित असुरक्षितता के साथ दिए जाते हैं। निर्माण प्रणाली समग्र असुरक्षितता में अलग अलग हो सकती है
- बाहरी पर्यावरण से अवगत पुरातात्विक अवशेष और स्थलो विशेष रूप से लगातार बदलती स्थितियों के कारण जोखिम में हैं जो अवशेषों की अखंडता को कमजोर कर सकती हैं और जैविक हमले, कटाव आदि जैसे मुद्दों को जन्म देती हैं।
- अलग-अलग इमारतों का नक्शा विभिन्न तरीकों से अपनी असुरक्षितता में योगदान दे सकता है। उदाहरण के लिए, असमान रूप से नियोजित संरचनाओं या असमान लोडिंग के साथ संरचना भूकंपीय झटकों के लिए कमजोर हैं।



चित्र 13 भारत में धरोहर स्थलों में देखी गई निर्माण तकनीकों का अवलोकन

निर्माण सामग्री की सामान्य असुरक्षितता के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- निर्माण के रूप में मिट्टी, तापमान और नमी, भारी बारिश, बाहरी ताकतों के कारण क्रशिंग में अत्यधिक परिवर्तन के लिए कमजोर हो सकती है, जबकि पकी ईंटों के रूप में यह कुचले जाने के लिए असुरक्षित हो सकती है।
- लकड़ी, बांस और अन्य कार्बनिक पदार्थ जैविक हमलों से असुरक्षित होते हैं जिनमें फफूंद, कवक, दीमक और अन्य कीड़े तथा अत्यधिक नमी और आग शामिल हैं
- पत्थर से बने निर्माण मुड़ने, कुचले जाने के लिए असुरक्षित होते हैं
- धातु और मिश्रधातु जंग लगने और फैलाव के खतरों में होते हैं इत्यादि ।, लंबे समय तक पानी के संपर्क में आने से उनमें मुड़ने का खतरा पैदा होता है, अत्यधिक बल और तापमान की वजह से झुकाव का खतरा बना रहता है
- ग्लास अत्यधिक तापमान, बाहरी बल, आदि के लिए बेहद असुरक्षित है।
- कंक्रीट या प्लास्टर और चुना के रूप में जब सफेदी का उपयोग होता है यह तापमान और नमी में परिवर्तन से असुरक्षित है, बाहरी बलों और जैविक क्रिया के कारण यह टूटने लगता है
- सीमेंट और सीमेंट से बना हुआ भाग उच्च तापमान और अत्यधिक आर्द्रता व नमी से असुरक्षित हैं

2. संरचनात्मक और भौतिक स्थिति

मौजूदा इमारत के मामले में, इमारत के संरचनात्मक रूप से कमजोर वर्गों की पहचान के लिए एक विशेषज्ञ द्वारा संरचनात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। विशेषज्ञ द्वारा गैर विनाशकारी, घुसपैठ और विनाशकारी परीक्षणों के माध्यम से परीक्षण की सिफारिश की जा सकती है। भवन की उम्र, इसकी संरचनात्मक प्रणाली और गैर-संरचनात्मक घटकों को स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए। 50 वर्षों से अधिक की इमारतों पर विशेष विचार और नियमित संरचनात्मक लेखा परीक्षा की जानी चाहिए। भवन की सामग्री का दस्तावेजीकरण और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। संरचना की उम्र जब भवन सामग्री और प्रणालियों से सह-संबंधित हो, तो परिणामस्वरूप अंतर्निहित संरचनात्मक असुरक्षितता हो सकती है

- इमारत के संरचनात्मक तत्वों का नुकसान
- आंशिक रूप से ध्वस्त भाग, गायब तत्व
- संरचनात्मक दरारें, क्षतिग्रस्त चिनाई या फ्रेम
- खराब रखरखाव वाले संरचना
- खराब रखरखाव वाले सिस्टम, पुराना होना या क्षतिग्रस्त गारा चुना इत्यादि।
- संरचना में रिसाव और नम्रता
- सरसराहट, अवशोषित धातु तत्व
- फफूंद, कवक, कीड़े आदि जैसे कीट के हमलों के कारण जैविक क्षति

3. उपयोग और गतिविधि

- अप्रयुक्त, छोड़े गए ढांचे अक्सर जोखिम में होते हैं, क्योंकि ये नियमित रखरखाव गतिविधियों से वंचित होते हैं
- निरंतर संरक्षण कार्य, पुरातात्विक संरक्षण, पुनर्गठन गतिविधियों, पुनः उपयोग प्रस्तावों और अन्य परिवर्धन और संरचना के भीतर परिवर्तन, संरचना पर भार में वृद्धि और उपयोग में परिवर्तन संरचनात्मक तत्वों के सामने अस्थायी रूप से अपनी असुरक्षितता को बढ़ा सकते हैं,
- धार्मिक अनुष्ठान जैसी गतिविधियां, वाणिज्यिक गतिविधियां जिनमें ज्वलन स्रोतों का उपयोग शामिल है, अत्यधिक लोगों के आवागमन के साथ असुरक्षितता को बढ़ावा देता है
- छोटे संरचना में अत्यधिक लोगों के आवागमन की वजह से भर बढ़ा है जो इनकी क्षमता से ज्यादा होता है

2.4.4 वस्तु और संग्रह

मई 2017 में एनडीएमए द्वारा जारी संग्रहालयों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों का संदर्भ लें, जो वस्तुओं और संग्रहों के लिए कमजोरियों का विस्तृत अवलोकन प्रदान करते हैं।

2.5 परिदृश्य निर्माण के माध्यम से जोखिम का विश्लेषण

खतरों और असुरक्षितता की पहचान करने के बाद, जोखिम आकलन प्रक्रिया में अगला चरण प्राथमिक और माध्यमिक खतरों और संबंधित असुरक्षितता के बीच संबंधों को समझने के लिए संभावित परिदृश्य बनाना है। इस प्रक्रिया को स्थलों की असुरक्षितता की सीमा को पूरी तरह से समझने के लिए एक स्थलों या सीमा पर कार्यरत कई खतरों की जांच करनी चाहिए। परिदृश्य भवन जोखिमों को प्राथमिकता देने में भी मदद करता है।

उदाहरण के लिए,

ईंटों और मिट्टी-ईंट से निर्मित एक मंदिर एक ऐसे स्थान पर है जहां भारी बारिश होती है जिससे अस्थायी बाढ़ आती है। जबकि बाढ़ का पानी संरचना के लिए स्थायी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, इससे मिट्टी का ईंट का दीर्घकालिक रिसाव से क्षरण हो सकता है और संरचना जैविक हमलों के लिए अतिसंवेदनशील हो सकती है। ये माध्यमिक खतरे समय के साथ दीर्घकालिक क्षति का कारण बन सकते हैं, इस प्रक्रिया में मंदिर की असुरक्षितता में वृद्धि होती है।

2.6 जोखिम को प्राथमिकता देना

निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर आपदा जोखिमों को प्राथमिकता दी जा सकती है:

- संभावना: एक स्थल में होने वाली किसी विशिष्ट आपदा परिदृश्य की संभावना। संभावना उच्च, मध्यम या निम्न हो सकती है। कुछ क्षेत्रों के लिए प्रकृति में कुछ खतरे भी आवर्ती होते हैं, उदाहरण के लिए, बारिश के उच्च स्तर के कारण मौसमी बाढ़, लगातार उच्च तापमान आदि के कारण जंगल में आग लगना संभव है इत्यादि।
- संभावित प्रभाव: सांस्कृतिक धरोहर स्थलों पर आपदा परिदृश्य के परिणामों की गंभीरता और लोगों, संपत्ति, आजीविका और अन्य भौतिक विशेषताओं सहित संपत्ति, जिसमें संपत्ति के धरोहर मूल्य सन्निहित हैं, जैसे परिदृश्य और बुनियादी ढांचे, मानव गतिविधियों में व्यवधान, पारंपरिक ज्ञान का नुकसान इत्यादि। प्रभावों का मूल्यांकन निम्नलिखित शर्तों में किया जा सकता है: विनाशकारी या गंभीर; सौम्य; क्रमिक; कोई परिणाम नहीं
- धरोहर मूल्य के परिणाम: एक ही स्थल के भीतर, कुछ विशेषतायें धरोहर मूल्य समझने के लिए आवश्यक और अपरिवर्तनीय हो सकता है, जबकि अन्य, हालांकि महत्वपूर्ण, को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। किसी विशिष्ट परिदृश्य के लिए स्थलों पर जोखिम का स्तर, संभाव्यता, लोगों, जीवन और आजीविका के परिणामों की गंभीरता, और मूल्यों की संभावित हानि के साथ मूल्यांकन किया जाता है।

जोखिम की प्राथमिकता कई अन्य कारकों पर निर्भर हो सकती है जैसे कि:

- हालांकि आपदा परिदृश्य का जोखिम स्तर काफी अधिक हो सकता है, संभावना बहुत कम हो सकती है, इस मामले में घटना की अधिक संभावना वाले खतरे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- प्राथमिकता कार्यान्वयन और रखरखाव, दोनों से जुड़े लागत और लाभ पर भी निर्भर करती है। यह मानव और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता से जुड़ा हुआ है


- जोखिम की प्राथमिकता में एक अन्य कारक यह है कि प्रस्तावित उपाय किसी अन्य घटक को जोखिम न्यूनीकरण करने की लागत पर आगंतुकों और कर्मचारियों या पर्यावरण के लिए एक धरोहर घटक को जोखिम में डाल सकता है।

घटना की उच्च संभावना और संभावित प्रभाव के उच्च स्तर वाले किसी योजना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जोखिम जो मानव जीवन पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। धरोहर स्थलों, सीमा, चल धरोहर, भंडारण और बुनियादी ढांचे पर प्रभाव, प्रत्येक के तय किए गए मूल्य के आधार पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

3

आपदा जोखिम निवारण, न्यूनीकरण और शमन के उपाय

3.1 खतरे को रोकने और कम करने और संभावित प्रभाव को कम करने के लिए ढांचा



चित्र 14 जोखिम न्यूनीकरण के लिए ढांचा

आपदा जोखिम न्यूनीकरण ढांचे में चार-आयामी दृष्टिकोण शामिल हैं:


1. **जोखिम का उन्मूलन या रोकथाम:** जोखिम के स्रोत को योजना एवं कार्रवाई से खत्म किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि खतरा आतंक, चोरी या बर्बरता है, तो स्थल या सीमा की निगरानी और सुरक्षा को बढ़ाकर जोखिम को कम किया जा सकता है। भूकंप, भारी बारिश, ज्वालामुखी इत्यादि जैसे प्राकृतिक खतरों को, खासतौर पर अचल सांस्कृतिक धरोहर संपत्ति के संबंध में इस तरह से रोका नहीं जा सकता है। अत्यंत दुर्लभ परिदृश्यों में, सांस्कृतिक संपत्ति के स्थानांतरण पर विचार किया जाता है, हालांकि यह बात याद रखनी चाहिए कि ज्यादातर परिदृश्यों में एक सांस्कृतिक धरोहर स्थल का संदर्भ इसके समग्र धरोहर मूल्य की दिशा में योगदान देता है।
2. **असुरक्षितता का न्यूनीकरण:** भले ही कई खतरों को रोका नहीं जा सकता है, भले ही संरचनाओं के भीतर उभरने वाली असुरक्षितताओं को संबोधित किया जाए। मिसाल के तौर पर, पुराने निर्मित ढांचे का पुनर्निर्माण भूकंप और भूस्खलन जैसे खतरों के प्रति इनकी असुरक्षितता में कमी ला सकता है।
3. **अनावरणता का न्यूनीकरण:** किसी स्थल पर अनावरणता को कम करने के विभिन्न उपायोग को जोखिम न्यूनीकरण उपाय के रूप में माना जा सकता है। ये रोकथाम, अलगवाव, आदि सिद्धांतों पर आधारित हो सकते हैं, जहां क्षति की सीमा को संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक माध्यमों द्वारा कम किया जा सकता है।
4. **बढ़ती क्षमता:** खतरे के प्रभाव को आगंतुकों के प्रबंधन के लिए स्पष्ट रणनीतियों को लागू करके और स्पष्ट एवं प्रभावी तरीके से जनता को खतरों की जानकारी देकर भी कम किया जा सकता है, जिससे आपदा का सामना करने की स्थल की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इस पहलू पर अधिक विवरण अध्याय 4 में भी पाया जा सकता है।

जोखिम को प्राथमिकता देने वाला सम्पूर्ण जोखिम आकलन अभ्यास जोखिम न्यूनीकरण और/या शमन के लिए ठोस रणनीतियां बनाने के लिए आवश्यक है। क्रियाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अगले खंडों में वर्णित किया गया है, जिसे बस्तियों एवं सीमाओं, स्थल एवं परिवेश और व्यक्तिगत संरचना से लेकर कई पैमाने पर देखा जा सकता है।

सांस्कृतिक धरोहर स्थल एवं सीमाओं के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में, कुछ पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए:

1. **हितधारकों द्वारा माननीकृत सांस्कृतिक धरोहर मूल्यों** को संरक्षित और बनाए रखना। हस्तक्षेप जो इन मूल्यों के नुकसान का कारण बनेंगे, उन्हें निष्पादित करने से पहले संभावित लाभों के खिलाफ ध्यानपूर्वक भारित किया जाना चाहिए
2. **स्थल या सीमा की प्रामाणिकता** बनाए रखना एक महत्वपूर्ण विचार है। जबकि संपत्ति की भौतिक हानि को कम करना आपदा जोखिम न्यूनीकरण की प्राथमिक चिंताओं में से एक है, जैसे संरचनात्मक पूनः संयोजन स्थल की प्रामाणिकता को कम कर सकता है और इसे ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो सके न्यूनतम और उचित हस्तक्षेप का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, जो धरोहर मूल्यों और प्रामाणिकता पर संभावित प्रभाव के साथ जोखिम न्यूनीकरण के प्रस्ताव के लाभों को भारित करता है।

3. परंपरागत प्रौद्योगिकी एवं कौशल और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के उपयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि वे सांस्कृतिक धरोहर की निरंतरता और मूल्य में योगदान देते हैं।
4. सांस्कृतिक धरोहर स्थल या सीमा के लिए स्वीकार्य जोखिम की कोटि को स्थापित किया जाना चाहिए और इस तरह की सीमा को जोखिम न्यूनीकरण हस्तक्षेपों के बारे में सूचित करना चाहिए।



चित्र 15 आपदा जोखिम न्यूनीकरण और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण की चिंता का संतुलन

3.2 जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियां

जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों की एक सूचक सूची इस खंड में दी गई है। भारत में सांस्कृतिक धरोहर स्थलों और सीमाओं की विविधता कार्यों की मानकीकृत सूची बनाने के लिए बहुत विशाल है, और प्रत्येक स्थल को व्यापक जोखिम न्यूनीकरण की आवश्यकता होती है। कुछ व्यापक दिशानिर्देश नीचे सूचीबद्ध हैं:

3.2.1 बस्ती और सीमा

1. सीमा स्तर पर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए शहरी एवं स्थानीय नियोजन उपायों को निम्नलिखित के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए:
 - राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं और जिला आपदा प्रबंधन योजनाएं
 - शहर या पसीमा के लिए क्षेत्रीय विकास योजना और मास्टर प्लान
 - दिशानिर्देश जो निरूपित धरोहर संपत्ति/सीमा पर लागू होते हैं
2. योजना स्थानीय प्राधिकरणों एवं आपातकालीन उत्तरदाताओं और महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना सेवा प्रदाताओं के परामर्श से बनाई जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों को मौजूदा ढांचे के भीतर समन्वयित और सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए।
3. जहां तक संभव हो अलग-अलग स्थलों के लिए अनबन्धित प्रवेश एवं निकास मार्गों के साथ सीमा के भीतर स्पष्ट पहुंच एवं निकास परिसंचरण मार्ग प्रदान किया जाना चाहिए
4. बस्ती के भीतर गतिविधियां विनियमित की जानी चाहिए, खासतौर पर वे जो संभावित रूप से खतरनाक हो सकती हैं
5. संबंधित निर्माण अधिकारियों द्वारा नए निर्माण, जोड़, संशोधन और पुनः संयोजन को विनियमित किया जाना चाहिए
6. बस्ती के स्तर पर संरक्षण, आधारभूत संरचना परिवर्धन और उन्नयन कार्यों को ठोस प्रलेखन, विश्लेषण एवं नियोजन के आधार पर किया जाना चाहिए
7. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी सेवाएं- विद्युत, जल आपूर्ति, जल निकासी, सीवेज, अपशिष्ट निपटान इत्यादि, अद्यतित हैं, नियमित रूप से प्रबंधित हैं और मौजूदा कोड एवं विनियमन का पालन करती हैं
8. स्थानीय समुदायों और हितधारकों में जागरूकता बढ़ाने और स्थानीय आपातकालीन उत्तरदाताओं के लिए धरोहर स्थलों के संबंध में विशेष मुद्दों को उजागर करने के लिए क्षमता निर्माण अभ्यास को बस्ती के स्तर पर किया जाना चाहिए।
9. धरोहर प्रभाव आकलन अभ्यासों को नए विकास, पुनः विकास, पुनर्जनन, आधारभूत संरचना प्रावधान इत्यादि के साथ होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आसपास की बस्तियों में बदलावों के कारण धरोहर स्थलों और सीमा की संवेदनशीलता कमजोरता में वृद्धि नहीं हुई है।

3.2.2 स्थल एवं परिवेश

1. स्थल के साथ-साथ स्थल के भीतर नियोजन, प्रवेश, निकास और पहुंच के मुद्दों को संबोधित किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो स्थल को सार्वभौमिक रूप से सुलभ होना चाहिए। जहां सार्वभौमिक पहुंच हासिल करना मुश्किल है, वैकल्पिक मार्ग एवं परिसंचरण सभी आगंतुकों/उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए

2. स्थल के स्तर पर परिवर्तन, वर्धन और परिवर्तन का मूल्यांकन स्थल की संपूर्ण अखंडता एवं संवेदनशीलता पर उनके प्रभाव के लिए किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो इन्हें विपरीत किया जाना चाहिए। स्थल और आसपास के स्तर पर कोई भी नया हस्तक्षेप केवल धरोहर प्रभाव मूल्यांकन अभ्यास के बाद किया जाना चाहिए।
3. यह पुनर्स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों, रासायनिक और परमाणु संयंत्रों जैसे मौजूदा खतरनाक तत्वों के लिए संभव नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में, किसी भी आपदा का संभावित प्रभाव संरचनात्मक कार्यों, आवश्यकतानुसार स्थल के पृथक्करण, परिवर्तनशील प्रवेश/निकास बिंदु के माध्यम से शामिल किया जाना चाहिए।
4. प्रभाव को कम करने के लिए स्थल के भीतर बड़े पेड़, उगने वाली वनस्पति, जल निकाय, विद्युत उप-स्टेशन जैसे एकल तत्व जो संभावित रूप से जोखिम बढ़ा सकते हैं, उन्हें हटाया/स्थानांतरित/अलग/निहित किया जाना चाहिए।
5. सभी संस्थागत/पर्यटक/धार्मिक स्थलों के लिए एक स्पष्ट सुरक्षा और आगंतुक प्रबंधन योजना तैयार की जानी चाहिए। इस योजना में सभी प्रबंधन और सुरक्षा कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण शामिल होना चाहिए; विभिन्न आपात स्थितियों के लिए आपातकालीन और उजागर प्रोटोकॉल के मामले में कार्रवाई के लिए स्पष्ट पदानुक्रमों की रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए।
6. सार्वजनिक/संस्थागत/धार्मिक स्थलों के मामले में, आगंतुक भार, शीर्ष आगंतुक क्षमताओं का आकलन किया जाना चाहिए। आगंतुकों की संख्या में मौसमी बदलावों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और शीर्ष समय पर स्थल के भीतर पहुंच और परिसंचरण के प्रबंधन के लिए प्रावधान बनाए जाने चाहिए।
7. विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज और अपशिष्ट निपटान सहित सभी बुनियादी ढांचों को नियमित रूप से बनाए रखा जाना चाहिए और उनका निरीक्षण किया जाना चाहिए। आपातकालीन आधारभूत संरचना स्थापित की जानी चाहिए और इसके कामकाज का नियमित अंतराल पर निरीक्षण किया जाना चाहिए।
8. सभी सार्वजनिक धरोहर स्थलों में आपातकालीन वाहनों, अस्थायी शरण और एकत्रण स्थानों के लिए निर्दिष्ट स्थान होना चाहिए।

3.2.3 व्यक्तिगत भवन और संरचनाएं

1. संरचनात्मक कार्यवाही

किसी व्यक्तिगत भवन/संरचना के स्तर पर कोई भी संरचनात्मक कार्रवाई करने के पहले, ऐतिहासिक इमारतों में एक योग्य विशेषज्ञ द्वारा एक संरचनात्मक लेखा परीक्षण किया जाना चाहिए और स्थल या सीमा की प्रामाणिकता और धरोहर मूल्य पर संरचनात्मक हस्तक्षेप के संभावित प्रभाव के रूप में प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया जाना चाहिए। सभी संरचनात्मक कार्रवाइयां वैज्ञानिक विश्लेषण और ठोस दस्तावेज पर आधारित होनी चाहिए, उसे न्यूनतम हस्तक्षेप के दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए, और जहां तक संभव हो सके विपरीत होना चाहिए। संरचना के भौतिक मूल्यांकन के आधार पर संरचनात्मक स्तर पर संवेदनशीलता को कम करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है:

- **संरक्षण और बहाली** में दरारों की भराई, चिनाई की मरम्मत, मोर्टार की ग्राउटिंग जैसी कार्रवाइयों सहित नींव, दीवार, छत इत्यादि के लिए संरचनात्मक मरम्मत शामिल है।
-
-

- **पुनः संयोजन** में संरचनात्मक समर्थन प्रणाली, प्रोप, शोरिंग, ब्रेसिंग इत्यादि की अतिरिक्त शामिल हो सकती है जो संरचना को मजबूत करने और इसकी संरचनात्मक संवेदनशीलता को कम करने के लिए नई सामग्री और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती हैं।
- **पुनर्निर्माण** में संरचना का आंशिक या पूर्ण विखण्डन और उसी सामग्रियों एवं प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पुनर्निर्माण या बेहतर संरचनात्मक प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए आगे संरचनात्मक समर्थन प्रणाली जोड़ना शामिल हो सकता है।
- **परिसंचरण पैटर्न** के पुनः उपयोग या परिवर्तन, सुलभता में फायर डोर, विभाजन, रूफिंग प्रणालियों आदि जैसे तत्वों की अतिरिक्त शामिल हो सकती है।
- **पुनर्वास** एक चरम उपाय है और केवल उस परिदृश्य में माना जाना चाहिए जहां कोई अन्य विकल्प संभव नहीं है और धरोहर का संभावित नुकसान गंभीर है, और केवल संरचना के पूर्ण अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।

आमतौर पर सांस्कृतिक धरोहर स्थल एवं सीमाएं प्रकृति में ऐतिहासिक हैं और उन्हें निर्माण की तारीख के अनुसार राष्ट्रीय भवन संहिता का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, ऐतिहासिक सीमा और यहां तक कि सांस्कृतिक धरोहर स्थलों के भीतर, कभी-कभी नई संरचनाओं का निर्माण किया जा सकता है। इन्हें निम्नलिखित का पालन करने की आवश्यकता होती है:

- भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005
- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी उपनियम

गैर संरचनात्मक उपाय

- सभी लंबवत और क्षैतिज सतहों का आकलन किया जाना चाहिए; सीपेज की समस्याओं, उभरती आद्रता एवं पानी और नमी प्रवेश की जांच की जानी चाहिए और उसे ठीक किया जाना चाहिए।
- चटकता हुआ प्लास्टर, क्षतिग्रस्त फर्श, छत और रूफ की फिनिश जैसी सतही समस्याओं को ठीक किया जाना चाहिए
- विभाजन दीवारें, बड़े फर्नीचर सामान, झूमर जैसे फिक्स्चर की तरह सभी चल इंटीरियर तत्वों को इमारत से सुरक्षित रूप से संलग्न किया जाना चाहिए, खासकर जब स्थान भूकंपीय खतरों के प्रति संवेदनशील हो।
- बाढ़ और तूफान में पानी की क्षति, कीड़ों के जैविक हमलों और अन्य कीटों आदि के जोखिम को कम करने के लिए इमारत में चल वस्तुओं एवं भंडारण को नियोजित किया जाना चाहिए।
- व्यक्तिगत इंटीरियर रिक्त स्थान अच्छी तरह से हवादार होने चाहिए और मूल मार्ग एवं गलियारे को सुलभ रहना चाहिए, भले ही वे सार्वजनिक उपयोग के लिए खुले न हों।
- पुरातात्विक स्थलों के मामले में, अस्थायी आश्रय जहां आवश्यक हो, स्थापित किया जाना चाहिए और बाहरी तत्वों से पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाने चाहिए।
- अनधिकृत कर्मियों की पहुंच से सभी खतरनाक या संभावित खतरनाक एवं ज्वलनशील सामग्री को हटा दिया जाना चाहिए। अन्यथा इसे किसी ऐसे क्षेत्र में संग्रहित किया जाना चाहिए जहां आपात स्थिति के मामले में आगंतुकों और कर्मचारियों के लिए इसका संभावित प्रभाव कम हो।
- बिजली की छड़ें उचित रूप से स्थापित की जानी चाहिए और इमारत को वायरलेस संचार उपकरण, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली से सुसज्जित किया जाना चाहिए।

- उन इमारतों के मामले में जहां एक नया उपयोग प्रस्तावित किया जाता है, जिससे आंतरिक लेआउट में बदलाव होता है, सभी हस्तक्षेपों का पूर्व मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए विकास नियंत्रण में आगे के संदर्भों में शामिल हैं:

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी मॉडल भवन उपनियम, 2016

एनडीएमए द्वारा जारी भवनों एवं संरचना के आपदा प्रतिरोधी निर्माण को सुनिश्चित करने पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

2. बुनियादी ढांचा और सेवाएं

- Emergency lighting should be supplied with back-up electrical supply, in case of failure
- डिस्ट्रीब्यूशन बाक्स, लाइन्स और पावर बैकअप सिस्टम सहित विद्युत प्रणालियों का मूल्यांकन सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए, और आवश्यक होने पर उपचारात्मक उपायों का आकलन किया जाना चाहिए। सभी स्फ्लाइस ज्वाइंट्स को कनेक्टर के साथ स्थापित किया जाना चाहिए। सभी निष्क्रिय वायरिंग, ढीली तारों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और असफल-सुरक्षित तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। नियमित आधार पर विद्युत सेवाओं को अद्यतित और पर्यवेक्षित किया जाना चाहिए। बुनियादी ढांचे को बीआईएस मानकों के अनुसार राउट किया जाना चाहिए और आगंतुकों और आम जनता की पहुंच से बाहर रखना चाहिए
- फेलियर के मामले में आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था बैक-अप विद्युत आपूर्ति के साथ आपूर्ति की जानी चाहिए।
- रिसाव जोखिम के लिए जल आपूर्ति, तूफानी-जल निकासी और सीवरेज सिस्टम का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और आवश्यक होने पर उपचार उपाय अपनाए जाने चाहिए। जहां जल स्रोत विद्युत आपूर्ति स्रोतों के नजदीक स्थित हैं, स्थान को बदला जाना चाहिए या अस्थायी रूप से तब तक सुरक्षित करना चाहिए जबकि दीर्घकालिक समाधान न हो जाए।

3. सुरक्षा और आगंतुक प्रबंधन (सार्वजनिक और संस्थागत भवनों और स्थलों के लिए)

- सभी सार्वजनिक रूप से प्रशासित धरोहर स्थलों को आगंतुकों के लिए सार्वभौमिक पहुंच के लिए प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि विकलांगों एवं वृद्ध या बच्चों जैसे जोखिम समूहों को इमारतों और सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए।
- सभी जल आपूर्ति बिंदुओं, विद्युत आपूर्ति और बैकअप प्वाइंट को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए और प्रशासन और सुरक्षा टीम के सदस्यों को इनसे परिचित होना चाहिए ताकि आवश्यकता होने पर इन्हें बंद किया जा सके। आपातकालीन जल आपूर्ति और प्रकाश व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए।
- नियमित रूप से सुरक्षा लेखा परीक्षण किया जाना चाहिए चाहे वो आंतरिक रूप से किया जाए या सुरक्षा प्रणालियों या जोखिम प्रबंधन में बाहरी विशेषज्ञ का उपयोग करके किया जाए। प्रवेश, निकास, पहुंच में संवेदनशीलता विशेष सुरक्षा की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को सावधानी से मूल्यांकित किया जाना चाहिए और अनुशंसाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए।
- सुरक्षा लेखापरीक्षण और मौजूदा संसाधनों के आधार पर, एक्स-रे स्कैनर, मेटल डिटेक्टर, हैंडहेल्ड स्कैनर, सीसीटीवी मॉनिटरिंग ऑटोमेटिड डोर बैरियर्स और बायोमीट्रिक एक्सेस कंट्रोल जैसे सुरक्षा उपायों को स्थापित किया जाना चाहिए। यह स्थल, स्थान के आकार और संग्रह प्रकार पर निर्भर करता है।
- आपातकालीन मार्गों और शरण क्षेत्रों को आपातकालीन योजना पर स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए और आगंतुकों के लिए उपलब्ध होना चाहिए और सभी सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रदर्शित करना चाहिए। स्टाफ के सदस्यों को आपातकालीन योजना से परिचित होना चाहिए। भवन के सभी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से निकास मार्गों और आपातकालीन निकासी प्रक्रियाओं को चिह्नित करने के लिए मानक संकेत स्थापित किया जाना चाहिए

- युद्ध, आतंकवाद और संघर्ष के खिलाफ विशेष सुरक्षा तंत्र के लिए सुरक्षा कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण देना चाहिए।
- स्वयंसेवकों की टीमों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और आपात स्थिति के मामले में उनकी संपर्क जानकारी को आसानी से सुलभ कराना चाहिए। ये क्षेत्रीय नेटवर्क हो सकते हैं जिनमें स्थल से परिचित लोगों को शामिल होने चाहिए। धरोहर स्थलों के बीच नेटवर्क मजबूत होना चाहिए ताकि आपातकाल के समय में अन्य स्थलों के प्रशिक्षित पेशेवरों से सहायता मांग सकें।

4. रखरखाव और निरीक्षण

- रखरखाव और नियमित रखरखाव सांस्कृतिक धरोहर स्थलों और संरचनाओं के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण के महत्वपूर्ण पहलु हैं और इन्हें साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक अनुसूची के भाग के रूप में कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। बड़े और जटिल धरोहर स्थलों के लिए नियमित निरीक्षण और सुरक्षा लेखा परीक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सफाई गतिविधियों, छोटी मरम्मत, बुनियादी ढांचे के उन्नयन और प्रतिस्थापन का एक रोस्टर बनाया और कार्यान्वित किया जाना चाहिए। आम तौर पर, निरंतर उपयोग में स्थित सांस्कृतिक धरोहर इमारतों की अधिक बारीकी से निगरानी की जाती है ताकि संभावित जोखिमों को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सके।

5. जंगम धरोहर वस्तुएं/संग्रह प्रबंधन (संग्रहालय दिशानिर्देशों का संदर्भ लें)

- सभी संग्रहों को ऑफ-साइट बैकअप के साथ प्रलेखित, संदर्भ छवियों, सामग्री विवरण सहित और स्थान पर होना चाहिए। विस्तृत कैटलॉग और सूची बनाए रखी जानी चाहिए।
- भारी, नाजुक वस्तुओं को वस्तुओं के साथ-साथ लोगों की सुरक्षा के लिए लगाया जाना चाहिए। उन्हें उचित ऊंचाई और दूरी पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। उन सभी पहचानी गई वस्तुओं के लिए एंकरिंग और बेस आइसोलेशन किया जाना चाहिए जिन्हें गिरने या यांत्रिक प्रभाव का खतरा है। झटकों के अवशोषण जैसे अन्य भूकंप शमन उपायों को लागू किया जाना चाहिए।
- बाढ़ से होने वाले जोखिम को कम करने के लिए पानी से होने वाली क्षति के लिए प्रवण वस्तुओं को ऊपरी मंजिलों पर प्रदर्शित और संग्रहीत किया जाना चाहिए। डब्बों को वाटरप्रूफ, नमी प्रूफ होना चाहिए और एक नियंत्रित वातावरण की पेशकश करनी चाहिए।
- सूक्ष्म जलवायु स्थितियों, नमी, तापमान, प्रकाश और विकिरण में उतार-चढ़ाव, कीटों और जैविक एजेंटों की गतिविधियों को प्रलेखित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे संग्रह की अखंडता को प्रभावित करते हैं
- उष्मा और धूम्रपान के स्तर की निरंतर निगरानी के साथ दहनशील वस्तुओं को अग्निरोधी आवरण में रखना चाहिए।


4

आपातकालीन तैयारी और आपदा मोचन की योजना

4.1 निकासी और आपातकालीन मोचन की योजना

प्रत्येक सांस्कृतिक धरोहर या सीमाओं को निकासी, तत्काल मोचन प्रोटोकॉल एवं प्रक्रियाओं सहित आपातकालीन मोचन के लिए व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता होती है। आपातकालीन मोचन योजना बनाते समय निम्न पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए:

1. **आपातकालीन टीम** बनाएं जिसमें स्थल या सीमा के के प्रबंधन, प्रशासक और कर्मचारियों के साथ साथ स्थानीय हितधारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होने चाहिए। इस आपातकालीन टीम की स्पष्ट कमांड श्रृंखला होनी चाहिए और विभिन्न प्रकार की आपात स्थिति से निपटने वाले विभिन्न विभागों के साथ सीधे संपर्क में होनी चाहिए। आपातकालीन टीम को बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उनके नाम, पदनाम, जिम्मेदारियों आदि के बारे में सामान्य जनता को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए।
2. **निकासी मार्गों, स्थानों** की पहचान करें, जो अस्थायी शरण क्षेत्रों के रूप में कार्य कर सकती हैं, और इन मार्गों और स्थानों को व्यापक वितरण के लिए साइनेज, मानचित्र, मुद्रित साहित्य इत्यादि के रूप में स्पष्ट तरीके से प्रदर्शित करें।
3. **स्थानीय पुलिस स्टेशनों**, अस्पतालों, फायर स्टेशनों, डीडीएमए और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए मार्गों और स्थानों की पहचान करें। स्थल/सीमा के लिए आपातकालीन योजना और निकासी योजना पड़ोस के स्तर और जिला स्तर की योजनाओं (यदि वे मौजूद हैं) से जुड़ी होनी चाहिए। धरोहर स्थलों की कुछ विशिष्टताओं के लिए, स्थल में आपदा में निकासी के लिए एक अस्थायी शरण क्षेत्र के रूप में कार्य करने की क्षमता हो सकती है, इसलिए स्थल के समग्र संदर्भ को देखना महत्वपूर्ण है और इसके परिवेश संबंध में इसकी कमजोरियों और शक्तियों की पहचान करना जरूरी है।
4. **विभिन्न प्रकार की आपातकालीन आपूर्तियों और उपकरणों** की पहचान करनी चाहिए और आसान पहुंच के लिए उनका भंडारण किया जाना चाहिए।



निकासी योजना के मूल घटक

1. निकास द्‍वार को सार्वभौमिक रूप से समझे जाने वाले आपातकालीन संकेत के साथ स्पष्ट रूप से चिह्नित करें। निकासी प्राथमिक मार्ग और/या माध्यमिक मार्गों का उपयोग कर सकती है। निकासी मार्ग बाधा से मुक्त होना चाहिए और विद्युत हानि के दौरान भी जलाया जाना चाहिए। सभी निकासी नक्शे महत्वपूर्ण स्थानों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रदर्शित किए जाने चाहिए।
2. अग्नि निकास, अग्नि सीढ़ियों और अग्नि टावरों को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए और उनकी पहुंच हर समय किसी भी बाधा से स्पष्ट होनी चाहिए
3. स्थल के भीतर या पड़ोस में लोगों के लिए असंबली/शरण बिंदु होना चाहिए।
4. विशिष्ट आपात स्थितियों, जहां बाहरी सहायता की व्यवस्था करना मुश्किल हो सकता है, का जवाब देने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण देना चाहिए
5. निकासी मार्गों को ड्रिल और प्रशिक्षण अभ्यासों के माध्यम से जांचा जाना चाहिए। और उन्हें सार्वभौमिक रूप से सुलभ और स्पष्ट रूप से चिह्नित होना चाहिए
6. निकासी पर फायर स्टेशन और स्थानीय पुलिस जैसे स्थानीय आपातकालीन उत्तरदाताओं के साथ चर्चा और समन्वय किया जाना चाहिए, ताकि निकास और आपातकालीन उत्तरदाता दोनों वास्तविक आपातस्थिति में इन मार्गों से परिचित हों।

4.2 अनुश्रवण और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली

अनुश्रवण धरोहर के समग्र संरक्षण और रखरखाव का एक अभिन्न हिस्सा है और आपदा जोखिम शमन में एक उपयोगी उपकरण है (जैसा कि पिछले खंड में चर्चा की गई है)। समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सांस्कृतिक धरोहर स्थलों/सीमाओं के निम्नलिखित पहलुओं की निगरानी की जानी चाहिए:

1. **भवनों और संरचनाओं की भौतिक स्थिति का अनुश्रवण:** व्यक्तिगत संरचनात्मक तत्वों के साथ-साथ गैर-संरचनात्मक तत्वों की भौतिक स्थिति में परिवर्तन आवर्ती अंतराल पर किए जाने चाहिए। मूल अनुश्रवण साइट स्टाफ या प्रबंधक द्वारा किया जा सकता है, जबकि उन स्थलों के लिए विशेष अनुश्रवण किया जाना चाहिए जो संरचनात्मक रूप से संवेदनशील हैं और/या जिन्हें किसी आपदा से प्रभावित होने का जोखिम अधिक है।
2. **आगंतुकों/उपयोगकर्ताओं की निगरानी:** आगंतुकों/उपयोगकर्ताओं की निरंतर निगरानी स्थल की संवेदनशीलता का आकलन करने और स्थल के शीर्ष भार पर निर्णय लेने के लिए एक उपयोगी उपकरण है। वर्तमान में आगंतुकों के दैनिक प्रवाह के संबंध में अधिकांश संरक्षित स्मारकों और स्थलों में बहुत कम डेटा मौजूद है और आगंतुक प्रबंधन के लिए नीतियां अ एवं प्रस्तावों को सक्षम करने के लिए इस डेटा का भी कम विश्लेषण किया गया है। अब क्षेत्र में आगंतुकों और उपयोगकर्ताओं को ट्रैक करने के लिए कई डिजिटल और आईसीटी उपकरण उपलब्ध हैं। इन्हें नियमित आधार पर और विशेष रूप से पीक सीजन या त्योहारों, परेड, उत्सवों जैसे विशेष दिनों में नियोजित किया जा सकता है। सुरक्षा प्रणालियों में एक्स-रे स्कैनर, मेटल डिटेक्टर, हैंडहेल्ड स्कैनर, वाहन स्कैनर, सीसीटीवी मानीटरिंग, बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम आदि शामिल हो सकते हैं।

3. **मौसम संबंधी अनुश्रवण:** पर्याप्त तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए कुछ सांस्कृतिक धरोहर स्थलों/सीमाओं के लिए तापमान, वर्षा, हवा की गति सहित प्रासंगिक मौसम संबंधी मानकों की स्थानीय निगरानी की आवश्यकता हो सकती है।
4. **नमी, गर्मी जैसे स्थानीय मानकों की निगरानी:** नमी के स्तर, तापमान, आर्द्रता के स्तर, दबाव में परिवर्तन जैसे स्थल मानकों का अनुश्रवण प्रारंभिक चेतावनी के लिए उपयोगी उपकरण हैं। चल संग्रहों के साथ संलग्न स्थानों या स्थानों में, आग का पता लगाने के लिए हीट या स्मोक डिटेक्टर, चोरी, बर्बरता, हिंसा और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी देने के लिए सिक्यूरिटी और अलार्म सिस्टम होना चाहिए। प्रत्येक स्थल को बुनियादी सुरक्षा टीम से लैस किया जाना चाहिए, खासकर तब जब उच्च मूल्य की वस्तुएं या संग्रह स्थल के भीतर स्थित हैं।

4.3 स्थल/परिसीमा के भीतर आपातकालीन अनुक्रिया प्रणाली स्वचालित एवं हस्तचालित

सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित स्थलों एवं उसके परिसरों में निम्नलिखित आपातकालीन अनुक्रिया प्रणालियों से लैस होनी चाहिए:

1. ऐसी **अग्निशमन प्रणाली** जो स्थल अथवा उनके परिसरों की विशेष जरूरतों के अनुकूल हों। अग्निशमन प्रणालियां स्वचालित हो सकती हैं अथवा हाथ से भी चलाई जा सकती हैं अथवा दोनों प्रकार से चलाई जा सकती है यह स्थलाकृति पर निर्भर करता है। हालांकि इस पर विचार किया जाना चाहिए कि अनेक सांस्कृतिक धरोहर स्थलों व उनके परिसरों के मामले में, अग्निशमन की मानकीकृत प्रणालियां ऐतिहासिक संरचना/उनके अधिष्ठापन के अनुकूल नहीं हो सकती है तथा इनके उपयोग से स्थल के धरोहर मूल्य प्रभावित हो सकते हैं। अतः अग्निशमन प्रणाली स्थापित करने से पूर्व स्थल की सामग्री, निर्माण व नैसर्गिक मूल्यों को समझने के साथ-साथ आग के संभावित स्रोतों का आकलन करना भी आवश्यक हो जाता है। सभी कर्मचारियों एवं प्रबंधन को इन प्रणालियों के उपयोग के बारे में नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए तथा ये आसानी से सुलभ होने चाहिए व इनकी नियमित रूप से सर्विस की जानी चाहिए तथा जब भी आवश्यक हो इन्हें बदला जाना चाहिए।
2. टेलीफोनिक नेटवर्क एवं संचार को क्षति पहुंचने के मामले में **ध्वनि प्रवर्धक तंत्र** व वायरलेस संचार के प्रावधान। इसमें वॉकी-टॉकी, हाथ से पकड़े जाने योग्य रेडियो एवं इंटरकॉम प्रणालियां शामिल की जा सकती हैं। ध्वनि प्रवर्धक तंत्र विशेष रूप से बड़ी साइटों एवं धरोहर स्थल के परिसर जिसमें लोग रहते हों, के लिए उपयोगी है।

3. स्वचालित डुअर लॉकिंग, लिफ्ट सिस्टम के लिए कट ऑफ एवं इमारत के भीतर संभावित खतरनाक क्षेत्रों तक पहुंच, विद्युत आपूर्ति व जल आपूर्ति प्रणालियों के लिए कट ऑफ जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं। प्रवेश व निकास पर बुनियादी भौतिक बाधाएं, सार्वजनिक स्थानों के साथ-साथ भंडारण व पुरालेख संबंधी दोनों क्षेत्रों के हर धरोहर स्थल में लॉकिंग सिस्टम उपलब्ध कराए जाने चाहिए इसके साथ ही इनकी नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए।

4. **आपातकालीन प्रकाश एवं वैद्युत बैक-अप प्रणालियां** जो सार्वजनिक स्थलों में बिजली चले जाने पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के साथ अचानक बिजली बढ़ने व बिजली के उतार-चढ़ाव से वैद्युत उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करें।

अन्य अनुक्रिया प्रणालियां जो जोखिम आकलन चरण में विशेष खतरों के अनुकूल हो, भी शामिल किए जाने चाहिए। ऐसी प्रणालियों का कार्यान्वयन करते समय, स्थल की अपेक्षाओं एवं सीमाओं को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक होता है।

4.4 इलाकाई एवं जिला स्तरीय आपातकालीन अनुक्रिया प्रणालियां

इलाकाई एवं जिला स्तरीय अनुक्रिया प्रणालियों की सांस्कृतिक धरोहर स्थल/परिसर की अनुकूलता के संबंध में जांच की जानी चाहिए। उदाहरणार्थ घनी बस्ती वाले कई धरोहर परिसरों में भूभाग, नियोजन, सड़क की चौड़ाई आदि के कारण पहुंचना कठिन होता है एवं उनमें होने वाली गतिविधियों के कारण चलना भी दूभर हो जाता है। अतः किसी प्रकार की आपातकालीन की स्थिति के मामले में परिसर अथवा स्थल में आपातकालीन पहुंच पर समझौता किया जा सकता है। स्थल अथवा परिसर के लिए खाली करने व आपातकालीन अनुक्रिया योजना तैयार करते समय, डीएएम व एसडीएम से परामर्श लेना चाहिए। अनुक्रिया प्रोटोकॉल को समन्वयित करने के उद्देश्य से दोनों पैमानों पर क्षमता निर्माण प्रयोग किया जाना चाहिए।

4.5 आपातकालीन दल तैयार करना

आपातकालीन टीम का पदानुक्रम एवं उन्हें आबंटित उत्तरदायित्व स्पष्ट होने चाहिए तथा स्थल के प्रबंधकों व कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय पणधारक जो आपातकाल से सीधे प्रभावित होंगे, को इस संबंध में अवगत कराया जाना चाहिए। आपातकालीन टीम को स्थानीय नेताओं एवं स्वयंसेवी समूहों को भी शामिल करना चाहिए। चूंकि सांस्कृतिक धरोहर स्थल एवं परिसर कर्मचारियों के मामले में अलग-अलग पैमाने हो सकते हैं इसलिए दल का आकार भिन्न-भिन्न हो सकता है। यह अत्यंत आवश्यक है कि दल के भीतर भूमिकाएं सौंपी जाए एवं स्थानीय प्राधिकारियों एवं आपातकालीन स्थिति से निपटने वाले प्रमुख कर्मियों को दल की संरचना के बारे में सूचित किया जाए ताकि आपदा आने से पूर्व संचार के प्रोटोकॉल स्थापित किए जा सकें।

दल का बुनियादी ढांचा नीचे दर्शाया गया है:



चित्र 17 आपातकालीन दल का ढांचा

4.5.1 आपातकालीन दल की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

एक ऐसी स्पष्ट आपातकालीन अनुक्रिया प्रोटोकॉल स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें संचार का प्रवाह स्पष्ट दिखाई दे। पणधारकों को धरोहर स्थल से निपटने वाली प्रक्रिया एवं संभावित चुनौतियों से भली भांति परिचित कराने के लिए ऐसे प्रयोग डीडीएमए/एसडीएमए के समन्वय से क्रियान्वित किए जाने चाहिए। प्रत्येक दल की भूमिका व उत्तरदायित्वों का संक्षिप्त सार निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

दल का सदस्य	आपदा से पूर्व	आपदा के दौरान	आपदा के पश्चात
आपातकालीन टीमलीडर (साइट मैनेजर अथवा स्वामी अथवा स्थानीय डीडीएमए/एसडीएमए माप के आधार पर)	आपातकालीन अनुक्रिया योजना, निकासी मार्ग तैयार करना दल के सभी सदस्यों एवं स्थानीय आपातकालीन अनुक्रियादाताओं के बीच निकासी योजना संचरित करना एवं विभिन्न आपदा परिदृश्यों के आपातकालीन प्रोटोकॉल पर परिचर्चा करना दल के शेष सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपना योजना के कार्यान्वयन के लिए बजट की व्यवस्था करना नियमित अभ्यास व कार्याशाला का आयोजन करना	आपातकालीन अनुक्रियादाताओं को सूचित करना, निकासी प्रक्रिया प्रारंभ करना आंतरिक दल एवं आपातकालीन अनुक्रियादाताओं से नियमित अंतराल पर अद्यतन सुनिश्चित करना	आंतरिक दल एवं अन्य पणधारकों के साथ आपदा पश्चात कार्यनीतियों पर परिचर्चा करना शुरूआती आकलन के लिए संसाधन नियत करना निधि जुटाने की कार्यनीति यदि आवश्यक हो, के साथ-साथ दीर्घकालिक बहाली योजना विकसित करने के लिए आकलन करना
बाहरी समन्वयक (स्थानीय एनजीओ, आपातकालीन अनुक्रियादाता (रिसर्पोर्डर))	स्वयंसेवकों का प्रशिक्षित दल तैयार करने के अवसर के तौर पर कार्याशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उपयोग विशेष रूप से प्रशिक्षित स्वयंसेवकों के संभावित नेटवर्कों के लिए क्षेत्र में विद्यमान धरोहर अन्य स्थलों/परिसरों के डेटाबेस व समन्वय करते हुए स्वयंसेवकों का विवरण दर्ज करना	आपातकालीन दलनायक के साथ मूल्यांकन करना यदि बाहरी सहायता आवश्यकता पड़ती है स्वयंसेवकों का दल तैयार करना एवं उन्हें उनकी अनुक्रिया के लिए पर्याप्त विवरण प्रदान करना	आंतरिक गतिविधियों को साथ में मिलाकर स्वयंसेवी दल की सहायता का प्रयोग करना एवं यह जांच करना कि सहायता की आवश्यकता सबसे अधिक कहां है आपातकालीन स्थिरीकरण के अनुमोदित प्रारूपों व प्रक्रियाओं की सहायता का उपयोग करते हुए त्वरित दृश्यात्मक आकलन करना

दल का सदस्य	आपदा से पूर्व	आपदा के दौरान	आपदा के पश्चात
सुरक्षा एवं संरक्षा दल	<p>यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षा के सभी सदस्य व प्रबंधन के कर्मचारी नियमित रूप से प्रशिक्षण व अभ्यास में भाग लें।</p> <p>सभी सुरक्षा कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की आपातकालीन स्थितियों व बुनियादी सीपीआर तथा प्राथमिक चिकित्सा के विभिन्न अनुक्रियाओं का भली भांति पता होना चाहिए।</p> <p>सुरक्षा सदस्यों को उच्च महत्व वाले स्थलों एवं साइट एवं सुरक्षा प्रणालियों व उपलब्ध सहायता के भीतर के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की जानकारी होनी चाहिए।</p>	<p>यह सुनिश्चित करना कि निकासी प्रोटोकॉल शुरू हो गया है निकासी में दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चों व महिलाओं की सहायता करना।</p> <p>यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत अथवा खतरनाक क्षेत्र में न घुसे।</p> <p>यदि स्थल सुरक्षित हो तो भवन के तत्वों/साइट के तत्वों अथवा वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना</p> <p>भवन का घेरा करना एवं स्थानीय दमकल कर्मियों व पुलिस के साथ समन्वय करना</p>	<p>यह सुनिश्चित करना कि साइट/क्षेत्र तक पहुंच नियंत्रित हो एवं चोरी या दहशत से बचने के लिए तत्व/ संग्रह हटाने व संग्रहण पर्यवेक्षण के तहत किया जाए।</p> <p>समन्वय में काम करना ताकि यह सुनिश्चित हो कि आपदा पश्चात आकलन व आपातकालीन स्थिरीकरण प्रक्रिया में सुरक्षा पूरी तरह से बरती जाती है।</p>
भवन/संरचना दल	<p>यह सुनिश्चित करना कि भवन की सेवाएं व भवन का वार्षिक, मासिक तथा दैनिक समय सारणी के अनुसार रखरखाव किया जा रहा है।</p> <p>यह सुनिश्चित करना कि सभी लेखा परीक्षा जैसे संरचनात्मक लेखा परीक्षा, अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा समयबद्ध तरीके में प्रमाणित पेशेवरों द्वारा की जाती हैं।</p>		<p>माहौल बदलना (मजबूत करना) (गीले पदार्थ हटाना, खिड़कियां, पंखें खोलना)</p> <p>अस्थायी भंडारण क्षेत्र इत्यादि की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो एवं स्थल में पुनः प्रवेश के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित दृश्यात्मक आकलन करना</p>
सुविधा दल	<p>भवन संबंधी सेवाओं, आपातकालीन बिजली आपूर्ति, गैस आपूर्ति सेवाओं की नियमित तौर पर लेखा परीक्षा की जाए।</p> <p>सभी पुरानी सेवाओं को नियमित तौर पर उन्नयन किया जाना चाहिए।</p>	<p>इत्यादि जैसे जोखिमों पर सुविधाओं तक पहुंच बंद करना एवं यह सुनिश्चित करना कि आवश्यक बुनियादी ढांचा जैसे पानी, वायरलेस संचार इत्यादि उपलब्ध है</p>	<p>माहौल में स्थिरता आने के पश्चात यह सुनिश्चित करना कि बाहरी एजेंसियों के समन्वय से यथाशीघ्र सुविधाएं बहाल हों</p>

दल का सदस्य	आपदा से पूर्व	आपदा के दौरान	आपदा के पश्चात
प्रशासन दल	<p>यह सुनिश्चित करना कि स्थल/परिसर के सभी अभिलेख, पुरालेख एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का डिजिटल बैक अप है इसके अलावा यह भी कि स्थल के बाहर संग्रहित भौतिक प्रतियां सुरक्षित स्थान में हैं। जोखिम आकलन, जोखिम में कमी लाने एवं आपातकालीन प्रबंधन दिशा में आंतरिक निधियां नियमित रूप से सौंपी जा रही हैं</p>		<p>आपदा पश्चात मूल्यांकन एवं अस्थायी स्थिरीकरण के लिए आंतरिक धनराशि सौंपी जाएगी।</p> <p>प्रशासन दल को बाहरी सहायता जुटाने के लिए यदि आवश्यक हो क्षेत्र के भीतर इसी तरह के अन्य स्थलों के साथ मन्वयन करने में समर्थ होना चाहिए।</p>
संग्रहण दल	<p>संग्रहण का अभिलेखन किया जाना चाहिए व इसे प्राथमिकता से लिया जाता है तथा संग्रह दल को पुनर्निर्माण एवं स्थायी भंडारण के लिए उचित प्रक्रियाओं में</p>	<p>यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि स्थल लोगों की पहुंच के लिए सुरक्षित है प्राथमिकता के आधार पर रखे गये संग्रहणों का सबसे पहले पता लगाया जाना चाहिए उन्हें सूचीबद्ध किया जाना चाहिए इसके पश्चात उसका भंडारण किया जाना चाहिए।</p>	<p>यह सुनिश्चित करना कि सभी क्षतिग्रस्त स्थलों का अभिलेखन हो एवं उसकी फोटोग्राफी हो।</p> <p>यह निर्धारित करना कि बहाली के लिए क्या वश्यक है</p> <p>-स्वयंसेवक, सामग्री एवं उपकरण, बाहरी विशेषज्ञ, स्थान, विशेष भंडारण अथवा उपचार सुविधाएं।</p>
मीडिया एवं आउटरीच दल		<p>मीडिया दल को अन्य दलों के साथ समन्वय करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि स्थल में प्रदान की गई जानकारी सटीक व सारगर्भित है</p>	<p>हानि एवं क्षति का स्पष्ट व संक्षिप्त विवरण देने व सहायता अपील यदि आवश्यक हो, के लिए बाहरी एजेंसियों के साथ समन्वय</p>

4.6 आपातकालीन आपूर्ति एवं उपकरण

आपातकालीन आपूर्ति एवं उपकरणों की एक सांकेतिक (व्यापक नहीं) सूची सूचीबद्ध है। आपातकालीन स्थिति में स्थिरता की घोषणा एवं स्थल के पुनः प्रवेश के सुरक्षित घोषित होने के पश्चात ही स्थल का अस्थायी बचाव किया जा सकता है। जटिल स्थलों के लिए स्थिरीकरण उपकरण की नितांत आवश्यकता होती है। आपातकालीन योजना बनाते समय ऐसे सामग्री के लिए संभावित आपूर्तिकताओं एवं भंडार गृहों की व्यवस्था की जा सकती है।

लोगों को बाहर निकालने के लिए

- आपातकालीन लाइट, फ्लैश लाइट
- प्राथमिक उपचार किट
- मास्क
- हवीलचेयर एवं स्ट्रेचर आवश्यकतानुसार

भवन/स्थल के अस्थायी स्थिरीकरण अथवा बचाव के लिए

- मजबूत टोपी अथवा हेलमैट
- सुरक्षा चश्मे
- मास्क
- फ्लैश लाइट एवं आपातकालीन लैंप
- मानक रबर दस्ताने, अल्म रोधी दस्ताने, ताप रोधी दस्ताने सहित मिश्रित दस्ताने
- स्टेशनरी के साथ आकलन प्रपत्र एवं क्लिपबोर्ड
- स्पेयर बैटरी पैक एवं स्पेयर मेमोरी कार्ड वाले कैमरे
- सावधानी टेप
- लेबल एवं चेपदार चिट
- घुमावदार टेप
- डोरी व रस्सी
- बुनियादी उपकरण पेटी
- उबड़-खाबड़ क्षेत्रों को अस्थायी रूप से ढकने के लिए पानी रोधी शीट सहित बुनियादी संग्रहण पेटी एवं पैकिंग सामग्री
- आपातकालीन स्थिरीकरण के लिए लकड़ी की पेटी, कील, पेंच इत्यादि सहित बुनियादी धातु के समान

5.1 आपदा पश्चात दस्तावेजीकरण एवं हानि का आकलन

आपदा पश्चात दस्तावेजीकरण, आकलन आपातकालीन स्थिति खत्म होने एवं स्थल/परिसर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों के भीतर की स्थिति समुचित ढंग से बहाल होने के पश्चात ही किया जा सकता है। स्थिति का दस्तावेजीकरण एवं आकलन आपदा पश्चात बहाली योजना तैयार करने एवं उसके लिए अतिआवश्यक संसाधन जुटाने का अभिन्न हिस्सा है। आपदा के कारण होने वाली हानि व क्षति का दस्तावेजीकरण एवं आकलन करने समय निम्नलिखित पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए।

1. **आपदा पश्चात दस्तावेजीकरण एवं आकलन के लिए मानकीकृत प्रक्रिया एवं कार्यप्रणाली:** आपदा पश्चात दस्तावेजीकरण एवं आकलन आपदा के परिमाण एवं उसके परिणामस्वरूप स्थल अथवा परिसर पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण भिन्न भिन्न हो सकता है। आम तौर पर विस्तृत सर्वेक्षण व आकलन की प्रक्रिया को सूचित करने के लिए पहले चरण में स्थल/परिसर का दृश्यात्मक सर्वेक्षण किया जाता है। दृश्यात्मक सर्वेक्षण सामान्य जांचसूची हो सकती है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि स्थल/परिसर पुनः प्रवेश एवं आकलन के लिए सुरक्षित है अथवा तत्काल स्थिरीकरण प्रक्रियाएं जैसे स्थल पर संरचनात्मक घटकों को ढंकना व मलबे हटाते हुए पहुंच बनाना जैसे आकलन का माध्यम हो सकती है। आपदा प्रबंधन योजना तैयार करते समय दस्तावेजीकरण व आकलन के प्रारूप विकसित किए जाने चाहिए। इस उद्देश्य के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा अधिकृत कई स्थापित पद्धतियां पहले से ही मौजूद हैं।
2. **आकलन करने की अनुसूची व समय सीमा:** सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं परिसरों का आपदा पश्चात क्षति आकलन आपदा से उत्पन्न जोखिमों के निवारण हो जाने तथा आकलन करने वाले पेशवरों अथवा स्वयंसेवकों द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने पर ही किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए समयसीमा जो विस्तृत दस्तावेजीकरण एवं आकलन के पश्चात प्रारंभिक दृश्यात्मक सर्वेक्षण को रेखांकित करती है, पर स्थानीय प्राधिकारियों व आपातकालीन अनुक्रियादाताओं के साथ परिचर्चा की जानी चाहिए।
3. **आकलन के लिए संसाधन जुटाना:** एल3 एवं एल2 स्तरीय आपदाओं के मामले में सांस्कृतिक धरोहर स्थल/परिसर में होने वाली क्षति व्यापक हो सकती है एवं आंतरिक संसाधनों का उपयोग करते हुए इसका आकलन करना संभव नहीं हो सकता है। नई तकनीक जैसे भीडभाड़ आधारित मानचित्र, आईसीटी प्लेटफार्म जहां स्वयंसेवक सूचना साझा कर सकते हैं, का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। त्वरित दृश्यात्मक आकलन करने के लिए प्रशिक्षित स्वयंसेवकों के दल को विशेष कार्य सौंपे जाने चाहिए।

4. **आपदा पश्चात बहाली योजना एवं कार्य की प्रक्रिया की सूचना देने का सार्थक तरीके में डेटा का संकलन करना:** स्थानीय पणधारकों, प्रबंधन व संभावित वित्त पोषण करने वाली या दान देने वाली एजेंसियों को आपदा के कारण होने वाली सभी हानियों का आकलन एवं संकलन की सूचना स्पष्ट तथा प्रभावी तरीके से दी जानी चाहिए ताकि बहाली की योजना कारगर व पारदर्शी तरीके में किया जा सके। इस डेटा पर आधारित आपदा पश्चात आवश्यक आकलन में निम्नलिखित पर आधारित कार्रवाईयों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए:

- I. स्थल के वे तत्व जो आपदा के कारण सबसे अधिक जोखिम में होते हैं।
- II. वे तत्व जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण व संवेदनशील होते हैं
- III. वे तत्व जो सबसे अधिक क्षतिग्रस्त हैं लेकिन मूल रूप में स्थापित किया जा सकता है।
- IV. अपेक्षाकृत स्थिर पहलू वाले
- V. अप्रत्याशित क्षतिग्रस्त तत्व

आपदा पश्चात आकलन में शामिल बुनियादी प्रक्रियाएं निम्नलिखित (आईसीसीआरओएम) होती हैं:

विषय का आकलन	<ul style="list-style-type: none"> यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि स्थल/परिसर एवं उसके आसपास के क्षेत्र प्रवेश व कार्य करने की दृष्टि से सुरक्षित हों एवं उनमें बुनियादी सेवाएं उपलब्ध हों।
प्रारंभिक आकलन का मूल्यांकन करना	<ul style="list-style-type: none"> स्थल की क्षति की एक समग्र तस्वीर बचाव दल को तत्काल जरूरतों एवं संसाधनों को सूचीबद्ध करने, अनुमतियों व सहायता का अनुमाल लगाने, बचाव प्रक्रियाओं के मानदंड निर्धारित करने तथा प्रारंभिक योजना विकसित करने में सक्षम करेगी।
सुरक्षा एवं स्थिरता	<ul style="list-style-type: none"> आपदा के परिमाण के आधार पर किसी प्रकार के बचाव कार्य शुरू करने से पूर्व स्थान को सुरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है।
प्रारंभिक आकलन के धार पर संग्रहित वस्तुओं	<ul style="list-style-type: none"> प्रारंभिक आकलन के आधार पर कुछ निश्चित तत्वों को उनके स्थान से हटाना एवं उन्हें अस्थायी स्थान में सुरक्षित ढंग से स्थानांतरित करना अत्यावश्यक माना जा सकता है।
बचाव व स्थानांतरण विस्तृत आकलन	<ul style="list-style-type: none"> यह केवल प्रशिक्षित पेशेवरों ही द्वारा किया जाना चाहिए। किसी भी उपचार से पूर्व वस्तु की स्थिति का विस्तृत रिकॉर्ड रखने के लिए विस्तृत मूल्यांकन दस्तावेज, दृश्यात्मक के साथ-साथ वर्णनात्मक भी होना चाहिए।

चित्र 19 आपदा पश्चात आकलन प्रक्रिया

5.2 आपात स्थिति का स्थिरीकरण - दृष्टिकोण

दीर्घकालिक मरम्मत से पूर्व, बहाली व पुनर्निर्माण प्रक्रियाएं की जा सकती हैं, स्थल पर सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने एवं आपदा से जोखिम को कम करने के लिए स्थल अथवा परिसर को स्थिरता प्रदान करना अंतरिम उपाय आवश्यक हो सकते हैं। स्थिरीकरण की दिशा में आक्रामक दृष्टिकोण के लिए संरचनात्मक विशेषज्ञ या संरक्षण विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि स्थल/परिसर का महत्व पर ऐसी बाधाओं से आगे समझौता नहीं किया जाएगा।

कुछ अंतरिम स्थिरीकरण कदमों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

1. स्थल को पर्यावरण संबंधी क्षति से बचाने, अंदरूनी जगत को सुरक्षित करने एवं किसी प्रकार की अंदरूनी जगहों के काम करने की स्थिति में स्थायित्व प्रदान करने के लिए शेल्टर/छत तैयार करना।
2. भवन जो प्रभावित है/संरचनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त है, को अस्थायी संरचनात्मक सहायता के लिए टे लगाना, आड़ लगाना, सहारा देना अथवा जोड़ना। इन प्रक्रियाओं में योग्य विशेषज्ञ की सूचनाओं की आवश्यकता होती है चूंकि अप्रयुक्त सहायता प्रणालियां आगे क्षति का कारण बन सकती हैं।
3. जैविक हमलों, लंबी आद्रता इत्यादि को रोकने के लिए पानी या नमी के कारण क्षति की सीमा के आधार पर यांत्रिक वायु संचालन, पंखे, आद्रता कम करने वाले उपकरण का उपयोग करते हुए संरचना अथवा अंदरूनी हिस्से को सुखाना।
4. अत्यधिक महत्व वाली व अत्यधिक जोखिम वाली सतहों के लिए सामग्री के आधार पर सूखी या गीली सफाई करना।
5. कुछ परिदृश्यों में संरचना को तोड़ने पर विचार किया जा सकता है जहां संरचनात्मक प्रणाली पुनः तैयार करने प्रक्रिया की अनुमति देता है व ऐसे परिदृश्य में जहां व्यापक दस्तावेज मौजूद हैं।

स्थिरीकरण प्रक्रिया केवल मूल्यांकन चरण पूरी होने एवं कार्यों के प्राथमिकता के संबंध में हितधारकों के सहमत होने के निर्णय के बाद ही की जानी चाहिए।

स्थल/परिसर का अंतरिम स्थिरीकरण भी महत्वपूर्ण होता है चूंकि यह स्थल के प्रबंधकों, स्थानीय पणधारकों एवं प्राधिकारियों को व्यवस्थित करने, धन जुटाने एवं आपदा पश्चात मरम्मत व बहाली के संबंध में निर्णय लेने का समय प्रदान करता है। हर कीमत पर जल्दबाजी से बचा जाना चाहिए चूंकि इसके परिणामस्वरूप बहाली प्रक्रिया में धरोहर के महत्व के नुकसान और बढ़ जाने का खतरा हो सकता है।

5.3 आपदा पश्चात मरम्मत एवं पुनर्निर्माण

क्षतिग्रस्त स्थल/परिसरों की आपदा पश्चात मरम्मत एवं पुनर्निर्माण केवल ठोस दस्तावेजीकरण एवं आकलन प्रथाओं के आधार पर ही किया जाना चाहिए। खराब पुनर्निर्माण प्रथाओं के कारण धरोहर की बनावट को आगे भौतिक क्षति के अतिरिक्त संरचनात्मक जोखिम की संभावना बढ़ जाती है। पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास दृष्टिकोण में धरोहर स्थलों व परिसर की विभिन्न विशिष्टताओं की पहले से ही मौजूद विधायी ढांचे को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। इस संबंध में सामान्यतया निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए जाने चाहिए:

1. ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों में कम से कम हस्तक्षेप का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए एवं कोई भी हस्तक्षेप **ठोस दस्तावेजीकरण व शोध** पर आधारित होना चाहिए। किसी भी प्रकार के पुनर्निर्माण, मरम्मत एवं पुरानी स्थिति में लाने के प्रयास में नैसर्गिकता एवं दृश्यात्मक अखंडता के पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
2. क्षतिग्रस्त संरचना की मरम्मत व पुनरुद्धार में जहां तक संभव हो **पारंपरिक कौशल और प्रौद्योगिकियां** जहां वे अभी भी मौजूद हैं, का नियोजन किया जाना चाहिए। इससे भवन एवं शिल्प परंपरा की निरंतरता सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है।
3. कई सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं परिसरों में स्थानीय आबादी के साथ मजबूत सांस्कृतिक/सामाजिक-आर्थिक संबंध होता है एवं आपदा के पश्चात उनका पुनरुद्धार करना सामान्य स्थिति की भावना पैदा करता है। समग्र बहाली योजना के भीतर धरोहर के संरक्षण/पुनर्निर्माण को सुविधाजनक बनाने में इन विचारों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
4. 'पुनः बेहतर निर्माण' के सिद्धांतों को सेंडाई फ्रेमवर्क जैसे अंतरराष्ट्रीय ढांचे का केंद्रीय घटक है। हालांकि सांस्कृतिक धरोहर के संबंध में 'बेहतर' की धारणा अभी तक स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। इसका तात्पर्य है कि रेट्रोफिटिंग उपाय जो सांस्कृतिक धरोहर स्थलों की संरचनात्मक स्थिरता प्रदान करते हैं, सावधानी के साथ एवं पणधारकों के बीच लाभप्रदता के साथ-साथ इस तरह की दृष्टिकोण की सीमाओं पर स्पष्ट रूप से चर्चा करते हुए सामुहिक रूप से परामर्श करने के पश्चात ही किया जाना चाहिए। रेट्रोफिटिंग अखण्डता एवं मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं एवं इस संभावित प्रभाव पर चर्चा की जानी चाहिए एवं इसकी लाभप्रदता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

5.4 वित्तपोषण, साझेदारी एवं कारोबारी योजना

आपदा पुनर्वास एवं बहाली के लिए संसाधनों तैयार करने में स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय साझेदारों व संस्थानों के योगदान की आवश्यकता होती है जो अक्सर धन जुटाने के कार्य के साथ-साथ जटिल प्रक्रिया में निधि का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का कठिन कार्य बन जाता है। स्थानीय पणधारकों के विचार एवं जुटाई गयी निधियों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए सांस्कृतिक धरोहर स्थल प्रबंधक द्वारा स्पष्ट उद्देश्यों व समयसीमा के साथ अच्छी सुदृढ़ कारोबारी योजना तैयार की जानी चाहिए।

निधियां आमतौर पर, केंद्र एवं/या अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों के समन्वय से राज्य के खजाने के माध्यम से संवितरित होती हैं। निधि का उपयोग संबंधित मंत्रालय के माध्यम से निर्धारित किया जाता है एवं केंद्रीय/राज्य द्वारा संरक्षित स्मारकों व स्थलों के मामले में यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाएगा जबकि शहरी परिसर व केंद्र शहरी विकास मंत्रालय के अधीन वित्तपोषित होंगे। असंरक्षित धरोहर स्थलों का वित्तपोषण गैर सरकारी एजेंसियों, जन निजी भागीदारी (पीपीपी) वित्तपोषण एवं अन्य साझेदारी व्यवस्थाओं के माध्यम से किया जा सकता है।

5.5 बहाली को जोखिम कम करने से जोड़ना

बहाली, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण प्रक्रियाओं को जोखिम को कम करने एवं भविष्य के आपदाओं के संभावित प्रभाव को कम करने से जोड़ा जाना चाहिए। पुनः बेहतर निर्माण का विचार इस दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करता है। अक्सर आपदा पश्चात बहाली प्रक्रिया जोखिम एवं आपात स्थिति के प्रबंधन में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है तथा आपदा जोखिम प्रबंधन की दिशा में पिछले दृष्टिकोण में अंतर को उजागर कर सकती है। वे जोखिम जिनका पूर्व में निवारण नहीं किया जा सका था, भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं एवं चिन्हित अतिसंवेदनशीलता वाले क्षेत्र को मजबूत पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार एवं पुनरोपयोग से हटाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। इस बहाली चरण का जोखिम में अधिक से अधिक कमी के संबंध में पेशेवरों व स्थानीय हितधारकों के बीच क्षमता निर्माण के अवसर के रूप में भी उपयोग किया जाना चाहिए।

6

प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं जागरूकता फैलाना

प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं जागरूकता फैलाना आपदा जोखिम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलु होते हैं एवं इसे बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। सांस्कृतिक धरोहर स्थलों व परिसरों के संबंध में, शामिल पणधारकों की विविधता के कारण, आपदा जोखिम प्रबंधन के भीतर विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए लक्षित एजेंसियों व संस्थानों के बीच कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त ये कार्यक्रम आपदा जोखिम तैयार करने के निरंतर उन्नयन सुनिश्चित करने एवं अनुक्रिया प्रोटोकॉल की निरंतरता सुनिश्चित करने वाले आवर्ती चक्र का हिस्सा होना चाहिए। प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण कार्यक्रम निम्नलिखित मूल उद्देश्यों के साथ तैयार किये जाने चाहिए:

- आपदा जोखिम प्रबंधन की दिशा में समग्र दृष्टिकोण को रेखांकित करने वाले जो सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं परिसरों की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप हों।
- स्थल के प्रबंधकों एवं स्थल के कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से अपने स्थलों के बुनियादी जोखिम आकलन करने एवं जोखिम न्यूनीकरण उपायों, आपातकालीन अनुक्रिया प्रोटोकॉल एवं बहाली प्रक्रिया के माध्यम से प्रबंधन के लिए प्रणालियां तैयार करने में समर्थ बनाते हों।
- स्थल के प्रबंधक एवं स्थानीय समाज सहित पणधारक उन्हें सौंपी गई क्षमता में आपदा जोखिम प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन, निगरानी एवं अद्यतन के लिए पूरी तरह से लैस हों।
- सांस्कृतिक धरोहर स्थलों व परिसर के प्रबंधन तथा प्रशासन के प्रति जवाबदेह विभिन्न एजेंसियों के बीच संस्थागत क्षमता निर्माण एवं सहयोग के लिए नेटवर्क स्थापित किए जाने चाहिए।
- विशिष्ट भौगोलिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ के कारण उत्पन्न होने वाले खतरे से निपटने वाले विशिष्ट मुद्दों को रेखांकित करते हों।

आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के अधिदेश प्राथमिक रूप से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) को सौंपे गये हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन के राज्य संस्थानों के साथ-साथ एसडीएमए/डीडीएमए को अपने स्तर पर प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए।

अभ्यास को रूप देने अथवा लंबे कार्यक्रमों में कर्मियों के प्रशिक्षण देने से पूर्व निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:

1. जोखिम विश्लेषण एवं जोखिम प्राथमिकता का उत्तरदायित्व लेना तथा कर्मचारियों की मौजूदा क्षमताओं का आकलन करना।
2. कर्मचारियों के प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य की पहचान करना एवं आपातकालीन दल व ढांचा तैयार करना।
3. तैयारी एवं अनुक्रिया के लिए मानक व प्रोटोकॉल विकसित करना।
4. विशिष्ट अभ्यास एवं प्रयोग क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक बाहरी संसाधनों प साझेदारी की पहचान करना।

5. मसौदा आपदा योजना तैयार करना एवं अभ्यास व अनुकरण करने के लिए परीक्षण के तौर पर इसका उपयोग करना तथा अनुक्रिया के आधार पर योजना का अद्यतन करना।
6. इसके अतिरिक्त विशिष्ट खतरे वाली स्थलाकृति व स्थल के सामने आने वाले विशिष्ट जोखिमों के आधार पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता निर्माण गतिविधियां की जानी चाहिए।

6.1

आपदा जोखिम प्रबंधन पेशेवरों/आपातकालीन अनुक्रियादाताओं के लिए क्षमता निर्माण

कार्यक्रम	विवरण	अवधि
धरोहर से संबंधित चिंताओं एवं समस्याओं का परिचय	यह मॉड्यूल सांस्कृतिक धरोहर की विशेष चिंताओं एवं कार्यक्षेत्र एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण की चुनौतियों से परिचय कराता है।	2-3 दिन
सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं परिसरों के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन	इस प्रकार का पाठ्यक्रम प्रतिभागियों को उन्हें सांस्कृतिक धरोहर के एकीकृत आपदा जोखिम आकलन करने, जोखिम कम करने पर लक्षित विभिन्न उपायों को समाविष्ट करते हुए आपदा जोखिम प्रबंधन की समग्र प्रणालियां तैयार करने, आपदा से निपटने एवं सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं परिसरों के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करने में समर्थ बनाते हुए आपदा से निपटने एवं बहाली करने वाला अंतःविषय प्रशिक्षण प्रदान करेगा।	1-2 सप्ताह
सांस्कृतिक धरोहर के लिए आपातकालीन अनुक्रिया एवं स्थिरीकरण	यह मॉड्यूल आपातकालीन अनुक्रियादाताओं को सांस्कृतिक धरोहर स्थल एवं परिसरों के लिए लागू समुचित आपातकालीन अनुक्रिया प्रक्रिया में कलाकृतियों एवं संग्रहित वस्तुओं को नया रूप देने की प्रक्रिया रेखांकित करने, एवं अस्थायी स्थिरीकरण जो सांस्कृतिक धरोहर स्थलों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हों, के उपाय स्पष्ट करने में प्रशिक्षित करेगा।	सप्ताह

चित्र 20 आपदा जोखिम प्रबंधन पेशेवरों का प्रशिक्षण

6.2 साइट के कर्मचारियों एवं प्रबंधन का प्रशिक्षण

प्रबंधन की पूर्व-मौजूदा योजनाओं अथवा प्रणालियों वाले स्थलों में वार्षिक/मासिक कैलेंडर के भीतर निम्नलिखित कार्यक्रम एकीकृत किए जाने चाहिए।

कार्यक्रम	विवरण	अवधि	बारंबारता	प्रतिभागी
बुनियादी सुरक्षा प्रोटोकॉल आपूर्ति	महत्वपूर्ण ढांचागत, सुरक्षा एवं मानक अनुक्रियाओं के बारे में सुरक्षा एवं कर्मचारी को बुनियादी प्रशिक्षण	1 घंटा	माह में एक बार	विशेष रूप से सुरक्षा कर्मचारी, प्रबंधक
जोखिम मूल्यांकन प्रशिक्षण	प्रतिभागी को भवन, अवसंरचना, का बुनियादी जोखिम आकलन, प्रबंधन इत्यादि करने में समर्थ होना चाहिए।	2-3 दिन	2-3 वर्ष में एक बार	साइट मैनेजर एवं कर्मचारीगण। साइट के संरक्षण/प्रबंधन में शामिल स्मारक प्रकृतिशनर के साथ समन्वय में हो सकते हैं।
टेबलटॉप अभ्यास	टेबल टॉप अभ्यास आपदा प्रबंधन संगठनात्मक योजना के भीतर पाए गए कार्यों के क्रियाकलापों एवं संचार संबंधों का प्रदर्शन करने का कागजी अभ्यास है	½ दिन	तीन माह में एक बार	यह अभ्यास प्राथमिक रूप से प्रशासकों, प्रबंधकों एवं कर्मियों के लिए है जो आपदा प्रबंधन योजना के सक्रिय होने पर संभावित रूप से किसी अधिकारी की स्थिति में रखे जा सकते हैं
स्थल/परिसर स्तर पर आपातकालीन अभ्यास अथवा कार्यशाला	अभ्यास जिसमें सभी कर्मचारी एवं प्रबंधन शामिल होते हैं तथा स्थल अथवा परिसर को संभावित आपदा परिदृश्यों व समुचित अनुक्रियाओं के लिए तैयार करते हैं।	1 दिन	6 माह में एक बार	आदर्श रूप से इस अभ्यास में आगंतुकों को भाग लेना चाहिए जो जागरूकता ही नहीं अपितु कर्मचारियों व प्रबंधन को यथार्थवादी परिदृश्य भी प्रदान करते हैं

रेखाचित्र 21 कर्मचारियों एवं प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण

6.3 स्थानीय समुदाय, नागरिकों एवं आगंतुकों के बीच जागरूकता फैलाना

सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं परिसरों के आपदा जोखिम प्रबंधन को निवारण करने की विशेष चिंताओं व चुनौतियों के कारण, इन स्थलों में रहने वाले लोगों के साथ-साथ आगंतुकों व पर्यटकों के लिए आपदा जोखिम प्रबंधनके प्रति जागरूकता फैलाने की गतिविधियों को तैयार करना महत्वपूर्ण हो जाता है। आपदा के दौरान एवं उसके पश्चात स्थानीय लोगों को भी स्वयंसेवकों के तौर पर जुटाया जा सकता है इसलिए पूर्व प्रशिक्षण मजबूत अनुक्रिया सुनिश्चित करेगा व समन्वय को सुव्यवस्थित भी करेगा। निम्नलिखित कार्यों के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जा सकती है।

कार्यक्रम	विवरण	अवधि	बारंबारता	प्रतिभागी
स्थलेत्तर व्याख्या/ उन्मुखीकरण/ निर्धारित साहित्य	आईसीटी आधारित साहित्य या मुद्रित साहित्य जो स्थल अथवा परिसर की आपातकालीन योजना पर प्रकाश डालते हों। यह परिचर्चा अथवा ब्रोशर व मानचित्र के रूप में भी हो सकते हैं।	लागू नहीं	लागू नहीं	सभी स्थानीय पणधारकों, स्थल में आने वाले लोगों की स्वतंत्र रूप से एवं व्यापक रूप से इस जानकारी तक पहुंच होनी चाहिए।
बुनियादी आपातकालीन प्रोटोकॉल वितरण	स्वीकार्य विधि, प्रक्रियाओं के बारे में क्षेत्र में सुरक्षा एवं आपातकालीन अनुक्रियादाता को शामिल करने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण	½ दिन	परिवर्तनशील (जोखिम के एक्सपोजर के स्तर पर निर्भर)	वे सभी पणधारक जो स्थल में सबसे अधिक समय व्यतीत करते हैं।
स्थल/परिसर स्तर पर आपातकालीन अभ्यास अथवा कार्यशाला	ऐसा अभ्यास जिसमें सभी कर्मचारी शामिल होते हैं एवं स्थल अथवा परिसर को संभावित आपदा परिदृश्य एवं समुचित अनुक्रियाओं के लिए तैयार करता है।	1 दिन	6 माह में एक बार	इस अभ्यास में निवासियों, आगंतुकों एवं अन्य पणधारकों में जागरूकता ही फैलती है अपितु कर्मचारियों और प्रबंधन को यथार्थवादी परिदृश्य भी उपलब्ध होता है

चित्र 22 जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रम

6.4 धरोहर व्यवसायियों/पेशेवरों का प्रशिक्षण

आपदा जोखिम प्रबंधन की चिंताओं को एकीकृत करने के लिए सांस्कृतिक धरोहर व्यवसायियों को आवश्यक कौशल से लैस करने का प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। यह पेशेवर डिग्री के मौजूदा पाठ्यक्रम के भीतर समाविष्ट अल्प अवधि की कार्यशाला अथवा कार्यक्रम अथवा सतत प्रशिक्षण के रूप में हो सकते हैं। प्रशिक्षण के कुछ संभावित प्रारूपों का नीचे वर्णन किया गया है।

कार्यक्रम	विवरण	अवधि
आपदा जोखिम आकलन की कार्यप्रणालियां	यह मॉड्यूल आपदा जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में चरणों के बीच बुनियादी संबंध की तलाश करेगा। जोखिम आकलन के लिए इस आधार, दृष्टिकोण एवं विधियों पर निर्माण शुरू किया जाएगा	2-3 दिन
सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं परिसरों के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन	इस प्रकार का पाठ्यक्रम प्रतिभागियों को उन्हें सांस्कृतिक धरोहर के एकीकृत आपदा जोखिम आकलन करने, जोखिम कम करने पर लक्षित विभिन्न उपायों को समाविष्ट करते हुए जोखिम प्रबंधन की समग्र प्रणालियां तैयार करने, आपदा से निपटने एवं सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं परिसरों के आपदा जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करने में समर्थ बनाते हुए आपदा से निपटने एवं बहाली करने वाला अंतःविषय प्रशिक्षण प्रदान करेगा।	1 -2 सप्ताह
सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं परिसरों के लिए आपदा पश्चात आकलन	यह मॉड्यूल धरोहर स्थलों एवं परिसर के लिए आपदा मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा तथा धरोहर व्यवसायियों को आपदा के विभिन्न पैमाने पर व विभिन्न परिदृश्यों में आकलन करने वाले आवश्यक उपकरणों से लैस करेगा।	2-3 दिन
आपदा जोखिम बहाली की योजना	यह मॉड्यूल ऐसी कार्ययोजनाओं की तलाश करेगा जो सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं परिसरों के आपदा पश्चात बहाली एवं पुनर्वास से जुड़े होते हैं।	2-3 दिन

चित्र 23 धरोहर व्यवसायियों का प्रशिक्षण

7.1 कार्यान्वयन

इन दिशानिर्देशों में साइटों और परिसरों के लिए विस्तार से दिये गये कुछ प्रावधान तत्काल प्रभाव से आरंभ किए जाने की आवश्यकता है जबकि लंबी अवधि की रणनीतियों और परिवर्तनों के कार्यान्वयन के लिए समय व संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है। इन कार्ययोजनाओं की को प्राथमिकता के आधार पर अल्प अवधि (0-1 वर्ष), मध्यम अवधि (1-5 वर्ष) एवं दीर्घ अवधि (5-10 वर्ष) में विभाजित किया जा सकता है। इन दिशानिर्देशों के ढांचे के भीतर प्रस्तावित विभिन्न कार्रवाइयों की रूपरेखा नीचे दी गयी है:

स्तर	कार्रवाई	उत्तरदायी एजेंसी
राष्ट्रीय	<p>केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित जीआईएस डेटाबेस, स्थल की सीमा, अतिसंवेदनशीलता वाले सभी स्मारकों एवं स्थलों का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के मानचित्रण 3 डी मानचित्र/दस्तावेज़ीकरण में राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया जाना चाहिए एवं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के लिए विस्तृत जोखिम आकलन एवं आपदा जोखिम प्रबंधन योजना तैयार की जानी चाहिए।</p> <p>सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं परिसरों पर पर्यटन की क्षमता व प्रभाव की निगरानी करने के लिए पद्धतियों, प्रथाओं व तकनीकों की पहचान तथा प्रसार</p> <p>सुव्यवस्थित आपदा जोखिम प्रबंधन योजना बनाना जिसमें सभी एएसआई स्मारकों एवं स्थलों के जोखिम के न्यूनीकरण की विस्तृत रणनीति शामिल हो।</p> <p>सांस्कृतिक धरोहर स्थलों के जोखिम आकलन पर वैज्ञानिक प्रयोग जो सांस्कृतिक धरोहर स्थलों के विभिन्न खतरों तथा विभिन्न विशिष्टताओं के लिए पद्धतिगत ढांचे की जानकारी दे।</p>	<p>संस्कृति मंत्रालय (एसआई एवं एनएमए)</p> <p>विशेषज्ञतापूर्ण सूचनाओं के साथ पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय</p> <p>संस्कृति मंत्रालय/एसआई</p> <p>क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वालों की तकनीकी सूचना के साथ एसआई</p>

स्तर	कार्रवाई	उत्तरदायी एजेंसी
राज्य	संस्थागत क्षमता का निर्माण करना एवं धरोहर पेशेवरों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित पाठ्यक्रम के भीतर डीआरएम कार्यक्रमों के रोस्टर के साथ कर्मचारियों एवं प्रबंधन के लिए छोटे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।	एनआईडीएम/एनडीएमए के सहयोग से एएसआई
	राष्ट्रीय अनुक्रिया बलों को धरोहर स्थलों एवं परिसर में आपात स्थिति संभालने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।	एनआईडीएम, सीआईएसएफ, एनडीआरएफ
	धरोहर परिसर/स्थलों से जुड़ी नई योजनाओं में अपने दायरे के भीतर धरोहर परिसर व आस पड़ोस के क्षेत्र से निपटने के विशेष दृष्टिकोण के साथ, आपदा जोखिम योजना शामिल की जानी चाहिए।	शहरी विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालय
	भारतीय संदर्भ को संदर्भित करने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं एवं विस्तृत मार्गदर्शन पर नियमावली विकसित किया जाना चाहिए।	एनडीएमए एवं अन्य संस्थान की सहायता जहां आवश्यकता हो, के साथ संस्कृति मंत्रालय
	प्रशिक्षित पेशेवर जो किसी आपातकालीन स्थिति में संसाधन हो सकते हैं, का डेटाबेस सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर प्रशिक्षित विशेषज्ञों का नेटवर्क एवं निर्देशिका तैयार की जानी चाहिए।	नेतृत्व करने वाला राज्य पुरातत्व विभाग
	डीआरएम योजनाओं में सांस्कृतिक धरोहर के विभिन्न वर्गों को शामिल करना जिनकी देखरेख राज्य सरकार द्वारा की जाती हैं।	एसडीएमए, राज्य पुरातत्व विभाग
	सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं परिसर को नियंत्रित करने वाले राज्य पुरातत्व अधिनियमों को लागू करना एवं कार्यान्वयन की निगरानी करना।	राज्य पुरातत्व विभाग
	किसी भी आधारभूत संरचना अथवा विकास परियोजनाओं से पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) के साथ ही धरोहर प्रभाव आकलन (एचआईए) करना।	राज्य पुरातत्व विभाग एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य द्वारा संरक्षित स्मारकों एवं धरोहर परिसर के लिए समन्वयित राज्य स्तरीय योजनाएं विकसित करना।	एसडीएमए, राज्य पुरातत्व विभाग, राज्य सरकार	

स्तर	कार्रवाई	उत्तरदायी एजेंसी
जिला एनजीओ/ संबद्ध धरोहर संस्थान	जिलों को समग्र आपदा जोखिम प्रबंधन योजनाओं के भीतर धरोहर चिंताओं को सुव्यवस्थित करना चाहिए एवं जिला स्तर पर क्षमता निर्माण करना चाहिए।	डीडीएमए, स्थानी शहरी स्थानीय निकाय, पंचायतें
	अनरक्षित धरोहर स्थलों के जोखिम को समझने के लिए अनरक्षित धरोहर का सर्वेक्षण करना।	संस्थान, विश्वविद्यालय
	प्रशिक्षण गतिविधियों एवं अभ्यास का रोस्टर जो संस्थागत स्तर पर क्षमता निर्माण करते हों।	

7.2 दिशानिर्देशों का संशोधन एवं अद्यतन

यह दस्तावेज़ एक बहुआयामी दस्तावेज़ है एवं इसका हासिल किए गये लक्ष्य जो कार्य योजना में रेखांकित हैं एवं पेशेवरों, स्थल के प्रबंधकों व नीति निर्माताओं के क्षेत्र के अनुभव के आधार पर प्रत्येक 3-5 वर्षों में अद्यतन किया जाएगा। इन दिशानिर्देशों में तकनीकी विशेषज्ञता के साथ विकसित होने वाले विस्तृत मूल्यांकन प्रारूप एवं विभिन्न खतरों व सांस्कृतिक धरोहर स्थलों की भिन्न-भिन्न स्थलाकृति, सर्वोत्तम परंपरा, मामले का अध्ययन इत्यादि जैसे अतिरिक्त संसाधन जोड़े जाएंगे।

अभस के झा, जेनिफर डुएन बारेनस्टीन, प्रिस्किला एम. फेलप्स, डैनियल पिटेट, स्टीफन सेना। कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन इन सेफर होल्म, स्ट्रोंगर कम्युनिटीज़: प्राकृतिक आपदा, विश्व बैंक, 2010 के बाद पुनर्निर्माण के लिए एक पुस्तिका

आनंद एस आर्य, टेडी बोएन, यूजी इश्यामा। भूकंप प्रतिरोधी गैर-अभियांत्रिक निर्माण के लिए दिशानिर्देश। यूनेस्को, पेरिस, 2014

अन्ना पाओलिना, एट.एल. रिस्ट मैनेजमेंट एट हेरिटेज साइट्स - पेद्रा वल्ड हेरिटेज साइट का विषय अध्ययन। यूनेस्को; यूनेस्को अम्मान कार्यालय, 2012

अंशुमन साइकिया, डेनिस नक्कला, इयान डेविस, माधवी माललगोडा एरियाबंदु, मिहिर आर भट्ट, सच्चीत बलसारी, टी. नंदा कुमार। सिक्किम में जोखिम संवेदनशील धरोहर संरक्षण। अखिल भारतीय आपदा प्रशमन संस्थान, अहमदाबाद, 2014

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष (संशोधन और सत्यापन) अधिनियम, 2010. नई दिल्ली: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, 2010

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जे पॉल गेह्री ट्रस्ट, यूएसए, ब्रिटिश संग्रहालय, यूके और राष्ट्रीय संस्कृति कोष। एएसआई संग्रहालयों के लिए दिशानिर्देश। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली, 2013

सिंधिया रॉकवेल, साइमन लैम्बर्ट। प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आईसीओएमओएस इटली, 2016

डेविड मायर्स, स्टेसी निकोल स्मिथ, और गेल ओस्टरग्रेन। कंसेसिस बिल्डिंग, नेगोसिएशन एंड कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन फॉर हेरिटेज प्लेस मैनेजमेंट। गेह्री संरक्षण इंस्टिट्यूट, लॉस एंजिल्स, 2009

देवदास मेनन, अमलान के. सेनगुप्ता। सेस्मिक रिट्रोफिट ऑफ बिल्डिंग पर पुस्तिका। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली, भारतीय भवन कांग्रेस, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, 2007

यूजीन क्रेते, एट.एल. एंड्रेंज हेरिटेज: एमरजेंसी इवैक्यूएशन ऑफ हेरिटेज कलेक्शन। यूनेस्को, आईसीओएमओएस, 2016

जी.बी. मेनन, जे.एन. वकील। राष्ट्रीय भवन संहिता (भाग 4) पर टिप्पणी - आग और जीवन सुरक्षा। गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, 2008

गेह्री संरक्षण संस्थान। बिल्डिंग ऐन ऐमजरजेंसी प्लान: ए गाइड फॉर म्यूजियम एंड अदर कल्चरल इंस्टीट्यूशन। गेह्री प्रकाशन, लॉस एंजिल्स, 2000

हंस-रुडोल्फ मेयर, माइकल पेटजेट और थॉमस विल। कल्चरल हेरिटेज एंड नेच्यूरल डिसास्टर्स, रिस्क प्रीपेयरडनेस, एंड द लिमिट्स ऑफ प्रीवेंशन - हेरिटेज एट रिस्क। आईसीओएमओएस, फ्रांस, 2007

हेलेन अप्रियल, गीना डबलेडे, माइकल गिब्सन। वल्ड हेरिटेज। रिचर्ड फोस्टर, 2014

हर्ब स्टोवेल। रिस्क प्रीपेयरडनेस: ए मैनेजमेंट मैनुअल फॉर वल्ड कल्चरल हेरिटेज। आईसीओएमओएस, 1998

आईसीओएमओएस। गाइडेंस ऑन हेरिटेज इम्पेक्ट असेसमेंट्स फॉर कल्चरल वल्ड हेरिटेज प्रोपर्टीज़। अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्मारक और स्थल, पेरिस, 2010

आईसीओएमओएस। इंटरनेशनल चार्टर फॉर द कंजर्वेशन एंड रीस्टोरेशन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स। वेनिस, 1964

आईसीओएमओएस ऑस्ट्रेलिया (2004/2013)। द बुरा चार्टर: द ऑस्ट्रेलिया आईसीओएमओएस चार्टर फॉर प्लेसिस ऑफ कल्चरल सिग्निफिकेंस। 2013

आईसीओएमओएस। क्योटो डिक्लेरेशन ऑफ कल्चरल प्रोपर्टीज़, हिस्टोरिक एरियास एंड देयर सेटिंग फ्रॉम लॉस इन डिसास्टर्स। आईसीओएमओएस, क्योटो, 2005

मैगी इब्राहिम, एंड्रयू क्रुजकिविचज। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस: ए सम्राइज्ड रीव्यू ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, मूविंग टूवार्ड्स अर्ली एक्शन। वल्ड विजन, 2016

मार्टी डे ला टोरे। असेसिंग द वैल्यू ऑफ कल्चरल हेरिटेज। द गेटी कंजर्वेशन इंस्टिट्यूट, लॉस एंजिल्स, 2002

कानून एवं न्याय मंत्रालय। द एंशिपेंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्केयोलोजिकल साइट्स एंड रिमेन्स (अमेंडमेंट एंड वेलिडेशन) ओर्डिनेंस। भारत सरकार, नई दिल्ली, 2010

एनडीएमए। नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइन्स: सेस्मिक रिट्रोफिटिंग ऑफ डेफिशिएंट बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली, 2014

एनडीएमए। नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइन्स ओन कम्युनिटी बेस्ट डिसास्टर मैनेजमेंट। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली, 2014

एनडीएमए। नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइन्स - नेशनल डिसास्टर इंफोर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली, 2011

एनडीएमए। नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइन्स ऑन मैनेजमेंट ऑफ साइकलोल। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली, 2008

एनडीएमए। नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइन्स: मैनेजमेंट ऑफ न्यूक्लीयर एंड रेडियोलाॅजिकल एमरजेंसी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली, 2009

एनडीएमए। नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइन्स ऑन मैनेजमेंट ऑफ अर्थक्वेक्स। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली, 2007

नेविल एग्नेव, मार्था डेमास। विजिटर मैनेजमेंट एंड कैरिंग कैपेसिटी ऐट वल्ड हेरिटेज साइट्स इन चाइना। गेटी संरक्षण संस्थान, 2013

राहेल कॉक्स। कंट्रोलिंग डिसास्टर: अर्थक्वेक - हैजाई रिडक्शन फॉर हिस्टोरिक बिल्डिंग। राष्ट्रीय ऐतिहासिक संरक्षक न्यास, वाशिंगटन, डीसी, 2001

राजीव चट्टराज, भुवनेश्वर कोनेर। “रिट्रोफिट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोरिक एंड हेरिटेज इम्पोर्टेंस।”

रजीब शॉ, नोरलीन यू, और जेनिफर बाउमवॉल। इंडिजीनियस नोलेज फॉर डिसास्टर रिस्क रिडक्शन: गुड प्रैक्टिसिस एंड लैसन्स लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियेंसिस इन द एशिया पेसिफिक रीजन। संयुक्त राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण रणनीति, बैंकॉक, 2008

सिप्रा मित्रा। कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग्स - ए गाइड। महानिदेशालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली, 2013

के स्मिथ। एंवायरमेंटल हैजाईस: असेसिंग रिस्क एंड रिड्यूसिंग डिसास्टर। रूटलेज

सोडरलंड कंसल्टिंग। बी प्रीपेयर्ड: गाइडलाइन्स फॉर स्माल म्यूजियम फॉर राइटिंग ए डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस प्लान। राष्ट्रमंडल संचार विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, और कला, न्यूयॉर्क, 2010

स्टीफन केली, एस पैट्रिक स्पाक्स। आईसीओएमओएस मैथडोलोजी फॉर बिल्डिंग असेस्में एंड मिटिगेशन फोलोइंग द 2010 हैती अर्थक्वेक। आईसीओएमओएस, हैती, 2010

टी.एस. ब्रार, एमए कमल और आरके जैन। सेस्मिक रीट्रोफिटिंग ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग्स: कंजर्वेशन इंटरवेंशन्स। भूकंप इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी रुड़की, रुड़की, 2012

यूएनआईएसडीआर। हयोगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005-2015: बिल्डिंग द रीसाइलेंस ऑफ नेशन्स एंड कम्यूनिटीज़ टू डिजास्टर्स। विश्व आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन, हयोगो, 2005


यूएनआईएसडीआर। यूएनआईएसडीआर टर्मिनोलोजी फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। यूएनआईएसडीआर, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, 2015
यूएनआईएसडीआर। द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015-2030, सेंडाई, 2015

अनुबंध

1. राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित स्मारकों व स्थलों और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का वितरण


भारत में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (2016-17)

कुल संख्या	36
प्राकृतिक	7
सांस्कृतिक	28
मिश्रित	1



केंद्रीय स्तर पर संरक्षित स्मारक एवं स्थल और उनका राज्यवार वितरण

राज्य	एसआई संरक्षित स्थलों की संख्या
आंध्र प्रदेश	137
अरुणाचल प्रदेश	5
असम	55
बिहार	70
छत्तीसगढ़	47
दमन और दीव	12
दिल्ली	174
गोवा	21
गुजरात	202
हरियाणा	91
हिमाचल प्रदेश	40
जम्मू-कश्मीर	69
झारखंड	12
कर्नाटक	506
केरल	26
मध्य प्रदेश	292
महाराष्ट्र	284
मणिपुर	1
मेघालय	8
मिजोरम	1
नगालैंड	4
ओडिशा	78
पुडुचेरी	7
पंजाब	33
राजस्थान	163
सिक्किम	3
तमिलनाडु	413
त्रिपुरा	8
उत्तर प्रदेश	742
उत्तराखंड	44
पश्चिम बंगाल	134
कुल	3683



**(चित्र में नव निर्मित राज्य तेलंगाना शामिल नहीं है)*

2. राष्ट्रीय और राज्य पुरातात्विक अधिनियमों की सूची

राष्ट्रीय पुरातात्विक अधिनियम

- निधि अधिनियम, 1878
- प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904
- प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958
- प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष नियम, 1959
- प्राचीन वस्तु और कला निधि अधिनियम, 1972
- प्राचीन वस्तु और कला निधि नियम, 1973
- प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष (संशोधन और मान्यता) अधिनियम, 2010

राज्य पुरातात्विक अधिनियम

- आंध्र प्रदेश प्राचीन वऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1960, 2001 में संशोधन
- अरुणाचल प्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल, और अवशेष संरक्षण अधिनियम, 1990
- असम प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1959
- बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष और कला निधि अधिनियम, 1976
- दिल्ली प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 2004
- गोवा, दमन दीव प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1978
- गुजरात प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1965
- हिमाचल प्रदेश पुरातत्व स्मारक स्थल अधिनियम, 1976
- जम्मू-कश्मीर प्राचीन स्मारक संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2010
- कर्नाटक पुरातत्व स्मारक स्थल अधिनियम, 1961
- कर्नाटक गुप्त निधि अधिनियम, 1963
- केरल प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1968
- मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1964
- महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1960
- मेघालय धरोहर अधिनियम, 2012
- मैसूर प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातात्विक स्थल नियम 1965
- ओडिशा प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1956
- पंजाब प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक एवं आर्क स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1964
- राजस्थान स्मारक, पुरातत्व स्थल, और पुरातनता अधिनियम, 1961
- तमिलनाडु प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1966
- तेलंगाना धरोहर (रक्षण, संरक्षण, सुरक्षिता, और रखरखाव) अधिनियम, 2017
- त्रिपुरा प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1997
- उत्तर प्रदेश प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष संरक्षण अधिनियम, 1956
- पश्चिम बंगाल ऐतिहासिक स्मारक एवं वस्तु संरक्षण और पुरातात्विक स्थल उत्खनन अधिनियम, 1957

3. जोखिम आकलन के लिए मूल जांचसूची

यह जांचसूची एक साधारण हां/नहीं प्रारूप पर आधारित है जो स्थल/सीमा के जोखिमों के अवलोकन को विकसित करने के साथ-साथ उन्हें संबंधित खतरे से जोड़ने के अनुरूप है। कृपया ध्यान दें कि विभिन्न आपदा परिदृश्यों में एक से अधिक खतरे एक साथ काम कर रहे हैं और यह सूची किसी विशेषज्ञ द्वारा किए गए जोखिम आकलन का विस्तृत विकल्प नहीं है।

संबोधित खतरे								जोखिम कारक	हाँ	नहीं	टिप्पणी
भूभौतिकीय	जल विज्ञान	मौसम विज्ञान	जलवायवीय	जैविक	सीबीआरएन	आतंकवाद	आग				
								स्थल/सीमा का प्रलेखन अनुपस्थित, अपर्याप्त या अधूरा है			
								धरोहर स्थल/सीमा सक्रिय भूकंप क्षेत्र (जोन IV/V) में पड़ता है			
								धरोहर स्थल/सीमा पहचानी गई भूवैज्ञानिक गलती या भूस्खलन के ज्ञात इतिहास वाले क्षेत्र में स्थित है			
								धरोहर स्थल/सीमा झील, नदी, महासागर (500 मीटर से अधिक) जैसे जल निकायों के निकट है			

संबोधित खतरे								जोखिम कारक	हाँ	नहीं	टिप्पणी
भूभौतिकीय	जल विज्ञान	मौसम विज्ञान	जलवायवीय	जैविक	सीबीआरएन	आतंकवाद	आग				
								स्थल/सीमा उद्योग/औद्योगिक क्षेत्र, विशेष रूप से भारी उद्योगों के निकट है			
								स्थल/सीमा में किसी विशेष दिन/महीने पर आगंतुकों की बड़ी संख्या एकत्रित होती है जो विशिष्ट समय पर अतिसंवेदनशील हो जाता है			
								स्थल/सीमा में अपर्याप्त प्रवेश द्वार और निकास और खराब परिसंचरण नेटवर्क हैं			
								पिछली आपदाओं के कारण स्थल/सीमा प्रभावित हुई है और रिकॉर्ड किए गए खतरों का इतिहास है			
								स्थल/सीमा अप्राप्त्य/खराब पहुंच/आंशिक रूप से खासकर अलग-अलग, बुजुर्गों और बच्चों के संबंध में सुलभ है,			
								स्थल/सीमा की नियमित निगरानी और रखरखाव अनुपस्थित/खराब प्रबंधन/अपर्याप्त है			
								ज्वलनशील तरल पदार्थ/सामग्रियों की उपस्थिति, धरोहर स्थल/सीमा के पास उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रज्वलन बिंदु या हानिकारक रसायन			

संबोधित खतरे								जोखिम कारक	हाँ	नहीं	टिप्पणी
भूभौतिकीय	जल विज्ञान	मौसम विज्ञान	जलवायवीय	जैविक	सीबीआरएन	आतंकवाद	आग				
								बड़े पेड़, वनस्पति और अन्य संभावित बाधाएं मौजूद हैं			
								सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त/खराब है			
								व्यक्तिगत भवन/संरचनाएं अतीत में संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से चली गई हैं, संरचनात्मक लोडिंग/व्यवहार को बदल रही हैं			
								धरोहर संरचना में संरचनात्मक दरारें हैं			
								विरासत भवन में रिसाव हैं			
								इमारत की वेंटिलेशन प्रणाली अपर्याप्त/अनुपस्थित है			
								दरवाजे, खिड़कियां, बाड़, गेट खराब स्थिति में हैं			
								संरचना के भीतर जैविक विकास/वनस्पति या कवक विकास है			
								स्थल की सीवेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली अपर्याप्त है			
								आसपास के इलाकों में तूफानी जल प्रणाली अपर्याप्त/अनुपस्थित है			

संबोधित खतरे								जोखिम कारक	हाँ	नहीं	टिप्पणी
भूभौतिकीय	जल विज्ञान	मौसम विज्ञान	जलवायवीय	जैविक	सीबीआरएन	आतंकवाद	आग				
								विद्युत इंस्टालेशन का नियमित निरीक्षण और परीक्षण करें, दोषपूर्ण उपकरण प्रतिस्थापित करें और कोई अधिभारित सर्किट नहीं होना चाहिए			
								भवन सुरक्षा कर्मचारी सभी प्रकार की संभावित आपातकाल, विशेष रूप से निकासी, आपातकालीन मोचन इत्यादि के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं थे।			
								कई संभावित बाधाओं के साथ-साथ कई संरचनाएं एक दूसरे के पास हैं			
								स्थल/सीमा के लिए मौसम की स्थिति, आर्द्रता और तापमान का नियमित अनुश्रवण अपर्याप्त है			

(यह जांचसूची विश्व धरोहर - यूनेस्को, आईसीसीआरओएम, आईसीओएमओएस और आईयूसीएन के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन के साथ साथ दक्षिण एशिया - अनहैबिटेट, सार्क और यूएनआईएसडीआर, एनपीएस संग्रहसंदर्भों का उपयोग करती है। दक्षिण एशिया में बहु-खतरे के लिए सामाजिकालय पुस्तिका, भाग 1(2000) में बहु-खतरों के लिए समाज एवं अस्पताल सुरक्षा आकलन के लिए उपकरणों से संदर्भों का उपयोग करती है)।

4.

कुछ विषयक उदाहरण

सांस्कृतिक धरोहर की तन्यकता: ताक और धज्जी देवरी की निर्माण प्रणाली

ताक निर्माण में लोड-बेयरिंग चिनाई दीवारें शामिल होती हैं जिनमें क्षैतिज लकड़ी होती है। यह लोड-बेयरिंग मेसोनरी पियर्स के मॉड्यूलर लेआउट वाली निर्माण की एक समग्र प्रणाली है और प्रत्येक तलीय स्तर और विंडो लिटेल स्तर पर विंडो बेज़ को चिनाई दीवारों में एम्बेडेड क्षैतिज लकड़ी के निर्माण की तरह सीढ़ियों के साथ एक साथ बांधा जाता है। ये चिनाई दीवारों को एक साथ पकड़े रखने और उन्हें फर्श पर बांधने का काम करती हैं। ये क्षैतिज लकड़ी एक साथ दीवारों में चिनाई को बांधती है, इस प्रकार दरारों के प्रसार का विरोध करके दीवार की ईट मिट्टी या मलबे वाले पत्थर को सीमित करती हैं। मेसोनरी पियर्स लगभग हमेशा 1 से 2 फीट वर्ग की होती हैं और विंडो बे 3 से 4 फीट चौड़ाई होती है। ताक का उपयोग सामने की दीवारों के लिए किया जाता है (जैन, एनडी) (लैंगेनबाच)। निर्माण अभ्यास जो कोड के विपरीत है, में निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

- नगण्य शक्ति के मोर्टार का उपयोग
- इनफिल दीवारों और पियर्स के बीच बंधन की कमी
- दीवारों में चिनाई की विथ के बीच बंधन की कमजोरी
- भारी सोड रूफ का उपयोग

ताक निर्माण का भूकंप प्रतिरोध

- यह प्रणाली के रूप में इसके नमनीयता जैसे व्यवहार के कारण टिम्बर-लाक्षा चिनाई भूकंप में अच्छी तरह से काम करती है
- यह व्यवहार चिनाई और टिम्बर के बीच घर्षण की वजह से ऊर्जा अपव्यय का परिणाम है
- आजकल चिनाई में मोर्टार उच्च शक्ति वाले सीमेंट मोर्टार के बजाए निम्न-शक्ति वाली मिट्टी या लाइम का इस्तेमाल किया जाता है
- टिम्बर लाक्षा चिनाई के साथ, मोर्टार को ईंटों को एक साथ रखने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें अलग करने के लिए बनाया गया है
- टिम्बर का उपयोग उन सभी को एक साथ बांधने के लिए किया जाता है

धज्जी देवरी

धज्जी देवरी एक टिम्बर फ्रेम है जिसमें चिनाई की एक परत को दीवार बनाने के लिए मजबूती से पैक किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लकड़ी और चिनाई की निरंतर दीवार झिल्ली बनती है। यह शब्द फारसी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है “पैचवर्क क्विल्ट वाल”। प्रत्येक दीवार के फ्रेम में न केवल लंबवत स्टड होते हैं, बल्कि अक्सर क्रॉस-मेम्बर्स भी होते हैं जो चिनाई इनफिल को छोटे पैनलों में विभाजित करते हैं, ताकत प्रदान करते हैं और चिनाई को फ्रेम से बाहर गिरने से रोकते हैं। धज्जी देवरी को अक्सर इमारतों के बीच विभाजन दीवारों के लिए उपयोग करते हुए पाया जाता है। (लैंगेनबाच 2009)

धज्जी देवरी निर्माण का भूकंप प्रतिरोध

- टिबर स्टड की उपस्थिति, जो इनफिल को उपविभाजित करती है, भाग या सभी चिनाई पैनलों के नुकसान को रोकती है और बाकी दीवार के प्रगतिशील विनाश का प्रतिरोध करती है
- बारीकी से अंतर पर लगाए स्टड किसी एकल पैनल के भीतर विकर्ण कतरनी दरारों के प्रचार को रोकते हैं
- यह उच्च मंजिलों और दीवारों के गैबल हिस्से में भी पतली आधी ईंट की दीवारों की चिनाई की विफलता की संभावना को कम कर देता है। (लेंगेनबाच 2009, राय और मूर्ति 2005)

भूकंप प्रतिरोधी स्थानीय इमारतों के एक अच्छे उदाहरण के रूप में 2005 के भूकंप के बाद इन दोनों प्रकारों का निर्माण उभरा है। इनमें से अधिकतर इमारतें पाकिस्तान और भारत दोनों के पहाड़ी इलाकों में छिपी हुई हैं। सदियों से कश्मीर में भूकंप नियमितता से आया है, और कश्मीरी घर ताक और धज्जी देवरी निर्माण के माध्यम से इस खतरे के प्रति अनुरूपता को दर्शाते हैं। (लेंगेनबाच 1992)

2. आपदा के बाद सांस्कृतिक धरोहर का पुनरुत्थापन और पुनर्निर्माण: भूज भूकंप के बाद आयना महल और दरबर्गध परिसर

गुजरात भूकंप को भुज भूकंप के रूप में भी जाना जाता है, जो 26 जनवरी 2001 को आया था। यह केंद्र गुजरात के कच्छ जिले के भचाउ तालुका में छोबारी गांव के 9 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में था (2001)। भुज आपदा स्थल के 20 किलोमीटर के भीतर था और इसने बहुत गंभीर नुकसान पहुंचाया था। पुराने दीवार वाले शहर में महल परिसर में 18वीं शताब्दी की विभिन्न शैलियों वाली इमारतों का संग्रह था, जिसे भारी नुकसान हुआ था और जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। आयना महल परिसर की पूरी संरचना भूकंप से बुरी तरह प्रभावित हुई थी और पूरे परिसर को बचाने के लिए आवश्यक मरम्मत और मजबूती के लिए तत्काल उपाय करने की जरूरत थी। बहाली और पुनर्निर्माण के लिए, गुजरात अध्याय के साथ आईएनटीएसीएच में वास्तु धरोहर प्रभाग ने केयर, भारत (वासवडा) से वित्तीय सहायता प्राप्त करके परिसर को बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए थे।

चरण	कार्य	लागत	समय सारणी	कार्य का विवरण
चरण 1	प्रलेखन	1,00,000 (1 लाख ₹)	6 सप्ताह	<ul style="list-style-type: none"> • इमारत की मौजूदा स्थिति का कक्ष-दर-कक्ष स्थिति सर्वेक्षण किया गया था • आवश्यकता पड़ने पर भूकंप के दौरान हुई संरचनात्मक तत्वों में सटीक विरूपण का पता लगाने के लिए इंडस्ट्रिमेंटेशन सर्वेक्षण किया गया था • बहाली के सभी सामान सूचीबद्ध थे और इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों एवं सामग्रियों की एक विस्तृत सूची तैयार की गई थी • कार्यों को शुरू करने से पहले कार्यों का अनुमान तैयार किया गया था। इस अनुमान में निर्माण, मरम्मत और पुनर्स्थापना के सभी सामान शामिल हैं
	बहाली	8,00,000 (8 लाख ₹)	10 सप्ताह	<ul style="list-style-type: none"> • स्थिरता के लिए बाहरी दीवारों की स्ट्रटिंग एवं शोरिंग की गई थी • फर्श संरचना का समर्थन और स्थिरीकरण किया गया • चिनाई की मरम्मत में दरारों को भरकर, संरचनात्मक दरारों को ग्राउट करके मजबूती प्रदान करना, दीवारों और फर्श, दीवारों और खंभे, दीवारों, और छत के बीच कनेक्शन को मजबूत करना शामिल था • आवश्यक विद्युत मरम्मत और पुनर्स्थापन अनिश्चित थे

चरण	कार्य	लागत	समय सारणी	कार्य का विवरण
चरण 1	क्षतिग्रस्त संरचनाओं की बहाली	1,00,00,000 (1 करोड़ रु)	12महीने	<ul style="list-style-type: none"> अयना महल, हीरा महल और फुव्वारा महल की बहाली, जिसमें परिधीय दीवारें और छत के तत्व शामिल थे, इमारत के भीतर खंभे, दरवाजे, खिड़कियों, और गिरल की मरम्मत संग्रहालय भवन के समूह पर बियरिंग वाले आसपास के क्षेत्रों की मरम्मत आधारभूत सेवा की बहाली की गई
चरण 2	संग्रहालय परिसर - संग्रहालय समूह के आंतरिक भाग की बहाली	1,50,00,000 (एक करोड़ पचास लाख रुपए)	18 महीने	<ul style="list-style-type: none"> लकड़ी, चिनाई, और प्लास्टर में सजावटी कला के काम को बहाल किया गया था सार्वजनिक उपयोग के लिए इमारत के आसपास आवश्यक सार्वजनिक सुविधा प्रदान की गई थी तत्काल परिवेश को मंजूरी दे दी गई और सुलभ बनाया गया

5. आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए जांचसूची

इस जांचसूची का उपयोग व्यापक तरीके से किसी स्थल या सीमा के भीतर आपातकालीन तैयारी के स्तर को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। यह प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, निकासी और आपातकाल मोचन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक कार्यों को रेखांकित करती है।

	कार्रवाई	हाँ	नहीं	टिप्पणी
चेतावनी प्रणाली	जहां भी लागू हो, वहां नमी, तापमान, पानी के स्तर, धुएं/कणों के लिए अनुश्रवण मौजूद होते हैं			
	सक्रिय संरचनात्मक दोष/दरारों का अनुश्रवण, आवरण/अंदरूनी भवन में परिवर्तन नियमित आधार पर किया जाता है			
	हीट डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर जैसे फायर अलार्म को स्थापित किया जाता है			
	घुसपैठियों, सुरक्षा प्रणालियों की छेड़छाड़ के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित की जाती है			
	संचार के लिए एक सार्वजनिक संबोधन प्रणाली या अन्य वायरलेस सिस्टम स्थापित किया जाता है			
	देखा जाता है कि सीसीटीवी सिस्टम, एक्स-रे स्कैनर, मेटल डिटेक्टर और अन्य विद्युतीय एवं यांत्रिक आवेक्षण उपकरण लगे हुए हैं या नहीं			
	जहां आवश्यक है, वहां आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था और बैक-अप जनरेटर उपलब्ध हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों में			
जहां आवश्यक है, उस स्थल पर सुरक्षा कर्मी, गार्ड इत्यादि तैनात हैं				

कार्रवाई	हाँ	नहीं	टिप्पणी
निकासी	आपातकालीन निकास, शरण क्षेत्रों इत्यादि के साथ एक विस्तृत निकासी योजना तैयार की गई है और उसे सभी साइट प्रबंधकों और आपातकालीन उत्तरदाताओं के साथ साझा किया गया है		
	निकासी योजना भवन के अंदर प्रमुख स्थानों के साथ-साथ स्थल के सार्वजनिक क्षेत्रों में और बीआईएस संकेत के साथ परिवेश निकास मार्गों एवं निकास द्वारों को चिह्नित करती है		
	निकासी के लिए निर्देश और प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं, आपातकाल का पता लगाने में कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण तैयार किया गया है		
	आपातकालीन संपर्क सूची की एक निर्देशिका तैयार की गई है और यह स्थल प्रबंधकों, निवासियों आदि के लिए आसानी से उपलब्ध है		
	सभी निकास मार्गों और पहुंच बिंदु सार्वभौमिक रूप से सुलभ हैं, बाधाओं से मुक्त हैं और जहां आवश्यक हो आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान है		
आपातकालीन मौचन	विभिन्न आपात स्थिति के लिए प्रोटोकॉल के विशिष्ट सेट मौजूद हैं और इन्हें कर्मचारियों एवं प्रबंधन के लिए स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है		
	आपातकालीन संपर्कों की एक निर्देशिका मौजूद है और यह आसानी से उपलब्ध है		
	निकटतम फायर स्टेशनों, पुलिस स्टेशनों, अस्पतालों इत्यादि सहित आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों से संपर्क किया गया है और वे किसी विशिष्ट क्षेत्र को संबोधित करने या स्थल पर पहुंचने में आने वाली विशिष्ट चुनौतियों से परिचित है		
	कर्मचारियों के पास वैदर बैंड रेडियो और अन्य वायरलेस संचार तक पहुंच है		
	एक सुरक्षित और आसानी से सुलभ स्थान पर आपातकालीन आपूर्ति की एक मूल सूची बनाई गई है और संग्रहीत किया गया है		
	फायर स्प्रिंकलर्स, अग्निशामक आदि उपलब्ध हैं और उन्हें नियमित रूप से प्रबंधित किया गया है		
	आपूर्ति के साथ एक प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध है		
महत्वपूर्ण दस्तावेजों और अभिलेखों की अद्यतित प्रतियां ऑफ-साइट संग्रहीत की गई हैं			

6.

आपदा पश्चात आकलन प्रारूप

मूल्यांकन और रिकॉर्ड किए जाने वाले पहलुओं की एक सूचक सूची नीचे दी गई है। स्थानीय स्थितियों, उपलब्ध जानकारी और संसाधनों के आधार पर विस्तृत मूल्यांकन प्रारूप विकसित किए जाने चाहिए। भवनों के लिए कई स्थापित रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग प्रारूप मौजूद हैं, जिन्हें धरोहर संरचनाओं के मूल्यांकन के लिए भी संशोधित किया जा सकता है।

संरचना का नाम				
पता	भौगोलिक स्थिति अक्षांश: देशांतर:			
निर्धारक का नाम और संबद्धता				
आपदा की तिथि /यां				
आपदा से पहले की स्थिति	अच्छी	ठीक	खराब	अज्ञात
परीक्षा की विधि	रैपिड विजुअल मूल्यांकन (बाहरी)	आंशिक आकलन (बाहरी और आंतरिक)		विस्तृत भौतिक मूल्यांकन
इमारत में कोई चल वस्तुएं / संग्रह है	हाँ	नहीं	अज्ञात	
भवन प्रबंधन / संरक्षण	केंद्र	राज्य	शहर	अन्य
स्वामित्व	निजी	सार्वजनिक	सरकारी	अन्य
स्थल का विवरण	स्थल का क्षेत्र		निर्मित क्षेत्र	
	मंजिलों की संख्या		भवन की ऊंचाई	
भवन का उपयोग	पर्यटन	धार्मिक		समुदाय
	आवासीय	व्यावसायिक	संस्थागत	
	सरकार	उपयोग में नहीं	अन्य	
भवन की तकनीक / निर्माण				

तत्व	नुकसान की मात्रा				संदर्भ / टिप्पणी
	व्यापक >7 5%	बहुत 50-75%	मध्यम 25-50%	मामूली <25%	
आधार					
लंबवत समर्थन-स्तंभ, दीवारें इत्यादि					
क्षैतिज समर्थन-बीम, लिंगेल, आदि					
विभाजन, गैर संरचनात्मक दीवारें					
खुलने वाली-खिड़कियां, दरवाजे इत्यादि					
फर्श, छत, आदि					
सजावटी तत्व					
फिनिश					

7. आपदा जोखिम प्रबंधन योजना के लिए टेम्पलेट

धरोहर स्थलों एवं सीमाओं के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन योजना के लिए संभावित स्रोतों एवं ढांचे के साथ एक मसौदा संरचना और सामग्रियों की सूची नीचे दी गई है, जिसे प्रत्येक के लिए संदर्भित करने की आवश्यकता है।

अनुभाग/अध्याय	विवरण
परिचय	इस अनुभाग में आपदा जोखिम प्रबंधन योजना के उद्देश्य एवं लक्ष्यों, कानूनी एवं नीति ढांचे, जिसके तहत यह कार्य करता है, योजना के दायरे और स्थल के प्रबंधन के साथ इसका संबंध शामिल है।
प्रलेखन	प्रलेखन में मौजूदा साइट प्लान, जीआईएस प्रलेखन, निर्मित एवं अनिर्मित विशेषताओं का चित्रण अंतर्निहित स्थल, निवासियों/उपयोगकर्ताओं और हितधारकों के साथ-साथ स्थल की स्थापना करने वाली सभी धरोहर संपत्तियों एवं संसाधनों के सारांश को शामिल किया जाएगा।
जोखिम आकलन	विभिन्न स्तरों पर संवेदनशीलताओं की विस्तृत पहचान के साथ-साथ स्थल के स्तर पर और संदर्भ पर खतरे का चित्रण। संभावित खतरों पर उत्पन्न आपदा परिदृश्यों का उपयोग जोखिमों की पहचान के साधन के रूप में जीवन और संपत्ति के संभावित प्रभाव की पहचान के लिए किया जाना चाहिए।
जोखिम न्यूनीकरण	जोखिम न्यूनीकरण के प्रस्ताव में जहां संभव हो खतरों को रोकना, खतरों के प्रभाव को कम करना, संरचनात्मक, नियोजन और गैर-संरचनात्मक उपायों के माध्यम से स्थल की संवेदनशीलता को कम करना, जोखिम को कम करने के साधन के रूप में परंपरागत ज्ञान प्रणालियों के संभावित उपयोग को कम करना शामिल है। इस स्तर पर, यह ध्यान देने वाली बात है कि जोखिम न्यूनीकरण एवं शमन के प्रस्तावों का स्थल धरोहर मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
आपातकालीन तैयारी और मोचन	लोगों एवं धरोहर के लिए आपातकाल से लड़ने की तैयारी के लिए योजना एवं प्रक्रियाएं, आपातकाल के मामले में सिक्यूरिटी एवं प्रबंधकों की भूमिका, आपदा के पहले 72 घंटों के दौरान की गई कार्रवाईयां

अनुभाग/अध्याय	विवरण
रिकवरी के लिए आपदा पश्चात आकलन और योजना	स्थल को हुई क्षति का आकलन करें, आपदा के पश्चात अल्पकालिक और दीर्घकालिक अवधि के लिए रिकवरी योजना, मरम्मत, और बहाली करें, शमन के लिए रिकवरी को जोड़ें
कार्यान्वयन, बजट और चरणबद्धता	वित्त पोषण स्रोत-राज्य या केंद्र सरकार, या एनजीओएस या अन्य सांस्कृतिक संस्थानों और नेटवर्क की पहचान करें। कार्यान्वयन, समय-सीमा के लिए जिम्मेदार एजेंसी की पहचान करें
योजना की समीक्षा और अद्यतन	जागरूकता वर्धन गतिविधियां करें, नियमित आपातकालीन अभ्यास करें, क्रियान्वयन के बाद योजना की प्रभावशीलता और आपात स्थिति के अनुभव के प्रकाश में, यदि कोई है, के आधार पर आवधिक समीक्षा करें

हमसे संपर्क करें

सांस्कृतिक धरोहर स्थलों एवं सीमाओं के लिए दिशानिर्देशों के बारे में अधिक जानकारी के लिए,

कृपया संपर्क करें:

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार
एनडीएमए भवन,
A -1 सफदरजंग एनक्लेव,
नई दिल्ली-110 02 9
टेलीफोन: + 91-11-26701700
वेब: www.ndma.gov.in

